लोक-सभा

वाद-विवाद

तृतीय माला

खण्ड ५, १९६२/१८८४ (शक)

[८ से २२ जून १९६२/१८ ज्येष्ठ से १ आषाढ़ १८८४ (शक)]

3rd Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
Fumigated
On 3.12.83
Parliament Library

पहला सत्र, १९६२/१८८४ (शक)

(खण्ड ५ में अंक ४१ से ५१ तक हैं)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय सूची

(तृतीय माला खण्ड ५—अंक ४१ से ५१—८ से २२ जून, १९६२)/१८ ज्येष्ठ से १ आषाढ़, १८८४ (शक)

अंक ४१—शुक्रवार, ८ जून, १९६२/१८ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

पृ०

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न* संख्या १३५३ से १३५५, १३५७ से १३६५, १३६७ से १३७१ और १३७३ . . ४४८५—४५१०

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १३५६, १३६६, १३७२ और १३७४ . ४५११–१२

अतारांकित प्रश्न संख्या २७८७ से २८६० और २८६२ से २८६९ . ४५१२–४८

दिनांक १८-५-६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या १५९३ के उत्तर में शुद्धि

अविलम्बनीय लोक महत्व क विषयों की ओर ध्यान दिलाना . .

(१) साल्ट कोटर्स रेलवे माल शैड, मद्रास में, माल उतारने का काम अस्थव्यस्त हो जाने का कथित समाचार . . ४५४८–४९

(२) दिल्ली में परमाणु बंम विरोधी सम्मेलन में प्रतिनिधि भेजने के लिये जनवादी चीन गणराज्य को निमंत्रण . . ४५४९–५०

सभा पटल पर रखा गया पत्र

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें, (रेलवे) १९५९–६० . . . ४५५०

सभा का कार्य ४५५०–५१

विदेशी मुद्रा स्थिति के बारे में वक्तव्य . . ४५५१—५३

समिति के लिये निर्वाचन ४५५३

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड

अधिवक्ता (दूसरा संशोधन) विधेयक— पुरःस्थापित . . . ४५५३

लाभ पदों संबंधी संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव . . ४५५४–५५

अनुदानों की मांगें . . . . . ४५५५—६८

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ४५५५

राजनैतिक पीड़ित सहायता विधेयक [श्री स० चं० सामन्त का] ४५६८

हिन्दु विवाह (संशोधन) विधेयक (धारा २३ का संशोधन) [श्री ज० ब० सिंह का] . ४५६८–६९

विधान परिषद् (रचना) विधेयक—परिचालित

परिचालित करने का प्रस्ताव . . . . ४५६९—७३

भारतीय डाक-घर (संशोधन) विधेयक (धारा ६८ और ६९ का संशोधन) [श्री स० च० सामन्तका]—अस्वीकृत . . ४५७४—७८

विषय	पृष्ठ
विचार करने का प्रस्ताव	
भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा ४०५ और ४०६ का संशोधन) [श्री दीवान चन्द शर्मा का]	
विचार करने का प्रस्ताव , . .	४५७८–७९
अंक ४२—सोमवार, ११ जन, १९६२/२१ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १३७६, १३७७, १३८२ से १३८४, १३८६, १३८८, १३९० से १३९४ और १३९७ से १४०१ .	४५८७–४६११
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १३७५, १३७८ से १३८१, १३८५, १३८७, १३८९, १३९५, १३९६, १४०२, १४०३ और १४०५ .	४६१२–१७
अतारांकित प्रश्न संख्या २८७० से २८९७, २८९९ से २९१५, २९१७ से २९३१ और २९३३ से २९३५ . . .	४६१७–४४
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	४६४४–४८
(१) केरल में एनाथ में ट्यूबरक्युलिन परीक्षण की प्रतिक्रिया से उत्पन्न स्थति	४६४४–४४
(२) नागपुर–टाटानगर यात्री गाड़ी का पटरी से उतर जाना .	४६४५–४८
सभा पटल पर रखा गया पत्र	
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुप स्थति सम्बन्धी समिति	
पहला प्रतिवेदन . .	४६४८
अनुदानों की मांगें	४६४८–६२
वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय . . .	४६४८–६२
वित्त मंत्रालय	४६६२–९२
सभा की बैठक के दिन में परिवर्तन	४६७४–९२
कार्य मंत्रणा समिति	४६७५–९२
दूसरा प्रतिवेदन	४६९२
दैनिक संक्षेपिका . . .	४६९३–९७
अंक ४३—मंगलवार, १२ जून, १९६२/२२ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्यां १४०६, १४०७, १४०९, १४११ से १४१३, १४१५ १४१६, १४१९ से १४२४ और १४२६ और १४२८ .	४६९९–४७२३
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १४ से १६	४७२३–२८

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १४०८, १४१०, १४१४, १४१७, १४१८, १४२५, १४२७, और १४२९	४७२८—३२
अतारांकित प्रश्न संख्या २९३६ से ३०४३	४७३२—८०
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना	४७८०—८४
(१) गुंटूर में तम्बाकू के लिये एक मार्क की पर्चियां देने में सरकार की कथित असफलता	
(२) पाकिस्तान की सशस्त्र सेनाओं द्वारा भारतीय राज्य क्षेत्र पर कथित कब्जा	
(३) साम्भर झील के निकट सवारी गाड़ी और बस के बीच हुई टक्कर	
सभा पटल पर रखे गये पत्र	४७८४
सैन्ट्रल प्रोविंसेस मैंगनीज और कम्पनी लिमिटेड के साथ हुए करार के बारे में वक्तव्य	४७८४—८५
ब्रिटेन और यूरोपीय आर्थिक समुदाय के बीच चल रही बातचीत के बारे में वक्तव्य	४७८४—८६
कार्य मंत्रणा समिति	
दूसरा प्रतिवेदन	४७८६—४८०९
अनुदानों की मांगें	४७८६
वित्त मंत्रालय	४७८६—४८०९
विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९६२, पुरःस्थापित तथा पारित	४८१०—११
वित्त (वित्त संख्या २) विधेयक, १९६२	
विचार करने का प्रस्ताव	४८११—१५
दैनिक संक्षेपिका	४८१६—२२
अंक ४४—गुरुवार, १३ जन, १९६२/२३ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १४३०, १४३१, १४३३ से १४४०, १४४२, १४४४, १४४५, और १४४७ से १४४९	४८२३—४५
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १४३२, १४४१, १४४३, १४४६ और १४५० से १४६४	४८४५—५३
अतारांकित प्रश्न संख्या ३०४४ से ३१३५, ३१३७ से ३१४१, २१४३ और ३१४४	४८५३—९९
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १७	४८९९
स्थगन प्रस्ताव	४९००
रेलवे फाटक पर रेल गाड़ी और बस में हुई टक्कर	४९००

विषय	पृष्ठ
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना	४९००—०१
(१) उत्तरी लद्धाख में चीनियों द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्र में चीनी टैंकों और बख्तर बन्द गाड़ियों का कथित आवागमन	४९००—०१
(२) नेफा में नियुक्त कुछ वरिष्ठ सेना अधिकारियों की कथित भर्त्सना	४९०१—०४
(३) वेस्ट विनय नगर, दिल्ली में साफ किये हुए पानी की कमी	४९०५—०६
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति-	
दूसरा प्रतिवेदन	४९०६
वित्त (संख्या २) विधेयक, १९६२	४९०७—४३
विचार करने का प्रस्ताव	४९०७—४३
दैनिक संक्षेपिका	४९४४—५०

अंक ४५—शुक्रवार, १५ जून, १९६२।२५ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

प्रश्नों के लिखित उत्तर	४९५१—७५
तारांकित प्रश्न संख्या १४६५, १४६७ से १४७३ और १४७५ से १४८०	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १४६६, १४७४ और १४८१ से १४८८	४९७५—८०
अतारांकित प्रश्न संख्या ३१४५ से ३२१३	४९८०—५०१३
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	५०१३—१७
सदर बाजार में विस्फोट	५०१३—१७
सभा पटल पर रखे गये पत्र	५०१७—१८
अनुपस्थिति की अनुमति	५०१८
विधेयक पुरःस्थापित	५०१९
१. सीमा शल्क विधेयक	५०१९
२. विशिष्ट सहायता विधेयक	५०१९
वित्त (संख्या २) विधेयक, १९६२	५०१९—३७
विचार करने का प्रस्ताव	५०१९—३७
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पो संबंधी समिति	
दूसरा प्रतिवेदन	५०३७
अस्पृश्यता निवारण सम्बन्धी संकल्प	५०३८—५४
मजदूरों संघों के प्रतिनिधिस्वरूप के बारे मे संकल्प	५०५४—५८
दैनिक संक्षेपिका	५०५९—६४

विषय	पृष्ट
अंक ४६—शनिवार, १६ जून, १९६१/२६ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १४८९ से १४९१, १४९३ से १४९६, १४९८ से १५०३, १५०५ और १५०७ से १५०९ .	५०६५—८८
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १४९२, १४९७, १५०४ और १५०६ . .	५०८९—९१
अतारांकित प्रश्न संख्या ३२१४ से ३२९३ . .	५०९१—५१२६
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . .	५१२६—२९
राजशाही जिले से आने वाले व्यक्तियों पर पाकिस्तानी सशस्त्र पुलिस द्वारा गोली चलाया जाना . .	५१२९
सभा पटल पर रखा गया पत्र	५१२९
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या ५१३ के उत्तर मे शुद्धि . — .	५१२९
सभा का कार्य	५१३०
वित्त (संक्या २) विधेयक १९६२ . . .	५१३०—५८
खण्ड २ से १९ और १, तथा अनुसूची . .	
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . .	
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य) १९५९–६० .	५१५८—६९
दैनिक संक्षेपिका	५१७०—७४
अंक ४७—सोमवार, जून १८, १९६२/२८ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर . . . ज.	
तारांकित प्रश्न संख्या १५१० से १५१८, १५२०, १५२१ और १५२३	५१५७—९८
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १८ .	५१९८—९९
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १५१९, १५२२ और १५२४ से १५३७ .	५१९९—५२०५
अतारांकित प्रश्न संख्या ३२९४ से ३३००, ३३०३ से ३३७०, ३३७३ से ३३९१ और ३३९३ से ३४२२ . .	५२०५—५९
प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य	
राजसाहा जिले के निष्क्रमणार्थियों पर पाकिस्तानी सशस्त्र पुलिस द्वारा गोली चलाया जाना	५२५९—६३
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	

विषय	पृष्ठ
प्रोफैसर जे० बी० एस० हाल्डेन द्वरा भारतीय वैज्ञानिक तथा औद्योगिक परिषद् छोड़ने का कथित निर्णय . . .	५२६३—६५
सभा पटल पर रखे गये पत्र	५२६६
तारांकित प्रश्न संख्या २१६ के उत्तर में शुद्धि	५२६६
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य) १६५६–६० . . .	५२६६—६७
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेलवे) १६५६–६० . .	५२६७—७१
राष्ट्रपति की पेन्शन (संशोधन) विधेयक, १६६२ . . .	
विचार करने के प्रस्ताव	५२७१—८२
खण्ड २ से ४ तथा १	
पारित करने का प्रस्ताव . . .	५२८२—८५
रेलवे दुर्घटनाओं के बारे में प्रस्ताव	५२८६—६६
बाग नदी परियोजना के बारे मे आधे घंटे की चर्चा . . .	५३००—.०१
दैनिक संक्षेपिका	५३०२—०६
अंक ४८—मंगलवार, १६ जून, १६६२/२६ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १५३८ से १५४६, १५५१ और १५५२ .	५३११—३३
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १६ और १६क . .	५३३४—३८
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १५५३ और १५५४ से १५६२ . .	५३३८—४२
अतारांकित प्रश्न संख्या ३४२३ से ३४८६, ३४८८ से ३४६७, ३५०० और ३५०१.	५३४२—७७
अविलम्बनीय लोक कहत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना .	५३७८—८०
(१) मालदा जिले में पक्षाघात का महामारी के रूप मे फैलना .	५३७८—७६
(२) दिल्ली स्टेशन और फिरोजशाह कोटला, दिल्ली में पानी की कमी	५३७६—८०
सभा पटल पर रखे गये पत्र	५३८१—८३
तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के वर्ष १६६०–६१ के प्रतिवेदन के बारे मे वक्तव्य	५३८३—८४
विधेयक पुरःस्थापित —	
(१) प्रत्यर्पण विधेयक	५३८४
(२) विनियोग (संख्या ३) विधेयक १६६२ . . .	५३८५
(३) विनियोग (रेलवे) संख्या ३, विधेयक १६६२	५३८५
अधिवक्ता (दूसरा संशोधन) विधेयक . . .	५३८६—८८
विचार करने का प्रस्ताव	५३८६

विषय	पृष्ठ
खंड २ और १	५३८८
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	५३८८
श्री विभूधेन्द्र मिश्र	५३८८
निर्वाचनों के संचालन नियमों के बारे में प्रस्ताव . . .	५३८८—५४०३
सीमा शुल्क विधेयक	५४०३—१०
प्रवर समिति को सौपने का प्रस्ताव	५४०३—१०
रिहान्द की बिजली को उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश मे बांटने के बारे में आधे घंटे की चर्चा	५४१०—१४
दैनिक संक्षेपिका	५४१५—२३
अंक ४९—बुधवार, २० जून १९६२/३० ज्येष्ठ १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १५६३ से १५७५ . . .	५४२३—४५
अल्प सूचना प्रश्न संख्या २० और २१ . . .	५४४५—४७
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १५७६ से १५९० .	५४४७—५४
अतारांकित प्रश्न संख्या ३५०२ से ३५१४, ३५१६ से ३५७०, ३५७२ से ३६३३, ३६३५, ३६३६ और ३६३६-क से ३६३६छ .	५४५४—५५१८
दिनांक २२-५-६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या १७४८ के उत्तर मे शुद्धि	
स्थगन प्रस्ताव	५५१८
भारतीय राज्य क्षेत्र मे चीनियों द्वारा कथित अतिक्रमण का समाचार .	५५१८—१९
सभा पटल पर रखे गए पत्र	५५१९—२०
राज्य सभा से सन्देश	५५२०
गैर सरकारी सस्दयों के विधयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति . .	५५२०
तीसरा प्रतिवेदन	५५२०
हिन्दू दत्तक ग्रहण तथा पोषण (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . .	५५२१
विनियोग (संख्या ३) विधेयक १९६२—पारित . .	५५२१
विनियोग (रेलवे) संख्या ३ विधेयक १९६२—पारित . . .	५५२२
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . .	५५२२—४७
पश्चिम बंगाल में विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के बारे में आध घंटे की चर्चा	५५४७—५४
दैनिक संक्षपिका	५५५५—६३
अंक ५०—गुरुवार, २१ जून, १९६२/३१ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १५९१ से १५९९ १६०१ और १६१४ १६०२ १६०४ और १६०५	५५६५—८८

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर . . . . . .

तारांकित प्रश्न संख्या १६००, १६०३, १६०२—ए, १६०६ से १६१० १६१२, १६१३ और १६१५ से १६२० . . ५५८८—९३

अतारांकित प्रश्न संख्या ३६३७ से ३६९० ३६९२ से ३७१२, ३७१४ से ३७२३, ३७२५ से ३७४२, ३७४४ से ३७५२, ३७५४ से ३७६७, ३७६७क, ३७६७ख और ३७६७ ग . ५५९४—५६५२

दिनांक २८ मई, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या २०४६ के उत्तर में शुद्धि ५६५२

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना . . ५६५२—५४

(१) ब्रिटेन के राष्ट्रमंडलीय सम्बन्धों के राज्य सचिव के साथ यूरोपीय साझा बाजार के बारे में बातचीत . . . ५६५२—५३

(२) त्रिपुरा के कमलपुर और अन्य भागों मे भारी बाढ़ . ५६५३—५४

जानकारी प्राप्त करने के बारे में प्रश्न ५६५४

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . . ५६५४—५६

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति . ५६५७

कार्यवाही सारांश ५६५७

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति . . ५६५७

कार्यवाही सारांश ५६५७

तारांकित प्रश्न संख्या १३६३ के उत्तर मे शुद्धि . . . ५६५७

सौलवीन प्रतिनिधिमण्डल के प्रतिवेदन के बारे मे वक्तव्य . . ५६५७

भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम—अस्वीकृत . . . ५६५८—६४

भेषज (संशोधन) विधेयक ५६६४

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . ५६६५—७३

खण्ड २ से २२ तथा १ . . . . . ५६६४—७७

पारित करने का प्रस्ताव . . . . . ५६६४—७७

राज्यों को लोहे की नालीदार चादरों के दिये जाने के बारे में आधे घण्टे की चर्चा ५६७८—८०

दैनिक संक्षेपिका . . . . ५६८१—९१

अंक ५१—शुक्रवार, २२ जून, १९६२/१ आषाढ़, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर . . . . . .

तारांकित प्रश्न संख्या १६२१, १६२३, १६२६ और १६२८ से १६३७ अल्प सूचना प्रश्न संख्या २२ और २३ . . . . ५६९३—५७२०

प्रश्नों के लिखित उत्तर . . . . . .

तारांकित प्रश्न संख्या १६२२, १६२४, १६२५, १६२७, १६३७क, १६३८ और १६३९ . . ५७२०—२३

विषय	पृष्ठ
अतारांकित प्रश्न संख्या २७६८ से ३८३३ और ३८३५ से ३८४५	५७२३–५८
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना . .	५७५८–६५
(१) चीनियों द्वारा नेफा में भारतीय राज्य क्षेत्र पर कथित कब्जा	५७५८–६०
(२) आई० एफ० स्टेशन बपरौला दिल्ली में एक० ई० एस० के दो मेहतरों की मृत्यु	५७६०–६२
(३) पूर्वोत्तर रेलवे के तिलरथ स्टेशन के निकट रेल गाड़ी और ट्रक की टक्कर . . .	५७६२–६५
सभा पटल पर रखे गये पत्र	५७६५–६७
राज्य सभा से सन्देश	५७६७
निर्वाचनों के संचालन नियमों में संशोधन के बारे में याचिका . .	५७६७
विधेयक पुरःस्थापित	५७६७–६८
(१) आसाम राइफल्स (संशोधन) विधेयक . . .	५७६८
(२) महाप्रशासक विधेयक	५७६८
(३) ईसाई विवाह और वैवाहिक कारण विधेयक . .	५७६८
तीसरी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों में कमी के बारे में प्रस्ताव . .	५७६९–७८
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति . .	५७७८
तीसरा प्रतिवेदन	५७७८
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक—पुरस्थापित . . .	५७७९–८४
(१) अखिल भारतीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयक [**श्री अ० त्रि० शर्मा** का]	५७७९
(२) बीमा (संशोधन) विधेयक (धारा ३१क और ४०ग का संशोधन) [**श्री इन्द्रजीत गुप्त** का] . . .	५७७९
(३) बीड़ी और सिगार श्रमिक विधेयक [**श्री अ० क० गोपालन का**]	५७७९–८०
(४) खाद्य तेलों पर प्रतिबन्ध (साबून बनाने के लिए) विधेयक [**श्री वी० चं० शर्मा का**]	५७८०
(५) परिवहन समन्वय विधेयक [**श्री दी० चं० शर्मा** का]	५७८०
(६) दूकानदार (मुल्यों की पर्चीयां लगाना) विधेयक [**श्री ज० ब० सिं० बिष्ट का**]	५७८०–८१
(७) विधि व्यवसायी (संशोधन) विधेयक (धारा १४ और १५ का संशोधन) [**श्री हेम राज का**] . . .	५७८१
(८) हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक (धारा ३० का संशोधन [**श्री हेम राज का**] . .	५७८१
(९) भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक (धारा ११ और १२ का संशोधन) [**श्री हेम राज का**]	५७८१–८२

विषय	पृष्ठ
(१०) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद २२६ का संशोधन) [श्री दी० चं० शर्मा का] . .	५७८२
(११) संविधान (संशोधन) विधेयक (आठवीं अनुसूची का संशोधन) [श्री उ० मू० त्रिवेदी का] . . .	५७८४
भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक, (धारा ४०५ और ४०६ का संशोधन) [श्री दी० चं० शर्मा का] —वापिस लिया गया .	५७८२–८४
विचार करने का विचार	
हिन्दू उत्तराधिकार संशोधन विधेयक (नई धारा २३क का रखा जाना) [श्री ज० ब० सिं० बिष्ट का]—परिचालित . . .	५७८५–९४
परिचालित करने का प्रस्ताव . . .	
अस्पृश्यता (अपराध) संशोधन विधेयक (धारा ३ और ४ का संशोधन) [श्री सिद्ध्या का] .	५७९४
परिचालित करने का प्रस्ताव . . .	५७९४–९९
नरियमंगलम् में फायटोकेमिकल प्लांट के बारे में आधे घण्टे की चर्चा	५७९९–५८०२
विदाई भाषण .	५८०२
दैनिक संक्षेपिका . .	५८०३—१३, १—१०
पहले सत्र का कार्यवाही संक्षेप . . .	

नोट : मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

लोक-सभा

शुक्रवार, २२ जून, १९६२

१ आषाढ़, १८८४ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

खानों में हवा और रोशनी की व्यवस्था

†*१६२१. **श्री प्र० र० चक्रवर्ती**: क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने खानों में हवा और रोशनी की व्यवस्था के बारे में सुरक्षा उपकरण समिति तथा प्रविधिक समिति की सिफारिशों के बारे में क्या कदम उठाये हैं;

(ख) क्या सुरक्षा उपकरण मंत्रणा बोर्ड बना दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो इस बोर्ड ने क्या कार्य आरम्भ किया है; और

(घ) खानों में किस प्रकार के लैम्प काम में लाये जाते हैं ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)**: (क) सुरक्षा उपकरण समिति की सिफारिशों पर विभिन्न हितों की राज्य राय प्राप्त कर ली गई है। समिति की एक सिफारिश यह थी कि खान उद्योग को उचित किस्म की लकड़ी उचित मात्रा में उपलब्ध की जाये और यह सिफारिश राज्य सरकारों को उचित कार्यवाही क लिये सूचित कर दी गई है। अन्य सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है ।

खानों में हवा और रोशनी सम्बन्धी प्रविधिक समिति ने अभी अपना प्रतिवेदन नहीं दिया है।

(ख) अभी नहीं, किन्तु बोर्ड का गठन शीघ्र किये जाने की सम्भावना है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(घ) बिजली के सुरक्षा लैम्प और हरिकेन लालटेन।

†**श्री प्र० रे० चक्रवर्ती** : सरकार इस बोर्ड को कब तक नियुक्त करने की उम्मीद रखती है ?

†**श्री हाथी** : दो महीने में ।

---

†मूल अंग्रेजी में

1286(Ai) LSD—1,

जापान को लौह अयस्क का निर्यात

+

†*१३२३. { **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान को लौह अयस्क का निर्यात बढ़ाने का इरादा है; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **(देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ९७ ।**

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या निर्यात की मात्रा निर्धारित कर ली गई है और यदि हां, तो वह क्या है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : वह सारिणी में दी गई है। पहली अवधि में लगभग ६० लाख टन का निर्यात किया जायेगा जिस के बाद दस वर्ष तक २० लाख टन और उस के बाद के पन्द्रह वर्षों में ४० लाख टन और उस के बाद प्रति वर्ष लगभग ६० लाख टन का निर्यात किया जायेगा।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या यह निर्यात वस्तु-विनिमय के आधार पर किया जायेगा या उस के बदले में हमें रुपयों में भुगतान किया जायेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह** : इस सौदे में कोई शर्त नहीं रखी गई है । जापान हम से बहुत सी चीज़ें खरीदता है ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या हम ने अपने इस्पात संयंत्रों के उत्पादन के लक्ष्यों को ध्यान में रखा है ।

†**श्री मनुभाई शाह** : वह तो मुख्य उद्देश्य है। माननीय सदस्य तो जानते ही हैं कि भारत में लौह-अयस्क के बहुत बड़े निक्षेप हैं । बढ़िया किस्म के अयस्क के २२ अरब टन और मध्यम श्रेणी के अयस्क ७८ अरब टन के निक्षेप हैं। हम प्रति वर्ष २०० से ले कर ३०० लाख टन अयस्क का निर्यात करना चाहते हैं ।

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या जापान ने जहाज पर माल के लदान की सुविधा के लिये पूर्वी भारत में किसी पत्तन के निर्माण का प्रस्ताव किया है और यदि हां, तो पत्तन के लिये किस स्थान का सुझाव दिया गया है ।

†**श्री मनुभाई शाह** : हमारे पास परादीप पत्तन और वहाँ की लोहे की खानों के विकास का एक विशिष्ट प्रस्ताव है । हम रेल से परिवहन समाप्त कर देना चाहते हैं और ९२ मील लम्बा राजपथ बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। इस सम्बन्ध में ठेके दे दिये गये हैं और हमारा इरादा सड़क के ज़रिये अयस्क को बड़ी मात्रा में परादीप पत्तन पहुंचाने का है ।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : क्या परादीप पत्तन से लौह अयस्क के निर्यात सम्बन्धी ठेके पर हस्ताक्षर हो चुके हैं और क्या पूरी योजना, जिसमें खानों का यंत्रीकरण, सड़कों का निर्माण और परादीप का विकास शामिल है, स्वीकार की गई है या नहीं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मनुभाई शाह** : परादीप पत्तन के विकास की योजना—दो ड्रेजरों सहित स्वीकार कर ली गई है किन्तु इससे बड़े विकास पर अब भी विचार किया जा रहा है क्योंकि इसके लिये परियोजना तैयार करनी पड़ेगी। राजपथ काठे का दे दिया गया है। किन्तु उस क्षेत्र से जापान तथा अन्य देशों को अयस्क की बिक्री के सौदे के बारे में बातचीत अभी जारी है।

†**श्री दी०चं० शर्मा** : कुछ समय पूर्व लौह अयस्क के निर्यात की सुविधा के लिये विशाखापत्तनम के विकास का प्रस्ताव था। क्या यह प्रस्ताव त्याग दिया गया है?

†**श्री मनुभाई शाह** : जी, नहीं। लौह अयस्क के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं के निर्यात के लिये भी भारत के प्राय: सभी पत्तनों का विकास सक्रिय रूप से विचाराधीन है। तीसरी योजना में पर्याप्त व्यवस्था की गई है तथा आवश्यकता होने पर और उपबन्ध किया जायेगा।

त्रिचूर म स्टूडियों केन्द्र

†*१६२६. **श्रीमती सरोजिनी महिषी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार त्रिचूर में एक स्टुडियो केन्द्र स्थापित करने का इरादा रखती है ;

(ख) वर्तमान व्यय स्टूडियो केन्द्र की स्थापना पर होने वाले व्यय की तुलना में कितना है ; और

(ग) त्रिवेन्द्रम में कार्य क्रम तैयार कर उसे त्रिचूर से प्रसारित करने की जो वर्तमान व्यवस्था है क्या वह ठीक चल रही है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शामनाथ)** : (क) जी, नहीं।

(ख) त्रिचूर में तीन स्टुडियो सहित एक स्टुडियो केन्द्र की स्थापना पर, जिसमें भवन का निर्माण-व्यय शामिल है, लगभग ७ लाख रुपये खर्च होंगे। त्रिचूर में लिफहाल जो ट्रान्समीटर है उसे चलाने में प्रतिवर्ष १.११ लाख रुपये खर्च होते हैं।

(ग) त्रिवेन्द्रम में कार्यक्रम तैयार कर उसे त्रिचूर से प्रसारित करने की वर्तमान व्यवस्था पूर्ण रूप से सन्तोषजनक नहीं है किन्तु तीसरी योजना में त्रिवेन्द्रम में एक २० किलोवाट शार्टवेव ट्रान्समीटर तथा त्रिचूर में एक रिसीविंग केन्द्र की स्थापना के बाद स्थिति में काफी सुधार होने की उम्मीद है ।

†**श्रीमती सरोजिनी महिषी** : वर्तमान व्यवस्था संतोषजनक नहीं है और भारी व्यय हो रहा है तो त्रिचूर केन्द्र क्यों स्थापित नहीं किया जा रहा है ?

†**श्री शाम नाथ** : यह प्रश्न आकाशवाणी के अधिकारियों के विचाराधीन रहा है। हमने डाक तथा तार विभाग के महा-निदेशक से परामर्श किया है और उन्होंने भी इस प्रश्न पर विचार किया है। मेरा ख्याल है कि त्रिवेन्द्रम में २० किलोवाट का शार्टवेव ट्रांसमीटर स्थापित होने पर स्थिति में सुधार होगा।

†**श्रीमती सरोजिनी महिषी** : क्या देश भर में ऐसे और भी केन्द्र हैं जिन से अन्य स्थानों में तयार किये गये कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री शाम नाथ** : ऐसे कई केन्द्र हैं जिन्हें मुख्य केन्द्र से कार्यक्रम दिये जाते हैं। आकाशवाणी की आन्तरिक सेवाओं के विकास के वर्तमान कार्यक्रम की सामान्य नीति यह है कि नये रेडियो स्टेशन खोलने के बजाय आकाशवाणी के वर्तमान रेडियो स्टेशनों में बने कार्यक्रम के प्रसारण के लिये कई पारेषण केन्द्र खोले जायें।

†**श्री मे० क० कुमारन** : कोई छः महीने पहले तत्कालीन सूचना और प्रसारण मंत्री डा० केसकर ने कहा था कि त्रिवेन्द्रम में नया ट्रान्समीटर जूलाई, १९६२ से पहले स्थापित कर दिया जायेगा। सरकार को इसकी स्थापना का कार्य आरंभ करने में कितना समय लगेगा ?

†**श्री शाम नाथ** : २० किलोवाट के इस ट्रान्समीटर की स्थापना में तीन-चार महीने लग जायेंगे।

†**श्री वारियर** : त्रिवेन्द्रम और कालिकत में कार्यक्रम तैयार कर उन्हें त्रिचर से प्रसारित करना अधिक लाभदायक है या त्रिचूर केन्द्र का विकास करना। त्रिचर में केन्द्र है तो त्रिवेन्द्रम और कालिकत में बने कार्यक्रमों पर निर्भर रहने की क्या आवश्यकता है ?

†**श्री शाम नाथ** : माननीय सदस्य के सुझाव पर विचार किया जायगा ? यह सुझाव कार्यान्वित किया जा सकता है या नहीं यह मैं नहीं कह सकता।

†**श्री वारियर** : प्रश्न यह है कि वह त्रिचूर में ही क्यों न स्थापित किया जाय। इस प्रश्न की जांच पहले की गई होगी।

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति। प्रश्न पर विचार करने का आश्वासन दिया गया है और माननीय सदस्य को इससे सन्तोष होना चाहिये।

†**श्री वासुदेवन नायर** : माननीय मंत्री ने कहा है कि त्रिवेन्द्रम में तीन-चार महीने में ट्रान्समीटर स्थापित हो जायगा। क्या इससे केरल के बाहर के लोगों को कार्यक्रम सुनने में सहायता मिलेगी या केरल के लोग ही इन कार्यक्रमों को सुन सकेंगे ?

†**श्री शाम नाथ** : यह शार्ट वेव ट्रान्समीटर है। उससे अन्य क्षेत्रों के लोग भी कायक्रम सुन सकेंगे।

चीन के भारत-विरोधी प्रसारण की प्रतिक्रियास्वरूप आकाशवाणी द्वारा लैटिन अमरीका के देशों के लिये प्रसारण

+

†*१६२८. { **श्री रवीन्द्र वर्मा** :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि चीन का जनवादी गणतंत्र लैटिन अमेरीका के विभिन्न देशों के लिये किये जान वाले अपने प्रसारणों में तीव्र भारत-विरोधी प्रचार कर रहा है ;

(ख) क्या आकाशवाणी द्वारा लैटिन अमरीका के देशों के लिये कोई प्रसारण किये जाते है ; और

---

†मूल अंग्रजी में

(ग) चीन द्वारा लैटिन अमरीका के लिये किय जा रहे प्रसारणों के जरिये जो गलतफहमी पैदा की जा रही है उसे दूर करने के लिये आकाशावणी द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ताकि उन क्षेत्रों में श्रोता भारत के दृष्टिकोण को जान सकें ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शामनाथ)** : (क) जी, हां । विभिन्न समाचारपत्रों और पत्रिकाओं में प्रकाशित समाचारों से इस प्रकार की धारणा बन गई है किन्तु सरकार को इस सम्बन्ध में कोई अन्य प्रामाणिक जानकारी नहीं है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) लैटिन अमेरिका के लिये प्रसारण करना कोई कारणों से संभव नहीं हो सका है । किन्तु अन्य देशों के लिये जो प्रसारण किये जाते हैं वे विभिन्न मामलों के बारे में भारत सरकार के विचार के प्रसार के साधन हैं । वैदेशिक-कार्य मंत्रालय का वैदेशिक प्रचार विभाग समाचार बुलेटिन जारी करता है और अन्य देशों की जनता को भारतीय दृष्टिकोण से अवगत करान के लिये प्रचार की अन्य व्यवस्था भी करता है ।

†**श्री रवीन्द्र वर्मा** : इस बात को देखते हुए कि यह प्रश्न बहुत व्यापक बन गया है और भारत अपनी उपेक्षा से अपना अहित न कर ले क्या सरकार ने दक्षिण और मध्य अमेरिका में रेडियो के व्यापार विभाग की सेवायें उपलब्ध करने की संभावनाओं की जांच की है ?

†**श्री शाम नाथ** : इसमें कुछ प्रविधिक कठिनाई है । नई दिल्ली से किया गया प्रसारण लैटिन अमरीका में साफ-साफ नहीं सुना जा सकता । इसलिये कहीं बीच में एक रिले केन्द्र आवश्यक है । जब तक हम उन्हें भी इस प्रकार की सुविधायें न दें तब तक हम रिल की व्यवस्था नहीं कर सकते ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच है कि चीन के प्रसारणों मे अधिकारियों के दल के प्रतिवेदन के तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है तथा भारत के खिलाफ और भी असत्य प्रचार किया जाता है और यदि हां, तो क्या सरकार ने इन प्रसारणों की जांच की हैं और क्या वह किसी निष्कर्ष पर पहुंची है ?

†**श्री शाम नाथ** : इसमें सन्देह नहीं कि पेकिंग रेडियो बहुत ही द्वेषपूर्ण प्रचार कर रहा है । किन्तु हम लैटिन अमेरिका के बारे में कुछ नहीं कर सके हैं । जहां तक यूरोप, पश्चिम एशिया आदि देशों का सम्बन्ध है हमने चीन के प्रचार को निरस्त करन की व्यवस्था कर दी है । आाशवाणी अंग्रेज़ी, जर्मन, चीनी, बर्मी, उर्दू और हिन्दी भाषा में प्रसारण करता है किन्तु लैटिन अमेरिका के देशों के लिय स्पैनिश भाषा में प्रसारण की कोई व्यवस्था नहीं है ।

†**श्री त्यागी** : क्या यह सच ह कि चीनी भाषा के प्रसारण का कार्य कुछ चीनी नागरिकों को सौंपा गया है जिनकी सिफारिश चीन के वर्तमान चाऊ एन लाई शासन ने की भी थी ?

†**श्री शाम नाथ** : मुझे इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : आकाशवाणी दक्षिण-पूर्व एशिया, पश्चिम एशिया और यूरोप के देशों के लिये कितने प्रसारण करता है, ये प्रसारण कितने घंटे के और किन भाषाओं में होते हैं ?

†**श्री शाम नाथ** : इस सन्म्बध में मुझे कोई जानकारी नहीं किन्तु जहां तक यूरोप, पश्चिम और दक्षिण एशिया का सम्बन्ध है हमन चीन के प्रचार प्रसारण को निरस्त करने की व्यवस्था कर ली है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य प्रसारणों की अवधि, समय और भाषा आदि की जानकारी मांग रहे थे ।

†**श्री शामनाथ** : श्रीमान्, मुझे सूचना चाहिये ।

†**श्री मे० क० कुमारन** : क्या सरकार अन्य देशों के लिये स्पैनिश और रशियन भाषा में प्रसारण करने का इरादा रखती है जो अत्यन्त महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय भाषायें हैं ?

†**श्री शामनाथ** : यह तो कार्यवाही के लिये सुझाव है ।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : चीनी भाषा के प्रसारण चीनी नागरिक करते हैं या भारतीय ?

†**श्री शाम नाथ** : यदि माननीय सदस्य अलग से सूचना दें तो मैं यह जानकारी दे सकूंगा ।

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या यह सच है कि दक्षिण अमेरिका के देश स्वाधीनता की ओर अग्रसर हो रहे हैं और वे भारत जैसे प्रधान प्रजातंत्र देश में किये जा रहे प्रयोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिय उत्सुक हैं; यदि हां, तो सरकार उन्हें सही जानकारी देने में क्यों हिचकती है । उन्हें सही जानकारी दी गई तो उससे स्वतंत्रता के कार्य में सहायता मिलेगी और साथ ही उन पर भारत-विरोधी प्रचार का कोई असर न होगा . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : यह माननीय सदस्य का प्रश्न नहीं वरन् भाषण है ।

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : मैं प्रश्न पूछता हूं । इस बात को देखते हुए कि कुछ देश भारत की प्रतिष्ठा को गिराने का प्रयत्न कर रहे हैं क्या सरकार अब दक्षिण अमेरिका के देशों को सही जानकारी देने के लिये तुरन्त उपाय करना उचित समझती है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : श्रीमान्, माननीय सदस्य ने विचित्र प्रश्न पूछा है । माननीय सदस्य की धारणा है कि सरकार ने दक्षिण अमेरिका के देशों को जानकारी न देने का निर्णय किया है या उसकी राय में जानकारी देना आवश्यक नहीं है । उनकी धारणा बिल्कुल ग़लत है । हम लैटिन अमेरिका के देशों को काफी महत्व देते हैं और इस मामले में हमारी कार्यवाही कुछ सीमित रही हो तो उसका कारण प्रविधिक कठिनाइयां और अन्य बातें हैं । अभी हाल में हमने इन देशों में अपने राजदूत भेजे हैं । अब भी हम अधिकाधिक देशों से सम्पर्क रखने का प्रयत्न करते हैं । इस मामले में हमारी तरफ से कोई हिचकिचाहट नहीं । इसके लिये नीति में परिवर्तन आवश्यक है ।

फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा हिन्दी में प्रमाण पत्रों का दिया जाना

†१६२९. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय राष्ट्र भाषा प्रचार सम्मेलन ने अपनी हाल ही की वर्धा में हुई बैठक में एक प्रस्ताव द्वारा उन के मंत्रालय से तथा फिल्म सेंसर बोर्ड से अनुरोध किया हैं कि हिन्दी फिल्मों को केवल हिन्दी में ही प्रमाण-पत्र दिये जायें ; और

(ख) यदि हां, तो उस अपील पर क्या निर्णय किया गया हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शामनाथ): (क) सरकार के पास कोई जानकारी नहीं हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री गोपाल रेड्डी को क्या कोई इस प्रकार का शिष्टमंडल मिला था और उन्हों ने उन को इस प्रकार का आश्वासन दिया था कि जो हिन्दी के चलचित्र हैं, उनको जो प्रमाणपत्र दिये जाते हैं, वे हिन्दी में ही दिये जायेंगे ?

†**श्री शामनाथ** : हमने इस प्रश्न की जांच कराई थी और उसने हमें सूचित किया कि चूंकि फार्म इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार संविहित रूप से निर्धारित किये गये है इसलिये नियमों में संशोधन किये बिना हिन्दी में प्रमाणपत्र देना संभव नहीं हैं ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मेरा प्रश्न दूसरा था । मेरा प्रश्न यह था कि सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री गोपाल रेड्डी साहब को कोई इस प्रकार का शिष्टमंडल मिला था जिस ने उन से अनुरोध किया था कि हिन्दी के चलचित्रों को जो प्रमाणपत्र दिये जाते है, वे हिन्दी मे ही दिये जायें और मंत्री महोदय ने क्या इसके बारे में कोई अनुकूल आश्वासन दिया था ?

श्री शामनाथ : मैं ने अभी अर्ज किया हैं कि जिस रेजोल्यूशन का हवाला दिया गया हैं उसको हमने बहुत तलाश करने की कोशिश की लेकिन वह रेजोल्यूशन हमें नहीं मिला ।

अध्यक्ष महोदय : रेजोल्यूशन के बारे में वह नहीं पूछ रहे है। जहां तक मैं समझा हूं वह पूछते है कि क्या कोई डेलीगेशन आया था और श्री गोपाल रेड्डी साहब से मिला था और मिनिस्टर साहब ने उनको इसके बारे में कुछ भरोसा दिलाया था ?

श्री शामनाथ : मुझे इस का कोई इल्म नहीं हैं ।

श्री भक्त दर्शन : मैं जानना चाहता हूं कि इस समय फिल्मों को प्रमाणपत्र देने की क्या व्यवस्था है वे किन किन भाषाओं में दिये जाते है ?

श्री शामनाथ : सर्टिफिकेट्स का जहां तक ताल्लुक हैं, वे इंग्लिश में इशू होते हैं ।

श्री रघुनाथ सिंह : जिस रूल का आपने हवाला दिया हैं उसमें संशोधन करने की कोई योजना क्या आप बना रहे हैं ताकि हिन्दी जोकि राष्ट्र भाषा हैं, उसमें भी उनको दिया जा सके ?

श्री शामनाथ : इस सवाल पर गौर हुआ था लेकिन क्योंकि कुछ टैकनीकल डिफिकल्टी थी इसलिए इस सवाल को छोड़ दिया गया । लेकिन हो सकता हैं कि इस पर दुबारा गौर किया जाये ।

श्री रघुनाथ सिंह : पहले मिनिस्टर साहब ने रूल का हवाला दिया और अब कहते है कि टैक्नीकल डिफिकलटी हैं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या टैक्नीकल डिफिकल्टी है या रूल की कोई डिफिकलटी हैं ?

श्री शामनाथ : मैंने अर्ज किया हैं कि इस मामले पर हमने ला मिनिस्ट्री से एडवाइस ली थी और ला मिनिस्ट्री ने यह कहा कि जब तक रूल को एमेंड न किया जाये, उस वक्त तक ऐसा नहीं हो सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने पूछा हैं कि रूल को एमेंड करने का क्या कोई इरादा हैं ?

श्री शामनाथ : मैंने अर्ज किया है कि इस पर गौर किया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

श्री ज० ब० सिंह : मैं भी यही सवाल पूछ रहा था कि . . . .

अध्यक्ष महोदय : अगर यही पूछ रहे थे तो अब पूछने की जरूरत नहीं रही।

†**श्री सिंहासन सिंह** : मिनिस्टर साहब ने कहा हैं कि रूल को एमेंड किये बगैर यह नहीं हो सकता हैं। मैं जानना चाहता हूं कि रूल को एमेंड करने में क्या दिक्कत पेश आ रही हैं और क्या रूल को एमेंड करने की कोशिश हो रही हैं ?

श्री त्यागी : मिनिस्ट्री रूल को एमेंड कर सकती हैं।

अध्यक्ष महोदय : सवाल एक माननीय सदस्य कर रहे है और जवाब भी दूसर माननीय सदस्य दे रहे है, मैं क्या करूं ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : किसी रूल को बदलन में कोई दिक्कत नहीं हो सकती हैं। मैं समझता हूं मिनिस्ट्री इस पर जरूर गौर करेगी।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : जिस तरह से हिन्दी के जो सिनेमा हैं, उन को प्रमाणपत्र देने के संबंध में यह शिष्टमंडल मिला था और उसने मांग की थी कि उनको हिन्दी में ही प्रमाणपत्र दिये जायें, इसी तरह से तमिल, तेलेगू, बंगला आदि जो क्षेत्रीय भाषायें है, उनमें जो सिनेमा तैयार होते है, उन को भी क्या प्रमाणपत्र उन्हीं भाषाओं में दिये जा सकें, क्या इस प्रकार की भी कोई व्यवस्था की जायेगी ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मूझे यह दिक्कत-तलब बात मालूम होती है कि सात आठ दस भाषाओं में अलग अलग प्रमाणपत्र दिये जायें। यकायक तो मेरी समझ में यह काफी दिक्कत-तलब आती हैं।

दिनांक ३१ मई, १९६२ का चीन का नोट

†*१६३०. **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री श्रीनारायण दास :
श्री हेम बरुआ :
श्री भक्त दर्शन :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या प्रस्तावित चीन-पाकिस्तान सीमा वार्ता सम्बन्धी भारत के दिनांक १० मई, १९६२ के नोट के उत्तर में चीन के दिनांक ३१ मई, १९६२ के नोट में नेपाल, सिक्किम और भूटान के उल्लेख की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया हैं ; और

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) जी, हां।

(ख) हमने १० मई, १९६२ के अपने विरोधपत्र में चीन सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया था कि चाहे पश्चिम में या पूर्व में चीन और पाकिस्तान की कोई सीमा एक नहीं हैं और हमने उसको सिद्ध करने के लिये अपनी सीमा पर दो चौकियों का उदाहरण दिया था। यह पूरा पूरा वर्णन नही था लेकिन यह दिखाने के लिये पर्याप्त था कि चीन और पाकिस्तान की कोई सीमा एक नहीं हैं। चीन सरकार ने अपने उत्तर में इस का वह अर्थ लगाया जो हमारे नोट का आशय नहीं था और उससे कुछ ऐसे निष्कर्ष निकाले जिन स नेपाल, सिक्किम और भूटान के साथ हमारे संबंध बिगड़ जायें।

---

†मूल अंग्रेजी में

यह दोहराने की आवश्यकता नहीं कि नेपाल के साथ हमारे संबंध घनिष्ट और स्थायी हैं जो परस्पर की प्रादेशिक अखंडता और प्रभुत्वसंपन्नता के लिये सम्मान पर आधारित है।

भूटान के संबंध में, हमारी विशेष संधि है और भूटान सरकार की प्रार्थना पर हमने कई बार चीन सरकार के साथ ऐसे मामलों पर विचार विमर्श किया है जैसे भूटान पर चीन का आक्रमण, चीनी विमानों द्वारा भूटान की आकाशसीमा का उल्लंघन और तिब्बत में भूटान के हितों का संरक्षण।

सिक्किम के बारे में हमारी स्थिति बिलकुल स्पष्ट है। सिक्किम की रक्षा और वैदेशिक संबंध के लिये भारत सरकार ही पूर्णतः उत्तरदायी है और किसी विदेशी शक्ति को सिक्किम में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : १० मई के भारत के नोट का उत्तर देते हुए चीन ने अपने नोट में कहा हैं कि नेपाल, सिक्किम और भूटान का कोई अस्तित्व नहीं है। क्या यह चीन की दुर्भावना का स्पष्ट उदाहरण नहीं है और क्या सरकार के पास यह सिद्ध करने के लिये और कोई जानकारी है कि उनका यह कथन उनकी इस भीतरी चाल का प्रतीक है कि 'मुक्ति' शब्द के चीनी अर्थ से इन प्रदेशों को मुक्त किया जाये, और यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : सरकार की तुरन्त प्रतिक्रिया यह है कि यह सवाल इतना पेचीदा है कि समझना मुश्किल है। आगे माननीय सदस्य ने जो निष्कर्ष निकाले हैं उनका कोई औचित्य नहीं है। मैं नहीं जानता और न मुझे याद है कि चीनी नोट में ऐसा कोई वाक्य है कि नेपाल भूटान और सिक्किम का अस्तित्व नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : कुछ समाचारपत्रों ने यह खबर दी और यह मतलब लगाया कि चीन के अनुसार भुटान आदि मौजूद ही नहीं हैं।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं नहीं जानता कि यह खबर कहां आई है। मैं सभी अखबार नहीं पढ़ता। चीन या समाचारपत्रों या माननीय विरोधी सदस्य जो कोई भी हो, इस तरह की बात कहना बिलकुल बेहूदी बात है। उन्होंने नेपाल के साथ संधि की है। क्या वह संधि उसके साथ की गई है जिसका अस्तित्व ही नहीं है ?

†**श्री हरि विष्णु कामत** : प्रधान मंत्री ने हमारे सवाल को गलत समझा है। क्या मैं यह स्पष्ट कर सकता हूं कि अखबारों के समाचारों के अनुसार चीनियों ने भारतीय नोट के उत्तर में यह कहा है कि नेपाल, भूटान और सिक्किम का अस्तित्व नहीं है। क्या यह चीनियों के इस आशय का स्पष्ट प्रमाण नहीं है कि "मुक्ति" शब्द के चीनी अर्थ में इन प्रदेशों को मुक्त करना चाहते हैं और फिर उन्हें विशाल चीनी साम्यवादी साम्राज्य में मिलाना चाहते हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : चीन का वह आशय है या नहीं यह हमारी सरकार या प्रधान मंत्री कैसे बता सकते है ?

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या यह दिखाने के लिये उसके पास कोई जानकारी या समाचार हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : चीन ने अपने नोट में यह कहा है कि चूंकि भारत ने केवल पात-बिन्दुओं, न कि मध्यवर्ती, का उल्लेख किया है इसलिये भारत यह सोचता है कि नेपाल का अस्तित्व नहीं है। उसने नकारात्मक रूप से हम पर यह आरोप लगाया है कि नेपाल का अस्तित्व नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

वास्तव में उस का कोई अर्थ नहीं हैं। मुझे मालूम नहीं कि चीन का वह नोट किस ने तैयार किया था।

†अध्यक्ष महोदय : श्री हेम बरुआ।

†**श्री हेम बरुआ** : इस तथ्य को देखते हुए कि दिल्ली में २५ अप्रैल, १९६० को श्री चाउ-एन-लाई के संवाददाता सम्मेलन के चीनी सरकारी बयान में "संबंध" के पहले चीनियों ने "उचित" शब्द जोड़ा हैं, क्या सरकार यह मान कर तो नहीं चलेगी कि चीन सिक्किम और भूटान की समस्या को और नया रूप देने पर तुला हुआ है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : चीनी भाषा का अनुवाद करना कठिन हैं। मैं नहीं जानता कि चीनी भाषा में कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है।

†**श्री हेम बरुआ** : लेकिन यह टेप रिकार्डर से स्पष्ट कर दिया गया था।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू**: लेकिन चीनी वक्तव्यों के बारे में हमारा अनुभव यह हैं कि सामान्यतया वे बहुत सावधानी से तैयार किये हुए होते हैं, जिन के एक से अधिक अर्थ निकल सकते हैं। वे बिल्कुल ठीक ठीक नहीं होते। इस का कुछ और मतलब भी हो सकता है, "उचित" शब्द का क्या मतलब है मैं नहीं जानता। जहां तक हमारे सम्बन्धों की बात हैं, भूटान और सिक्किम के साथ वे बिलकुल स्पष्ट हैं और कई बार चीनी सरकार ने हमें आश्वासन दिया हैं कि वह भूटान और सिक्किम के साथ हमारे संबंधों को मानता हैं।

†**श्री हेम बरुआ** : उन्हों ने अपने आखिरी नोट में सिक्किम और भूटान के साथ हमारे संबंधों को शक्ति विषयक अतिराष्ट्रीयता बताया हैं।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं नहीं जानता।

श्री भक्त दर्शन : पिछले दो तीन वर्षों स चीन सरकार के साथ जो पत्र व्यवहार हो रहा हैं उस में चीन सरकार ने अपना यह दृष्टिकोण बतलाया हैं कि वह सिक्किम और भूटान में हमार विशेषाधिकारों को स्वीकार करेंगे। अब इस नये परिवर्तन के फलस्वरूप क्या सिक्किम और भूटान की सुरक्षा के वास्ते पहले की बनिस्बत कुछ बड़े कदम उठाये जायेंगे।

श्री दिनेश सिंह : वहां सुरक्षा के लिये पूरा इन्तजाम है।

†**श्री हरिविष्णु कामत** : क्या सरकार अब भी माननीय प्रधान मंत्री की उस घोषणा पर दृढ़ है जो उन्होंने दो साल पहले की थी कि भूटान या नेपाल या शायद सिक्किम पर भी कोई आक्रमण भारत के विरुद्ध आक्रमण समझा जायेगा और उसी तरह उस का मुकाबला किया जायेगा ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जी हां। नेपाल और भूटान के सम्बन्ध में स्थिति बिलकुल भिन्न हैं। यह स्पष्ट हैं कि हम नेपाल पर किसी प्रकार के आक्रमण को, यदि प्रत्यक्ष रूप से नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से, भारत के विरुद्ध आक्रमण समझेंगे लेकिन यह नेपाल सरकार को निश्चय करना होगा कि उन परिस्थितियों में क्या किया जाये। हम नेपाल सरकार की इच्छा के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर सकते। लेकिन भूटान ने, जैसा कि मैं ने इस प्रश्न के उत्तर में बताया है, अपना मामला चीन के सामने रखने के लिये हम से बराबर कहा हैं। वह भूटान की रक्षा में हमारे बहुत बड़े हित को समझता है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री शिवाजी राव शं० देशमुख** : क्या यह सच है कि सब से नये चीनी नोट में नेपाल, भूटान और सिक्किम के बारे में अभी हाल का उल्लेख हिन्द-चीन सीमा विवाद को एक ओर तो चीन के बीच और दूसरी ओर नेपाल, भूटान तथा सिक्किम के बीच सीमा विवाद समझने की चीन की आतुरता से उत्पन्न हुआ है ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : वह सवाल मेरी समझ में नहीं आया । हिन्द चीन का क्या मतलब ? क्या उस का मतलब दक्षिण पूर्व एशिया है ?

†**श्री हेम बरुआ** : भारत-चीन ।

†**श्री शिवाजी राव शं० देशमुख** : भारत और चीन ।

†**अध्यक्ष महोदय** : जो वह जानना चाहते हैं वह एक राय हैं । और वह कैसे उत्पन्न हुई । यह जानकारी प्राप्त करने का सीधा प्रयत्न नहीं हैं ।

उत्तर वियतनाम का भारत पर अमरीका के प्रति पक्षपात का आरोप

†*१६३१. { **श्री राम हरख यादव** :
श्री बड़े :
श्री ब्रजराज सिंह :
श्री ब्र० जी० सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में उत्तर वियतनाम के महावाणिज्यिक दूतालय ने एक नोट परिचालित किया है जिस में भारत पर नुक्ताचीनी की गई है और उस पर अमरीका के प्रति पक्षपात करने का आरोप लगाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) वियतनाम लोकतंत्रात्मक गणराज्य के नई दिल्ली स्थित महावाणिज्यिक दूतालय ने दिनांक ८ जून, १९६२ के अपने प्रचार बुलेटिन में वियतनाम सरकार की तथाकथित घोषणा प्रकाशित की है जिस में अन्तराष्ट्रीय पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण आयोग के भारतीय और कनाडा के प्रतिनिधियों द्वारा किये गये निर्णयों की आलोचना की गयी हैं । ये निर्णय उस रिपोर्ट में उल्लिखित हैं । जिसे आयोग ने १९५४ के जेनेवा सम्मेलन के सह-अध्यक्ष को प्रस्तुत की थी ।

(ख) वियतनाम लोकतंत्रात्मक गणराज्य के नई दिल्ली स्थित महावाणिज्यिक दूतालय ने अपनी सरकार का राजकीय वक्तव्य प्रकाशित किया है और इसलिये इस मामले में भारत सरकार का कोई कार्यवाही करने का विचार नहीं है ।

†**श्री बड़े** : क्या यह सच है कि उत्तर वितयनाम के महावाणिज्यिक दूतने पिछले साल भी दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में दक्षिण वियतनाम में कम्युनिष्ट कार्यवाहियों के संबंध में भारतीय नीति की आलोचना की थी ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : महावाणिज्यिक दूत ने पिछले साल भारत की या भारतीय नीति की आलोचना की थी या नहीं वह मुझे याद नहीं हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री बड़े** : क्या यह सच हैं कि दक्षिण वियतनाम में कम्युनिष्ट कार्यवाहियों के सम्बन्ध में भारतीय नीति के कारण उत्तरी वियतनाम के प्रायः सभी भारतीय स्थायी रूप से दक्षिण वियतनाम में चले गये है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : उत्तरी वियतनाम में बहुत ही थोड़े भारतीय हैं। हो सकता है कि कुछ थोड़े लोग गये हों। बड़ी संख्या में कोई नहीं गये हैं।

†**श्री हेम बरुआ** : पहले एक बार आप ने यह कहा था कि जब तक अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग "समान रूप से सभी की" आलोचना करता है —क्योंकि वे आप ही के शब्द थे। तब तक सब कुछ ठीक है। अब यह प्रक्रिया क्यों उलट दी जा रही है और दोष लगाया जा रहा है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : प्रक्रिया के विपरीत कुछ नहीं किया जा रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय आयोग जो भी पूछ ताछ कर सकता था उस के बाद उस ने अपनी राय दी कि कुछ मामलों में उत्तर वियतनाम सरकार ने जेनेवा समझौते का पालन नहीं किया है और कुछ दूसरे मामलों में, दक्षिण वियतनाम सरकार ने उसका पालन नहीं किया है। उस ने इन चीजों के बार में अपनी राय जाहिर की है और उस के सम्बन्ध में कुछ ब्यौरे बताये हैं।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या यह सच नहीं हैं कि सन्धि आयोग के भारतीय और कनाडा के सदस्यों ने दक्षिण वियतनाम में उत्तर वियतनाम के लोगों की तथाकथित कार्यवाहियों के बारे में कुछ निन्दा-जनक बातें कहीं है जब कि इस आशय की दूसरी शिकायतों की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है कि १९५४ के जेनेवा समझौते का उल्लंघन कर दक्षिण वियतनाम में एक पूरा अमरीका सैनिक कमान स्थापित किया गया है; और क्या यह सच नहीं है कि उत्तर वियतनाम सरकार ने जो वक्तव्य परि-चालित किया है उस में उस सरकार की आपत्ति का वही आधार है ? इस बारे में सरकार की क्या राय है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यदि वह आधार हो तो में उसे ठीक नहीं समझता। मैं ने वह प्रलेख ध्यान से अभी पढ़ा नहीं है, वह अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है, लेकिन जो भाग मैं ने पढ़े हैं और जो मुझे याद है वह यह है कि दक्षिण वियतनाम की ओर से संयुक्त राष्ट्र संघ और अमरीकी सेना के हस्तक्षेप की उन्हों ने बहुत बड़ी निन्दा की है।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या प्रधान मंत्री अब भी अपने उस वक्तव्य में विश्वास करते है और उसे दोहराते हैं जो उन्हों ने कुछ दिन पहले उत्तर और दक्षिण वियतनाम के शांतिपूर्ण एकीकरण के बारे में की हुई बतायी जाती है, और क्या वह समझते हैं कि यह परस्पर दोषारोप ऐसे शांतिपूर्ण एकीकरण के मार्ग में बाधक हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : हां, यह सभी चीजें बाधक होती हैं, यह सारी लड़ाई और उस के पीछे की सारी बातें रुकाटव पैदा करती हैं।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या प्रधान मंत्री अपनी घोषणा पर दृढ़ हैं जो उन्होंने वियतनाम के एकीकरण के बारे में कुछ दिन पहले की थी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न।

दिल्ली में भवन-निर्माण मजदूरों की हड़ताल

†*१६३२. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ६००० भवन-निर्माण मजदूरों ने हड़ताल कर दी है क्योंकि अधिक

---

†मूल अंग्रेजी में

मजूरी की उन की मांग ठेकेदारों ने पूरी नहीं की थी और दिल्ली की अधिकांश बस्तियों में मजदूरों की हड़ताल के फलस्वरूप १ जून, १९६२ से भवन-निर्माण कार्य बन्द हो गया है; और

(ख) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है या करेगी ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी हां।

(ख) १३-६-६२ को हड़ताल समाप्त कर दी गयी है। मजूरी की न्यूनतम दरों पर विचार करने के लिये न्यूनतम मजूरी मंत्रणा समिति स्थापित करने के प्रस्ताव पर दिल्ली प्रशासन विचार कर रहा है।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि इस कमेटी में कौन कौन से मेम्बर होंगे ? क्या कोई केन्द्रीय सरकार का भी अधिकारी होगा या सिर्फ दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के ही अधिकारी होंगे ?

श्री हाथी : दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी ही इस के मेम्बर होंगे।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि उन्हों ने जो मेमोरेंडम मंत्री जी को भेजा था उस में कौन कौन सी बातें प्रस्तुत की गयी थीं ?

श्री हाथी : मैमोरेंडम तो नहीं भेजा गया था लेकिन उन की जो मांग थी वह यह थी कि उन के वेजेज बढ़ाये जायें।

श्री दी० चं० शर्मा : मैं पूछना चाहता हूं जनाब से कि उन को कितनी वेजेज मिल रही हैं और उन की मांग कितने बढ़ाने की हैं ?

श्री हाथी : उन को इस वक्त दो रुपया रोज मिल रहा हैं। वह इस से ज्यादा चाहते है। यह उन्होंने नहीं बतलाया कि कितनी चाहते है।

†**श्री भागवत झा आज़ाद** : क्या यह सच है कि उन को इस समय जो मजदूरी मिल रही है वह और लोगों को इस काम के लिये मिल रही न्यूनतम मजदूरी से कम है ?

†**श्री हाथी** : वे ऐसा कहते हैं ?

†**श्री भागवत झा आज़ाद** : सरकार की क्या राय हैं ?

†**श्री हाथी** : मजूरी सम्बन्धी समिति इस बात की जांच करेगी।

†**श्री ख्याल्लाल शर्राफ** : क्या सरकार दक्ष, अर्द्ध दक्ष और अदक्ष मजदूरों की मजूरी का पुनरीक्षण करने की सोच रही है ?

†**श्री हाथी** : यह तो मुख्यतः अदक्ष कर्मचारियों के लिये है।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, दिल्ली प्रशासन के द्वारा मजदूरों के बारे में जो अध्ययन किया जा रहा है वह क्या केवल न्यूनतम वेतन निर्धारित करने के बारे में है या उनको और सुविधाएं, जैसे मकान आदि के सुविधाएं, देने के बारे में भी विचार किया जायेगा ?

श्री हाथी : अभी जो प्रश्न है वह खाली मिनिमम वेजेज के बारे में ही हैं।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : श्रीमन्, क्या मैं जान सकता हूं कि यह देखते हुए कि इन मजदूरों का दिल्ली के निर्माण में बहुत बड़ा हाथ है और आज कल की परिस्थितियों को देखते हुए मंत्री

---

†मूल अंग्रेजी में

महोदय स्वयं यह अनुभव नहीं करते कि उनको जो वेतन मिल रहा है, उससे ज्यादा मिलना चाहिए।

श्री हाथी : इसी लिए तो कमेटी नियुक्त की गयी है।

†**डा० मेलकोटे :** क्या सरकार इस क्षेत्र में, जिसमें न्यूनतम मजूरी १० वर्ष से पहले निर्धारित की गई थी, मजूरी का पुनरीक्षण करने का इरादा रखती है ?

†**श्री हाथी :** मजूरी का पुनरीक्षण ५ वर्ष पहले किया गया था।

श्री प्रिय गप्त : क्या मंत्री महोदय बताने की कोशिश करेंगे कि यह जो कमेटी बिठायी गयी है इसकी टर्म्स आफ रफेरेंस क्या हैं, यह किस आधार पर निर्णय करेगी और जांच करेगी, कब तक इसका रिजल्ट निकलेगा, और लेबर कानफरेंस में जो बुनियादी तनखाह के बारे में निर्णय किया गया है उसी के बेसिस पर निर्णय किया जायेगा या किसी और आधार पर ?

श्री हाथी : दिल्ली में जो कास्ट आफ लिविंग है उसको देख कर तै करेंगे।

श्री प्रिय गुप्त : मेरे सवाल का पूरा जवाब नहीं आया।

अध्यक्ष महोदय : आपने इतने सवाल किये हैं कि उन सब का जवाब देना मुश्किल है।

श्री बड़े : इसका जवाब नहीं दिया गया कि उस कमेटी की टर्म्स आफ रफेरेंस क्या है।

अध्यक्ष महोदय : जब मैं ने श्री बड़े साब को बुलाया तो वह खड़े नहीं हुए और जब मैं आगे चला गया तो आप मौका चाहते हैं ?

श्री बेरवा : क्या मैं जान सकता हूं कि लेबर का कोई गवर्नमेंट का शिड्यूल्ड रट है ?

श्री हाथी : मैं ने कहा कि दो रुपया है।

श्री बड़े : इस कमेटी के टर्म्स आफ रफेरन्स क्या है इसका जवाब दिया जाये ?

श्री हाथी : टर्म्स आफ रेफरेंस नहीं हैं। जिन लोगों ने स्ट्राइक किया था अभी तो उनको बुलाया गया है और उनसे कहा गया कि गवर्नमेंट उनके लिए मिनिमम वेजेज निर्धारित करने के लिए एक कमेटी नियुक्त करेगी। और प्राइवेट कंट्रेक्टर्स ने कुछ बढ़ा भी दिया है।

श्री सिद्धान्ती : यह कमेटी कब तक फैसला कर लेगी ?

श्री हाथी : कुछ समय लगेगा।

श्री सिद्धान्ती : वह अवधि कितनी है ?

श्री शिव नारायण : मैं जानना चाहता हूं कि इस लेबर के लिए जिसको मिनिमम वेजेज दी जाती है क्या सरकार की तरफ से कोई सस्ते गल्ले की दुकान भी है जिससे उनको सस्ता गल्ला मिलता हो ?

श्री हाथी : जी नहीं, दिल्ली में तो ऐसा नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

औद्योगिक तथा आयात लाइसेंस

†*१६३३. **श्रीमती सरोजिनी महिषी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार औद्योगिक तथा आयात लाइसेंस देने की प्रक्रिया को सरल बनाने के प्रश्न पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो विलम्ब को दूर करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ६८]**

†**श्रीमती सरोजिनी महिषी** : क्या सरकार को यह बात मालूम है कि उद्योगों और आथातों के लिये लाइसेंस जारी करने में विलम्ब होने के कारण बहुतेरे लोगों को हानि उठानी पड़ी ?

†**श्री मनुभाई शाह** : इस प्रकार की सामान्य शिकायत है । किन्तु सभा इस बात को अनुभव करेगी कि २५०० प्रार्थना पत्रों में से केवल ३५० लम्बित हैं । आयात लाइसेंसों के लिये अर्जियां २ लाख से ज्यादा थी जिन में से १४०० सामान्यतः लाइसेंस अवधि की समाप्ति पर लम्बित रहती हैं । निपटारों की तुलना में लम्बित की संख्या बहुत कम हैं ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या विदेशी मुद्रा की स्थिति के सम्बन्ध में वित्त मंत्री का हाल का वक्तव्य आयात पर्मिटों के लिये कुछ कठिनाई पैदा करेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह** : केवल मात्र कठिनाई जिस के होने की संभावना है, मूल्य में कमी होना है संख्या में नहीं ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या सरकार ने यह निश्चय कर लिया है कि क्या विलम्ब को दूर करने लिये किये गये उपाय प्रभावशाली रहे है और यदि नहीं तो वे विलम्ब और कठिनाइयों को हटाने लिये और किन अन्य उपायों का विचार कर रहे हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : माननीय सदस्य अनुभव करेंगे कि मैं ने विवरण में सब उपाय बता दिये है । यह लगातार चलने वाला काम है । जब कभी किसी विशिष्ट बड़ी कठिनाई की सूचना सरकार को दी जाती है या हम स्वयं तरीकों का अध्ययन करते हैं और देखते हैं कि कोई विशिष्ट बात अनावश्यक या फजूल हैं हम उस बाधा को हटा देते हैं । विवरण में उपायों की एक लड़ी बताई गई है ।

†**श्री त्यागी** : जैसा कि प्राक्कलन समिति ने पिछली बार बताया था सरकार ने बहुत से बिचोलियों को मान्यता दी है जो विकास कक्ष में काम करते थे और जिन को इन लाइसेंसों आदि के सम्बन्ध में अफसरों के साथ बातचीत करने का अधिकार दिया गया था । क्या वह प्रथा अभी भी जारी है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : हमारा ऐसा कोई मान्य या दूसरा तरीका नहीं रहा और न हो सरकार ने बिचोलियों के किसी संघ को मान्यता दी है । यह सच है कि वहां कुछ समाज विरोधी तत्व हैं

†मूल अंग्रेजी में

जैसा कि प्रत्येक समाज में होते हैं जो किसी प्रकार के अभिकर्ता होने का दावा करने का प्रयत्न करते हैं किन्तु विधि में उनका कोई स्थिति नहीं और न हो हम ऐसे व्यक्तियों को मान्यता देते है और न ही उन के द्वारा कोई लाइसेंस दिये जाते हैं।

†**श्री श्यामलाल शर्राफ** : क्या सरकार को मालूम है कि कई बार राज्यों के उद्योग निदेशकों पर स्तर अनावश्यक विलम्ब हो जाता है और यदि हां तो क्या भारत सरकार इस मामले की जांच करने तथा इस बात के लिये तैयार हैं कि उस स्तर पर लाइसेंसों की अर्जियों का शीघ्र निपटारा किया जाये ?

†**श्री मनुभाई शाह** : मुझे प्रसन्नता है कि माननीय सदस्य निजी सूचना के आधार पर कह रहे हैं क्योंकि जम्मू तथा काश्मीर राज्य में उद्योग विभाग के प्रभारी रहे हैं। किन्तु हमेशा ऐसा नहीं होता कि राज्य सरकारों का दोष हो। कभी कभी उपक्रमी भी औपचारिकतायें पूरी नहीं करता। कभी कभी विलम्ब हमारी ओर से होता है। यह एक पेचीदा ढांचा है जो बहुत से स्थानों पर विलम्ब करता है। किन्तु जहां तक सम्भव हो सके अधिकाधिक स्थानों पर बाधाओं को हटाने का हमारा प्रयत्न सतत रहता है।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : आयात लाइसेंसों के मामले में अधिक लाइसेंस देने को रोकने के क्या उपाय किये जा रहे हैं ? क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया गया है कि ४५० करोड़ रुपये की राशि समूची तीसरी योजना में गैर सरकारी क्षेत्र के लिये आयात लाइसेंसों के लिये आवंटित की गई थी और तीसरी योजना क पहले वर्ष में ही ४०० करोड़ रुपये के लाइसेंस जारी किये गये थे।

†**श्री मनुभाई शाह** : ये आंकड़े सर्वथा सही नहीं हैं। अधिक लाइसेंस देना केवल इस कारण रोका जाता है कि योजना के लक्ष्यों पर कई बार चर्चा और विचार किया जा चुका है, उनके तय होने से पूर्व, और लक्षित क्षमता के अन्दर उद्योगों को लाइसेंस दिये जाते हैं। यदि किसी विशिष्ट कारण से वृद्धि या राष्ट्रीय अग्रेतर में तीसरी या बाद की योजनाओं में परिवर्तन किया जाता है, तो हम मामले पर पुनर्विचार करेंगे और लक्ष्य को या बढ़ायेंगे या घटायेंगे। लक्ष्यों के अन्तर्गत ही समूचा काम किया जाता है। गैर सरकारी क्षेत्र के लिये न तो कोई पक्का आवंटन किया गया था और न ही माननीय सदस्य द्वारा बताये गये आंकड़े सही है।

†**श्री मे० क० कुमारन** : मुदालियर समिति की सिफारिशों की दृष्टि से, क्या सरकार ने विविध मदों के लाइसेंस देने के काम का विकेन्द्रीकरण करने का कदम उठाया है ? अखबारी कागज के सम्बन्ध में, क्या उन्होंने मुदालियर समिति की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है ? दूरस्थ स्थानों से प्रकाशित समाचारपत्रों की कठिनाइयों की दृष्टि से, क्या सरकार स्थिति पर पुनर्विचार करेगी और मुदालियर समिति की सिफारिशों को स्वीकार करेगी ?

†**श्री मनुभाई शाह** : मुदालियर समिति राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था के सर्वथा भिन्न प्रसंग में सिफारिशें की हैं। तदुपरांत, बाद में महीनों में, जैसा कि सभा को पता है, और अधिक कठिन स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसलिये अग्रेतर विकेन्द्रीकरण करना नहीं चाहती।

†**श्री पु० र० पटेल** : क्या यह रोकने के लिये कि आयात लाइसेंस किन्हीं अन्य लोगों को बाजार में बेचे जाते हैं या उन का दुरुपयोग किया जाता है, सरकार का कोई अभिकरण है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मनुभाई शाह :** अधिकतर विधि के अधीन, अर्थात् समद्र सीमा शुल्क अधिनियम तथा भारतीय प्रशुल्क अधिनियम के अन्तर्गत, लाइसेंसों का हक हस्तांतकीय नहीं होता किन्तु यदि कुछ लाइसेंस बेचे जाते हैं, और हमें उस की सूचना मिलती है, जैसा कि मैं ने इस मामले पर सभा के सामने एक विवरण रखा हैं, उन लोगों को सूची से निकाल दिया जाता है और कई लोगों को सूची से निकाला जा चुका हैं, तथा कई लोगों का श्रेणी घटाई गई है, कुछ वर्षों के लिये उनको कोई आयात लाइसेंस नहीं मिलते, और विधि के अधीन और बहुत से दूसरे दंड भी दिये जाते है ।

श्री तुलसीदास जाधव : ऐप्लीकेशन देने के कितने दिन बाद यह लाइसेंस मिलता है ? इसके लिये क्या कोई रूल है कि ऐप्लीकेशन देने के इतने दिन बाद लाइसेंस मिल जाना चाहिये ?

श्री मनुभाई शाह : जहां तक इंडस्ट्रियल लाइसेंस का ताल्लुक है संसद ने जो विधान पास किया है उस में तीन महीने का टाइम स्टिपुलेट किया गया है । इम्पोर्ट लाइसेंस का जहां तक ताल्लुक है उसका फैसला लाइसेंसिंग पीरियड के अन्दर ही किया जाता है । सबमिशन का टाइम दिया जाता है, कंसिडिरेशन का टाइम दिया जाता है और डिस्पोजल का भी टाइम ला में प्रोवाइड किया गया है ।

तिब्बत में भारतीय व्यापार अभिकरणों के कर्मचारियों की तिब्बती पत्नियां

†*१६३४. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तिब्बत में चीन के अधिकारियों ने भारतीय व्यापार अभिकरणों के कई भारतीय तथा सिक्किम कर्मचारियों की तिब्बती पत्नियों तथा बच्चों को अपने पतियों तथा पिताओं के साथ भारत आने की अनुमति देने से इन्कार कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने व्यक्तियों को अनुमति दिये जाने से इन्कार किया गया है ; और

(ग) सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) :** (क) जी नहीं । चीनी प्राधिकारी आग्रह करते हैं कि तिब्बत में हमारे व्यापार अभिकरणों के भारतीय और सिक्किमी कर्मचारियों की तिब्बती पत्नियां चीनी नागरिक हैं । अतः उन के पास चीनी पारपत्र होने चाहियें और उन्हें भारत लौटने वाले अपने पतियों के साथ जाने की अनुमति दिये जाने से पूर्व, उन को चीनी प्रव्रजन विधियों के अधीन अपेक्षित औपचारिकताओं का पालन करना चाहिये । अभी इस बात का कोई स्पष्ट संकेत नहीं है कि क्या इन तिब्बती पत्नियों को भारत जाने दिया जायगा ।

(ख) छः तिब्बती स्त्रियां ।

(ग) हमने चीनी सरकार से प्रार्थना की थी कि वह इन स्त्रियों को दया भाव के आधार पर अपने पतियों के साथ भारत जाने की अनुमति दे । यदि आवश्यक होगा तो इस सम्बन्ध मे चीनी सरकार से फिर प्रार्थना की जायेगी ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** चीनी प्राधिकारियों के इस फैसले का कुल कितने परिवारों पर प्रभाव पड़ा है और कितने लोगों पत्नियों के बिना भारत लौट आये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : कोई नहीं लौटा ।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या सरकार इस मत से सहमत है कि यह उन पतियों के मानवीय अधिकारों का अतिक्रमण है जिन की पत्नियां उन के साथ आने नहीं दी जातीं ? यदि हां, तो इन पतियों के उन मानवीय अधिकारों को प्रतिष्ठापित करने के लिये वे क्या करने का इरादा करते हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मुझे पता नहीं है कि इस का मानवीय अधिकार चार्टर मे विशेष रूप से वर्णन है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : प्रधान मंत्री ने इस महीने १९ तारीख को सभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा था—कि उन को इन व्यापार अभिकरणों में काम करने वाले तिब्बती कर्मचारियों की किसी गिरफ्तारी का पता नहीं है, जबकि पहले किसी दिन उन के साथी राज्य मंत्री श्रीमती लक्ष्मी मेनन ने बताया था कि पांच तिब्बती कर्मचारी गिरफ्तार हुए हैं जिन में एक कर्मचारी की पत्नी शामिल है । इन दोनों में कौन सी बात सही है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : केवल पत्नियों को पतियों के साथ आने नहीं दिया जाता ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्योंकि वे गिरफ्तार हो गये हैं, वे अपने पतियों के साथ नहीं आ सकतीं ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मुझे पता नहीं कि कोई पत्नियां गिरफ्तार की गई हैं, न ही चीनियों ने निश्चित रूप से यह कहा है कि वे अपनी पतियों के साथ नहीं आ सकतीं । उन्हों ने यही कहा है कि वे चीनी राष्ट्रजन हैं, और उन को चीनी विनियमों का अवश्य पालन करना होगा । यह हो सकता है कि वे पारपत्र आदि प्राप्त करने के पश्चात् उन को आने दिया जाय और ऐसा भी हो सकता है कि उन को आने न दिया जायेगा । इस का कोई निश्चित उत्तर नहीं दिया जा सकता ।

कौन कब गिरफ्तार किया गया है, मैं मानता हूं कि मैं इस बारे में कोई बात सीधे नहीं कह सकता । किन्तु मेरी धारणा यह है कि इस मामले में बहुत ही कम गिरफ्तारियां हुई हैं ।

†**श्री प्रिय गुप्त** : क्या प्रधान मंत्री यह बतायेंगे कि क्या ऐसे मामलों में ऐसे स्थानों पर केवल अविवाहित लोग ही रखे जायेंगे या विवाह से पूर्व वधुओं के परिचयपत्र उन देशों की सरकारों से प्राप्त किये जायेंगे, जहां वे तैनात किये जाते हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह सुझाव है ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या चीनी सरकार को यह आश्वासन देने का सरकार का विचार है कि इन पत्नियों को यहां आने की अनुमति देने के पश्चात् भी वे चीनी राष्ट्रजन रहेंगी ?

†**श्री दिनेश सिंह** : चीनी उन को अपने नागरिक मानते हैं और जब तक वे अपनी राष्ट्रीयता नहीं बदलतीं, वे ऐसी ही मानी जाती रहेंगी ।

कारखाना अधिनियम, १९४८ म संशोधन

+

†*१६३५. { **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** :
श्री वी० चं० शर्मा :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री ६ दिसम्बर, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १३३४ के उत्तर

†मूल अंग्रेजी में

के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कारखानों में अधिक अच्छी सुरक्षा व्यवस्था करने के लिये कारखाना अधिनियम, १९४८ में संशोधन करने के प्रस्ताव पर टिप्पणियों की जांच पूरी कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो संसद् में संशोधक विधेयक कब तक पुरःस्थापित हो जाने की आशा है ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है, तो प्रस्ताव की जांच कब तक पूरी हो जाने की आशा है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम-मंत्री (श्री हाथी)** : (क) अभी नहीं ।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता ।

(ग) क्योंकि सुरक्षा संबंधी संशोधन के प्रस्ताव, संशोधन के अन्य कई प्रस्तावों के साथ लिये जा रहे हैं, जिन की कुल संख्या ४५ है, यह ठीक से बताना कठिन है कि प्रस्तावों की जांच कब तक पूरी हो जायगी । टुकड़ों में विधि बनाना उचित नहीं समझा जाता ।

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या सरकार कोई विशेषज्ञ समिति स्थापित कर रही है और यदि हां, तो यह कैसे स्थापित की गई है ?

†**श्री हाथी** : कोई समिति स्थापित नहीं की गई है किन्तु इस का परीक्षण विभागीय तौर पर किया जा रहा है ।

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या यह तथ्य है कि सरकार ने देश में रक्षा उपकरण तैयार करने की योजना स्वीकार कर ली थी और यदि हां, तो कब और देश किस सीमा तक स्वावलम्बी हो जायेगा ?

†**श्री हाथी** : हम ने एक समिति स्थापित की थी और समिति ने विभिन्न उपकरणों के बारे में, जिन की आवश्यकता थी, अपनी रिपोर्ट दी थी । हम उन को देश मे ही बनाने के बारे में वाणिज्य मंत्रालय से अनुरोध कर रहे हैं ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या सरकार इस प्रश्न को इतना महत्वपूर्ण नहीं समझती कि इस को इस या उस समिति को अथवा इस विभाग को अथवा उस विभाग का सौंप कर इस में विलम्ब नहीं किया जाना चाहिये ?

†**श्री हाथी** : निश्चय ही । हम प्रयत्न करेंगे और जितनी शीघ्र संभव होगा करेंगे ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : उपलब्ध नमूनों के आधार पर उत्तम सुरक्षा व्यवस्था के लिये कोई नवीनतम अधिनियम न होने की अवस्था में, क्या यह सही है कि वहां जो इस समय सुरक्षा व्यवस्था है वह समय की आवश्यकता को पूरा करने के लिये काफी नहीं है ?

†**श्री हाथी** : दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ रही है । इसलिये हम दुर्घटनाओं के कारणों की जांच करने और अधिक उपचारिक तथा सुरक्षा उपाय करने के लिये अधिक शक्तियां देना चाहते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

चीन-भारत सीमा विवाद का निबटारा

†*१६३६. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **प्रधान मंत्री** ११ जून, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या १४०१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमा विवाद को निबटाने के लिये चीन को भेजे गये अन्तिम प्रस्ताव में उल्लिखित 'अराजक भूमि' के क्षेत्र पर इस समय वस्तुतः किस का प्रशासनिक प्राधिकार है ; और

(ख) प्रस्ताव पर चीन सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) पश्चिम क्षेत्र में जो क्षेत्र है, जहां से दोनों पक्षों को हट जाना चाहिये, जैसाकि हम ने १४ मई, १९६२ की अपनी टिप्पणी में सुझाव दिया था, वह अधिकतर चीनी सेनाओं के कब्जे में है, केवल दक्षिण के भाग नहीं हैं जो हमारे क्षेत्राधिकार तथा नियंत्रण में हैं ।

इस क्षेत्र में इस रूप में प्रशासन नहीं है, क्योंकि इस के अधिकतर भाग में लोग नहीं रहते ।

(ख) २ जून १९६२ को अपने उत्तर में चीनी सरकार ने बताया है कि उस को हमारी पेशकश उतनी ही अस्वीकृत है जितना कि १९५९ में पहले थी । वे हमारे प्रस्ताव पर तभी विचार करेंगे यदि यह सीमा के पूर्व क्षेत्र पर भी समान रूप से लागू की जाती है । दूसरे शब्दों में, वे चाहते हैं कि भारत पहाड़ी की तराई तक मैकमोहन लाइन के दक्षिण के क्षेत्र से एक साथ हट जाय, जिस पर चीनी अपना दावा करता है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : जब सरकार ने सीमा विवाद के समझौते के लिये चीनी मानचित्रों म दिखाये गये लद्दाख में पश्चिम पंक्ति तक हटने के लिये पेशकश की थी, क्या इस से यह अर्थ नहीं निकलता कि सरकार भारत के विरुद्ध चीनियों के इस आरोप को मानती है कि भारत ने चीनी राज्य क्षेत्र पर आक्रमण किया है ?

†**श्री दिनेश सिंह** : जी नहीं ।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : यदि यह चीनी राज्य क्षेत्र है, तो यह स्वीकृति है । किन्तु जब हम यह नहीं मानते कि यह चीनी राज्य क्षेत्र है, तो यह स्वीकृति नहीं रहती ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : अब जब कि चीनी सरकार ने पेशकश को ठुकरा दिया है, और उसे स्वीकार नहीं किया, क्या पेशकश कायम है या वापिस ले ली गई है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : पेशकश कायम है ।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : इस बात की दृष्टि से कि हमने स्वयं किसी की भूमि नहीं यह बात स्वीकार की है, क्या यह हमारे विरुद्ध निषेध नहीं होगा क्योंकि यह भूमि-नाय दृष्टि से हमारी है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जी नहीं ।

†**श्री हेम बरुआ** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि चीनी ने अपनी इच्छा से हमारी उत्तरी सीमा पर अपने राज्य क्षेत्र की सीमा निश्चित कर ली है, जिसके आधार पर वह भारत के विरुद्ध

---

†मूल अंग्रेजी में

कार्रवाई करने की धमकी देता है, क्या मैं जान सकता हूं कि पेशकश करने की इस नीति का पालन करने में क्या सार है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** क्योंकि पेशकश हमारे लाभ की चीज है ।

चीन द्वारा सीमा मुठभेड़ की धमकी

+

†१६३७. { **श्री भक्त दर्शन :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीन ने २ जून १९६२ को पेकिंग में भारतीय राजदूतावास को एक नोट दिया है जिसमें उसने भारत को चेतावन दी है कि दोनों देशों के बीच किसी भी समय सीमा मुठभेड़ हो सकती है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हाँ । हमने अपने १४ मई १९६२ के जिस नोट में यह प्रस्ताव किया था कि दोनों पक्ष लद्दाख के विवादग्रस्त क्षेत्र से पीछे हट जायें, उसे रद्द करते हुए चीन सरकार ने अपने २ जून १९६२ के नोट में यह धमकी दी कि अगर दौलतबेग ओल्डी के दक्षिण-पूर्व की भारतीय जाँच चौकियाँ न हटाई गईं तो "किसी भी समय सीमा पर मुठभेड़ हो सकती है ।"

(ख) हमने १४ मई १९६२ के अपने नोट में लद्दाख के विवादग्रस्त क्षेत्र से दोनों पक्षों के हट जाने की माँग इस विचार से की थी कि "सीमा पर सशस्त्र मुठभेड़ न हों, लद्दाख के उत्तरी क्षेत्र में अब जो तनाव है, उसमें कमी हो और दोनों सरकारों के बीच सीमा प्रश्न पर शाँतिपूर्ण बात-चीत करने का उचित आधार तैयार हो सके ।" बहरहाल, जाहिर है कि हम धमकियों से भारत की सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं छोड़ सकते । इन परिस्थितियों में हम वे सब आवश्यक उपाय बरतते रहेंगे जिनसे भारतीय प्रदेश की सुरक्षा हो सके और साथ ही उन क्षेत्रों को भी खाली कराया जा सके जो आजकल चीनियों के गैर-कानूनी कब्जे में हैं ।

श्री भक्त दर्शन : सरकार की ओर से इस प्रश्न के उत्तर में जिस दृढ़ता का परिचय दिया गया है, उस के लिए धन्यवाद देते हुए मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इसी आशय का उत्तर चीनी सरकार को दे दिया गया है ।

श्री दिनेश सिंह : उत्तर अभी नहीं दिया गया है । उसके बारे में हम सोच रहे हैं ।

श्री भक्त दर्शन : नये ताज़े चीनी पत्रों में जिस बौखलाहट का प्रदर्शन मिलता है, क्या उससे यह सिद्ध नहीं होता है कि हमने पहले से अधिक दृढ़ता से इस बारे में कदम उठाया है और हमारी सुरक्षात्मक कार्यवाहियाँ ज्यादा सफल हो रही हैं ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : इस से कितनी दृढ़ता मिलती है, उसका अन्दाजा माननीय सदस्य भी कर सकते हैं और मैं भी कर सकता हूं । ये कोई बाकयात तो मुझ से नहीं पूछे गए हैं ।

†**श्री भागवत झा आजाद :** क्या चीन की ओर से विरोध पत्रों के बार बार बढ़ने से न केवल यही संकेत मिलता है कि उनके सुरक्षा के बड़े बड़े उपाय हैं और चीन का दिन प्रति दिन साम्राज्य-शाही का उद्देश्य बढ़ता जा रहा है ?

---

†भूल अंग्रेजी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मुझे पता नहीं । यह अनुमान का विषय है कि यह किस बात का संकेत है । अंशतः दुःख की बात है कि टिप्पणों का बार बार आना जाना लगा हुआ है, वे टिप्पण भेजते हैं, हम उत्तर देते हैं और वे उत्तर देते हैं, अंशतः इसमें कुछ मात्रा में आशंका मिली हुई है ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ**: क्या चीन अकसाई चिन सड़क के उपयोग की अनुमति माँगने की बात को फिजूल कहता है और इससे यह संकेत मिलता है कि चीन इस को सैनिक कार्यों के लिये भी उपयोग में लाने के लिये दृढ़ निश्चय है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू**: चीन निस्संदेह उस अकसाई चिन सड़क को अधिक महत्व देता है और संभवतः इसका उपयोग कर रहा है ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या मैं हाल ही में लन्दन में श्री पौल जौनसन द्वारा बताये गये रूप में हमारे प्रतिरक्षा मंत्री के एक वक्तव्यों की ओर माननीय प्रधान मंत्री का ध्यान आकर्षित कर सकता हूं, जिसमें कहा गया है "कि यदि राजपथ असफल रहे तो सैनिक साधनों का प्रयोग किया जाना चाहिये । और यदि हाँ, तो क्या सरकार ने अब तक उस दिशा में कोई कार्रवाई करने का विचार किया है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : विचार करना ? ऐसे प्रश्न का उत्तर न दिया जा सकता है और न दिया जाएगा । (**अन्तर्बाधाएं**)

†**श्री हेम बरुआ** : क्या सरकार को ऐसे वक्तव्य की जानकारी है ? प्रधान मंत्री यह बता सकते हैं कि सरकार इन तैयारियों को बताने को तैयार नहीं हैं । मैं यह समझ सकता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय**: यदि यह प्रश्न पूछा जाता कि क्या सरकार को ऐसा वक्तव्य दिये जाने की सूचना है, तो उत्तर दिया जा सकता था ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मुझे कुछ अस्पष्ट सा ख्याल है कि मैंने इसे देखा है, हमें इसका पक्का पता नहीं है ।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : क्या इस टिप्पण के बाद कोई सीमावर्ती झगड़ा हुआ है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : नहीं, कोई घटना नहीं हुई है ।

पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में पाकिस्तानी सेनाओं का अवैध प्रवेश

+

†**अल्प सूचना प्रश्न संख्या २२.** { **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
श्री हेम बरुआ :
श्री नाथ पाई :
श्री हरि विष्णु कामत :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल, जलपाईगुड़ी ज़िले के दाईखाता ग्राम में पाक सैनिकों ने न केवल हटने से इन्कार कर दिया है अपितु अपनी मोर्चाबन्दी भी और मज़बूत कर ली है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि यह पाकिस्तान की एक सुनियोजित कार्यवाही का भाग है ताकि वह बेरुबारी क्षेत्र में एकतरफा सीमा-निर्धारण की बात को लाद सके ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या यह भी सच है कि गत मास पश्चिमी दीनाजपुर के अप्तायर गाँव की कुछ भूमि पर पाक सैनिक अपना कब्ज़ा करने में सफल हो गये थे ;

(घ) क्या यह भी सच है कि बेरुबारी सीमा का निर्धारण कार्य इसलिये रुका हुआ है क्योंकि पाकिस्तान ने सीमा-निर्धारण करने वाले भारतीयों की जीवन सुरक्षा का दायित्व लेने से इन्कार कर दिया है जबकि भारत की ओर से उनके व्यक्तियों को पूरी सुरक्षा का आश्वासन दिया गया है ; और

(ङ) यदि हाँ, तो सरकार इस सम्बन्ध में अब क्या निर्णय लेने जा रही है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) पाकिस्तान की हथियारबंद सेनाएं पश्चिम बंगाल, जलपाईगुड़ी ज़िले के दाईखाता गाँव के भाग में घुस आई हैं; हमारी रिपोर्ट से यह मालूम नहीं होता कि उन्होंने अपने मोर्चे मज़बूत कर लिए हैं ।

(ख) हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) और (ङ) चूंकि पूर्व पाकिस्तान सरकार ने हमारे सर्वेक्षण कर्मचारियों की सुरक्षा की गारंटी नहीं दी है, इसलिए बेरुबारी क्षेत्र में औपचारिक रेखांकन का काम रोक दिया गया है । इस मामले पर आगे कार्रवाई की जा रही है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : दाईखाता के जिस भाग में पाकिस्तानी सैनिक चले आए हैं और उन्होंने उस पर अपना अधिकार कर लिया है और पाकिस्तानी झंडा लगा दिया है, क्या यह सत्य है कि आने से पहले उन्होंने भारतीय आर्म्ड पुलिस को चेतावनी दी थी कि २४ घंटे के अन्दर अन्दर भारतीय पुलिस वहाँ से बिना किसी विरोध के हट जाए, खाली करके चली आए और इसके पश्चात् उन्होंने इस क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया ?

श्री दिनेश सिंह : ऐसी कोई चेतावनी नहीं दी । माननीय सदस्य ने जो यह कहा है कि उन्होंने झंडा लगा लिया है, वह झंडा भी उतार दिया है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या मैं जान सकता हूं कि १९४९ में जो नेहरू–नुन पैक्ट हुआ था उस में इस दाईखाता के सम्बन्ध में भी कुछ विशेष बात रखी गई थी कि यह क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिया जाएगा अथवा भारत में रहेगा ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) मुझे नहीं मालूम और न ही कुछ याद है कि इसका ज़िक्र भी हुआ था या नहीं ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या मैंने प्रधान मंत्री का ध्यान १९ जून को पाकिस्तान की राष्ट्रीय असेम्बली में पाकिस्तान के विदेश मंत्री के इस वक्तव्य की ओर दिलाया है कि भारत से आने वाले मुसलमान शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये पाकिस्तान को अधिक क्षेत्र दे और यदि हाँ, तो क्या दाईखाता का यह आक्रमण, अनूबन्धन उस तरीके का एक भाग है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : माननीय सदस्य ने इस प्रश्न का बिलकुल भिन्न अर्थ लगाया है । इसका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है ।

†**श्री हेम बरुआ** : यह बड़ा गंभीर विषय है । उन्होंने ऐसा एक वक्तव्य दिया है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**अध्यक्ष महोदय :** वह बिल्कुल भिन्न बात है । उसका बेरूबाड़ी से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** क्या यह सच है कि पाकिस्तानी बाधा और हठ के कारण बेरूबाड़ी के रेखांकन का काम रोक दिया गया है और यदि हाँ, तो क्या सरकार न पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि जब तक वह बाधा दूर नहीं की जाती, बेरूबाड़ी का पाकिस्तान को हस्ताँतरण न किया जाये ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** इसका उत्तर दिया जा चुका है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** क्या सरकार ने कोई चेतावनी दी है . . . .

†**अध्यक्ष महोदय :** उत्तर यह था कि क्योंकि हम अपने सर्वेक्षण दल को संरक्षण नहीं दे सके . . . .

†**श्री हरि विष्णु कामत :** यदि हां, तो क्या सरकार ने पाकिस्तान को कोई चेतावनी दी है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** हम धमकियां और चेतावनी न देने का प्रयत्न करते हैं । इस मामले में पत्र-व्यवहार किया जाता है और अन्य उपाय किये जाते हैं ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** केवल कागज़ी कार्यवाही ।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :** क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह दाईखाता क्षेत्र कूच बिहार इन्क्लेव के एक भाग के रूप में, जो हमारे जलपाईगुडी जिले से मिला हुआ है, हमारे भारत के कब्जे में रहा है, यदि हां, तो अब पाकिस्तानी अधिकारी किस आधार पर दाईखाता के एक भाग पर दावा करते हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** पाकिस्तान के मामले के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता । मुझे पता नहीं है कि उस पर उनका कोई अधिकार है या नहीं ।

†**श्री त्यागी :** मंत्री जी के उत्तर से पता चलता है कि पाकिस्तानी सशस्त्र बलों ने दाईखाता, जो हमारा क्षेत्र है, पर कब्जा कर लिया है । मैं यह जानना चाहता हूं कि विरोधपत्र भेजने के अतिरिक्त सरकार ने क्या कार्यवाही की है । क्या सरकार उनको हटाने के लिये कोई व्यवहारिक कदम उठायेगी ?

†**श्री दिनेश सिंह :** इस मामले पर विचार करने के लिये जलपाईगुडी के उप आयुक्त ने २० जून को पाकिस्तान के उप आयुक्त से बातचीत की और मामले पर अभी बातचीत की जा रही है ।

†**श्री त्यागी :** इससे एक महत्वपूर्ण प्रश्न निकलता है । बातचीत का क्या मामला है ? यह यह क्षेत्र विवादास्पद है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है कि क्या व्यवहारिक कदम उठाये गये हैं । उत्तर में उन्होंने उठाये गये कदमों के बारे में बताया है ।

†**श्री त्यागी :** इससे एक और प्रश्न निकलता है । उनका कहना है कि बातचीत चल रही है। बातचीत की क्या बात है ? क्या यह क्षेत्र विवादास्पद है ? हमें पूरा विश्वास है कि यह हमारा क्षेत्र है । उनको वहां से हटाया जाना चाहिए ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : इस क्षेत्र को खाली कराने के लिये जो कदम उठाये गये हैं, वह बता दिये गये हैं । यह बात भिन्न है कि माननीय सदस्य इनको पर्याप्त समझें या नहीं ।

†**श्री अ० चं० गुह** : क्या यह सच नहीं है कि इस सारी सीमा अथवा इस प्रदेश के बारे में नेहरू-नून समझौते में फैसला हो गया है, यदि हां, तो इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का क्या दावा है । क्या नेहरू नून-समझौते में इस प्रदेश पर फैसला नहीं हुआ था ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जैसा मैं ने अभी बताया मैं पाकिस्तान के दावे के बारे में कुछ नहीं बता सकता । परन्तु पाकिस्तानी अधिकारी इसको अपना प्रदेश बताता है । हमारे अनुसार यह गलत है ।

†**श्री अ० चं० गुह** : इस पर नेहरू-नून समझौते में फैसला हो गया था ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मुझे याद नहीं है कि किसी विशेष गांव पर बातचीत की गई थी या नहीं । पाकिस्तान ने एक सीमा विवाद उठाया है, चाहे उसका कोई कारण ही न हो । परन्तु यह विवाद का मामला है और सामान्य रूप में इस पर बातचीत की जाती है । जब भी कभी विवाद हुआ, दोनों उप आयुक्त मिलते हैं और बातचीत करते हैं । वे ऐसा कर रहे हैं । उनकी परसों ही बैठक हुई है ।

†**श्री नाथ पाई** : क्या दाईखाता और बेरूबाड़ी में किसी प्रकार का सम्बन्ध है, यदि नहीं, तो क्या यह पाकिस्तान की ओर बेरूबाड़ी पर बाकी विवाद का एकपक्षीय समाधान का प्रयत्न है और यदि यह एकपक्षीय प्रयत्न नहीं है, तो इसको रोकने के लिये हम क्या कदम उठा रहे हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : किसी एकपक्षीय प्रयत्न का कोई प्रश्न नहीं है । हम ने आधे बेरूबाड़ी को देने का निर्णय किया है ।

†**श्री हेम बरुआ** : श्रीमान जी . . . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति, श्री प्रिय गुप्त ।

श्री प्रिय गुप्त : क्या प्रधान मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि दाईखाता की रक्षा करने के वास्ते क्या कोई फौज तैनात थी या नहीं, इस बोर्डर की रक्षा करने के वास्ते तैनात थी या नहीं और जब पाकिस्तान आर्मी ने इस को अपने कब्जे में ले लिया उस वक्त हमारे इन लोगों ने प्रतिरोध किया या नहीं किया और जो सिविल पुलिस है, उसको इसका पता है या नहीं और डेपुटी कमिश्नर ने क्या कुछ किया है और . . . .

अध्यक्ष महोदय : आप कितने सवाल करेंगे ? मैं ने पहले भी आप से कहा है और फिर मैं . . .

श्री प्रिय गुप्त : पाकिस्तानी फौज को कितना समय लगा इस पर अधिकार करने में और हमारी पुलिस या फौज क्या कर रही थी, क्या यह प्रधान मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : इसका जवाब देना कठिन है क्योंकि मैं भूल गया कि शुरू में इन्होंने क्या कहा था ।

श्री प्रिय गुप्त : फिर से बता देता हूं, भूलने की कोई गुंजाइश नहीं रह जायगी . . . .

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री जवाहरलाल नेहरू : सारे सवाल की बुनियाद मुझे गलत मालूम देती है । जाहिर है हमारी फौज है और यह भी जाहिर है कि हमारी फौज या उनकी फौज अगर चाहे तो एक गांव या दो गांव पर कब्जा कर ले । फौज हर कदम पर तो होती नहीं है । इस मामले में एक एक गांव में छोटी छोटी बातें बहसतलब हो जाती हैं अक्सर । बहस गलत हो या सही, लेकिन बहसतलब हो जाती हैं । इस लिये यह तरीका निकाला गया है कि अगर ऐसा कोई वाक्या हो तो आस पास के जो डिप्टी कमिश्नरान हों वे उस के बारे में बातचीत करें और फैसला करें । अगर उन में फैसला नहीं होता तो गवर्नमेंट्स करती हैं । फिर भी अगर न हो तो कोई और कदम उठाये जाते हैं । फौजें नहीं दौड़ती हैं हर बात में ।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : हमेशा छोटी छोटी बातें हमारे लिये होती हैं । जब देखो छोटी छोटी बातें । हम हट जाते हैं, हमारी फौजें हट जाती हैं । जब देखो कब्जा हमारी फौज का हट जाया करता है, और उन की बात हमेशा सही होती है । यह क्या बात है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : आप की गलत इत्तला है, यह बातें नहीं होती हैं ।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य :** जब इस सदन के समक्ष बेरूबाड़ी का प्रश्न आया तो हमें बताया गया था कि बेरूबाड़ी के समर्पण से पाकिस्तान और भारत के बीच उस सीमा पर विवाद समाप्त हो जायेगा और उसी आधार पर यह सभा बेरूबाड़ी के स्वत्वत्याग के लिये राजी हो गई थी । यदि यह ऐसा है, तो क्या मैं जान सकता हूं कि इस क्षेत्र पर कब्जे के लिये पाकिस्तान ने क्या नये आधार बताये हैं ? प्रधान मंत्री जी ने बताया था कि बेरूबाड़ी के स्वत्वत्याग से हमेशा के लिये सीमा विवाद समाप्त हो जायेंगे ।

†**श्री दिनेश सिंह :** माननीय सदस्य ठीक कहते हैं । हमें आशा थी कि जब सीमांकन किया जायेगा, सभी विवाद सुलझ जायेंगे । परन्तु अभी वास्तव में वह सीमांकन नहीं हुआ है । इसीलिये यह सारा झगड़ा है ।

केरल में ट्यबरकुलीन के परीक्षण का परिणाम

+

†**अल्प सूचना प्रश्न संख्या २३.** { **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री उमानाथ :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बी०सी०जी० लेबोरेटरी, गिन्डी में त्रिवेन्द्रम से प्राप्त ट्यूबरकुलीन के नमूने की सांस्कृतिक जांच से पता चला कि नमूने में मिलावट है ;

(ख) क्या यह सच है कि परीक्षण के लिये लेबोरेटरी को त्रिवेन्द्रम से जो नमूना भेजा गया था वह इसकी मूल शीशी में नहीं था ;

(ग) क्या देश में अन्य केन्द्रों से भी, जहां से ट्यूबरकुलीन का वही बैच भेजा गया था, ऐसी ही शिकायतें मिली हैं ; और

(घ) क्या सारे मामले में जांच के लिये कदम उठाये गये हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) :** (क) जी हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) जी, नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) इसके इंजेक्शन विभिन्न बड़ी मात्राओं में छोटे गिनी-पिग को लगाये गये जिससे पता लगा कि उन गिनी-पिग में २४ घंटों के भीतर कोई बुरा असर नहीं पड़ा। ये खुराक मानव खुराक से २००—२००० गुना थी। अग्रेतर जांच की जा रही है और किंग इन्स्टीच्यूट, गिन्डी उस तत्व की खोज कर रही है जिससे ट्यूबरकुलीन दूषित हुई है।

†**श्री अ० क० गोपालन**: क्या स्वास्थ्य मंत्री को यह पता चला है कि बी०सी०जी लेबोरेटरी गिन्डी, के निदेशक ने एक स्पष्टीकरण किया है कि दूषित नमूने की सांस्कृतिक जांच से पता चला कि यह मूल शीशी में नहीं था? क्या स्वास्थ्य मंत्री समाचार पत्रों में प्रकाशित बी०सी०जी० लेबोरेटरी के निदेशक की इस रिपोर्ट से इन्कार करते हैं?

†**डा० सुशीला नायर**: मैं बता चुकी हूं कि इसमें मिलावट थी और शीशी भी दूसरी थी। परन्तु मुझे लगता है कि दूषित औषधि बहुत गंभीर नहीं थी क्योंकि मनुष्य को दी जाने वाली खुराक से २००० गुना ज्यादा खुराक का गिनी-पिग पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा।

†**श्री अ० क० गोपालन**: मैं यह प्रश्न इसलिये पूछ रहा हूं क्योंकि इस विवरण से केरल सरकार के इस प्रेस नोट का, कि मिलावट का कोई प्रश्न नहीं है और यह केवल बी०सी०जी० आन्दोलन को ढीला करने के उद्देश्य से प्रचार मात्र है, खंडन होता है। उस ही समाचार पत्र में बी०सी०जी० के निदेशक की भी एक रिपोर्ट के बारे में लिखा है कि मिलावट है, यद्यपि यह गंभीर नहीं है, और शीशी बदली हुई है। मैं यह जानना चाहता हूं कि दोनों रिपोर्टों में से कौन सी ठीक है और क्या केरल सरकार और एन० सी०जी० लेबोरेटरी के निदेशक द्वारा दी गई भिन्न रिपोर्टों की जांच की जायेगी क्योंकि यह गंभीर मामला है जिसका बहुत व्यक्तियों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है।

†**डा० सुशीला नायर**: मैं समझती हूं कि जब केरल सरकार ने यह वक्तव्य दिया तब इस मिलावट का पता न चला हो और उन्होंने समझा हो कि इसमें मिलावट नहीं है। तथापि, जब हमने नमूनों को परीक्षण के लिये गिन्डी भेजा तो हमें इसमें मिलावट का पता चला और शीशी भी बदली हुई थी। मैं बता चुकी हूं कि अब तक यह रोगोत्पादक सिद्ध नहीं हुई है।

†**श्री अ० क० गोपालन**: १२ तारीख को केरल सरकार ने प्रेस नोट जारी किया था और १३ तारीख को बी०सी०जी० लेबोरेटरी के निदेशक ने यह वक्तव्य दिया कि यह सच नहीं है कि इसमें मिलावट, है परन्तु इसमें मिलावट है। यह इस बात को बताने के लिये स्पष्टीकरण था कि केरल सरकार ने जो कुछ कहा वह ठीक नहीं है। उसी दिन यह नहीं कहा गया परन्तु अगले दिन यह कहा गया था।

†**अध्यक्ष महोदय**: मंत्री महोदय ने यही बताने का प्रयत्न किया है कि सम्भवतः सरकार ने उस समय यह नहीं समझा अथवा उसको यह सूचना नहीं मिली कि इसमें मिलावट है परन्तु बाद में पता चला कि इसमें मिलावट है। इसको मंजूर किया जा रहा है।

†**श्री अ० क० गोपालन**: भिन्न वक्तव्यों को ध्यान में रखते हुए, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस बात का पता लगाने के लिये, कि क्या इसमें मिलावट थी और यदि हां, तो किस स्थान से पूरी जांच की जायेगी?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० सुशीला नायर :** मैंने बताया है कि इस मामले में गिन्डी संस्था जांच कर रही है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

व्यापार बोर्ड

†*१६२२. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में एक व्यापार बोर्ड बनाया गया है ; और

(ख) इस बोर्ड की जून, १९६२ के दूसरे सप्ताह में जो पहली बैठक हुई थी उसमें किन मामलों पर चर्चा की गई और क्या निर्णय किये गये ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल/टी. २३६.६२।**]

कपड़े की प्रति व्यक्ति खपत

†*१६२४. **श्री महेश्वर नायक :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में कपड़े की प्रति व्यक्ति खपत बराबर कम होती गयी है ;

(ख) यदि हां, तो यह खपत कितनी घटी है और उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) देश में कपड़े की खपत अनुकूलतम स्तर तक पहुंच जाये इसके लिये सहायता देने हेतु क्या सरकार कोई कार्यवाही करने का इरादा रखती है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) से (ग). जी, नहीं।

आर्थिक सहयोग के लिये अफ्रीकी एशियाई संगठन

†*१६२५. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आर्थिक सहयोग के लिये अफ्रीकी-एशियाई संगठन के बोर्ड ने सदस्य देशों में निर्बाध व्यापार क्षेत्र बनाने और उत्पादकों के संघ स्थापित करने की सिफारिश की है ;

(ख) बोर्ड ने और क्या सिफारिशें की हैं ; और

---

†मूल अंग्रजी में

(ग) सरकार बोर्ड की सिफारिशों को किस हद तक कार्यान्वित करने का इरादा रखती है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) सरकार का ध्यान मई, १९६२ में काहिरा में हुई आर्थिक सहयोग के लिये अफ्रीकी-एशियाई संगठन की प्रशासी परिषद् की बैठक और इसकी सिफारिशों की ओर आकृष्ट किया गया है। इनमें कुछ प्राथमिक उत्पादों के लिये, जिनका मूल्य पिछले कई वर्षों से गिर रहा है, उत्पादक परिषद् स्थापित करना और कुछ चुनी हुई वस्तुओं के लिये निर्बाध व्यापार ज़ोन बनाने के लिये उपाय करना है।

(ख) परिषद् की अन्य सिफारिशें ये हैं :

१. प्राथमिक वस्तुओं के मूल्य में घटा बढ़ी से हानियों और संभरण और मांग आदि के बीच असमानता को दूर करने और न्यूनतम करने और विश्वव्यापी व्यापार के साथ साथ अन्तप्रदेशीय व्यापार का स्तर बढ़ाने के लिये कार्यवाही करना ;

२. अफ्रीकी-एशियाई विकास बैंक के बारे में अध्ययन शीघ्र पूरा करना।

३. विशिष्ट कार्यों के लिये प्रशिक्षित व्यक्तियों की अदला बदली और विशेषज्ञों की भर्ती के तरीके बनाना।

(ग) क्योंकि आर्थिक सहयोग के लिये अफ्रीकी-एशियाई संगठन वाणिज्य व्यापार आदि के राष्ट्रीय फेडरेशन का संगठन है और भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल फेडरेशन इसका सदस्य है, परिषद् की सिफारिशें क्रियान्वित करना मुख्यतः उनका काम है।

हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक विवाद हल करने के लिये व्यवस्था

†*१६२७. **श्री मुहम्मद इलियास** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक विवादों को हल करने की कोई व्यवस्था नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों का आर्थिक तथा सामाजिक सर्वेक्षण

*१६३७-क. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के तिब्बत-सीमावर्ती क्षेत्र के उत्तराखण्ड डिवीजन

---

†मूल अंग्रेजी में

के तीनों जिलों---चमोली, उत्तरकाशी और पिथोरगढ़---का आर्थिक व सामाजिक सर्वेक्षण करने का निश्चय किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश की सरकार ने कितने अनुदान की मांग की है और कितना अनुदान वास्तव में स्वीकृत किया गया है ?

योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी, हां।

(ख) अनुसंधान स्कीम का उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय द्वारा संचालन किया जा रहा है और स्कीम पर क्षेत्रीय कार्य आगे बढ़ रहा है।

(ग) इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार ने किसी प्रकार के अनुदान की मांग नहीं की है। उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के उपकुलपति तथा स्कीम् के अवैतनिक निदेशक को ३६,५९३ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इसमें से ७,००० रुपये की राशि का भुगतान किया जा चुका है।

तिब्बत म लद्दाखी लामाओं की मृत्यु

†*१६३८. **श्री दी० चं० शर्मा** : : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तिब्बत में नजरबन्द बहुत से लद्दाखी बौद्ध लामा कन्सेन्ट्रेशन कैम्पस (राजनीतिक बन्दी शिविरों) में मर गये थे ;

(ख) क्या यह भी सच है कि बहुत से लद्दाखी लामाओं को चीनियों द्वारा सड़क बनाने वाले दस्तों में भरती किया गया है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इन लामाओं को तंग किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने भारत के विरुद्ध चीनियों के हाथ के खिलौने बनने से इन्कार कर दिया था ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) हमें पता नहीं है कि तिब्बत में चीनियों की नजरबन्दी में कोई लद्दाखी लामा मरा है।

(ख) यद्यपि हमारे पास कोई ठीक जानकारी नहीं है, हम समझते हैं कि इन लद्दाखी लामाओं में से अधिकांश को सड़क बनाने वाले दस्तों में रखा गया है। वर्ष १९६०-६१ में तिब्बत से वापस आये लद्दाखी लामाओं ने बताया कि चीनी अधिकारियों द्वारा उनको जबरदस्ती सड़क बनाने के काम पर और अन्य कठिन परिश्रम के काम पर लगाया गया।

(ग) हमें पता लगा है कि कुछ लद्दाखी लामाओं के साथ जेल में बड़ा कठोर व्यवहार किया गया क्योंकि उन्होंने भारत के विरुद्ध चीनी कार्यवाहियों में चीनियों का सहयोग करने से इन्कार कर दिया था ।

(घ) हमने तिब्बत में नजरबन्द सभी लद्दाखी लामाओं की मुक्ति के लिये चीन सरकार को अभ्यावेदन किया है। हमारी जानकारी के अनुसार, उनमें से अधिकांश भारत आ गये हैं। तिब्बत में अभी भी कुछ बचे हैं परन्तु उनके बारे में हमारे पास ठीक जानकारी नहीं है। जैसे ही हमारे महावाणिज्य दूत को पता चलता है , वह इस मामले में ल्हासा में विदेश ब्यूरो से बातचीत करते हैं और लामाओं की मुक्ति कराने और उनको भारत भेजने का प्रयत्न करते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

निर्माण लागत को कम करने के लिये केन्द्रीय समिति

†*१६३६. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने हाल ही में निर्माण लागत को घटाने के लिये केन्द्रीय समिति नामक एक समिति बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस समिति का गठन और कार्य क्या है ?

†**योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा) :** (क) जी हां।

(ख) ब्योरा तैयार किया जा रहा है ।

'अल्फान्सो अल्बुकर्क'

†३७६८. **श्री ब्रज राज सिंह :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोआ में डूब गये और फिर निकाले गये 'अल्फांसो अल्बुकर्क' पुर्तगाली पोत के बारे में सरकार का क्या विचार है ;

(ख) क्या पोत का किसी प्रकार प्रयोग करने की नौसेना की कोई योजना है ; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार इसका निपटान कैसे करेगी ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) से (ग). पुर्तगाली लड़ाकू जहाज "अल्फांसों" "अल्बुकर्क" की आजकल मरम्मत हो रही है। इस प्रयोग के बारे में अभी कोई निश्चय नहीं किया गया है। फिर भी, अनुभव किया जाता है कि यह जहाज प्रशिक्षण कार्य के लिये लाभदायिक सिद्ध होगा।

उत्तर प्रदेश में रेशम कीट पालन उद्योग

†३७६९. **श्री सरजू पाण्डेय :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६०–६१ और १९६१–६२ में उत्तर प्रदेश में रेशम कीट पालन उद्योग के विकास की प्रत्येक योजना के लिये केन्द्र ने कितना धन दिया है ;

(ख) उन वर्षों में सरकार ने प्रत्येक योजना के अन्तर्गत कितना धन प्रयोग किया ;

(ग) क्या समूची आवंटित राशि प्रयोग कर ली गई है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) और (ख). वर्ष १९५८–५९ से लागू प्रक्रिया के अनुसार राज्य सरकारों की योजनाओं के लिये व्यय योजनावार नहीं बल्कि उद्योगवार निर्धारित किया जाता है। निम्नतालिका में वर्ष १९६०–६१ और १९ १–६२ में उत्तर प्रदेश में रेशमकीट पालन उद्योग के विकास की योजनाओं के लिये आवंटित राशि और प्रयुक्त राशि दी गई है :—

वर्ष	आवंटित राशि	प्रयुक्त राशि
	(रु० लाखों में)	
१९६०–६१ . . .	४.५०	३.७६
१९६१–६२	४.८५	३.३६

†मूल अंग्रेजी में

(ग) नही, श्रीमान् ।

(घ) भूमि प्राप्त और इमारतों के निर्माण में देर होना ।

उत्तर प्रदेश और द्वितीय पंचवर्षीय योजना

†३७७०. **श्री सरजू पाण्डेय** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये आवंटित धन राशि में से कितना धन प्रयोग किया और कितना धन विपगत हो गया ;

(ख) धन के विपगत होने के क्या कारण हैं ; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो ?

†**योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा)** : (क) द्वितीय योजना में उत्तर प्रदेश का प्रत्याशित योजना व्यय २२७.१ करोड़ रु० का था। प्रतिवर्ष के आवंटन पर किये गये वार्षिक व्यय की यह योग राशि है ।

(ख) तथा (ग). किये गये व्यय से विकास योजना को प्रभावित करने वाली अनेक बातों की झलक मिलती है, जैसे संसाधन जुटाना, विदेशी मुद्रा की उपलब्धता, कर्मचारियों की उपलब्धता, आदि । तीसरी योजना बनाने में इन बातों का यथासंभव विचार रखा गया है ।

औद्योगिक केन्द्रों में कारखानों की गन्दगी

†३७७१. **श्री मे० क० कुमारन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में कारखानों की गन्दगी की समस्या पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). लोक सभा में ११–५–१९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ११५१ का स्वास्थ्य मंत्री द्वारा दिये गये उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है । सरकार ने विदेशों में लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी की प्रथायें तथा प्रक्रिया का अध्ययन करने और भारत में लोक स्वास्थ्य इंजिनीयरों के मार्गदर्शन के लिये प्रारूप नियमावली तैयार करने के लिये एक समिति बनाई है । समिति अन्य बातों के साथ कारखानों की गन्दगी इकट्ठा करने और उसे निपटाने की समस्या तथा नदी व किनारों के दूषित होने तथा कारखानों की गन्दगी के सन्तोषजनक निपटान के सामान्य स्तर और विशेषताओं का सुझाव देने एवं नदी तथा किनारों के दूषित होने के प्रभावी नियंत्रण की समस्याओं की भी जांच करेगी ।

विद्युत् चालित करघे

†३७७२. **श्री मे० क० कुमारन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विद्युत् चालित करघों के पंजीयन का आंदोलन किस अवस्था मे है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) अनधिकृत विद्युत् चालित करघों की वृद्धि रोकने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनभाई शाह)** : (क) और (ख). वस्त्र आयुक्त द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार १२,४८२ विद्युत् चालित अनधिकृत करघों को नियमित कर दिया गया है। बाकी विद्युत् चालित करघों को नियमित करने की कार्यवाही की जा रही है। और अनधिकृत विद्युत् चालित करघों को नियमित करने का और कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। वस्त्र (विद्युत् चालित करघों से उत्पादन) नियंत्रण आदेश, १९५६ के विद्यमान दण्ड उपबन्ध अनधिकृत विद्युत् चालित करघों की वृद्धि रोकने के लिये पर्याप्त समझे जाते हैं।

प्रतिरक्षा कर्मचारियों के लिए निम्न आय वर्ग की आवास योजना के अन्तर्गत मकान

†३७७३. **श्री धर्मलिंगम** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास राज्य में प्रतिरक्षा कर्मचारियों के लिये निम्न आय वर्ग की आवास योजना के अन्तर्गत मकान बनाने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) से (ग). निम्न आय वर्ग की आवास योजना के लाभ ६,००० रु० से कम वार्षिक आय वालों को उपलब्ध हैं। मद्रास राज्य में प्रतिरक्षा कर्मचारियों के लिये किसी विशेष योजना की हमें जानकारी नहीं है।

मद्रास राज्य में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए मकानों का निर्माण

†३७७४. **श्री धर्मलिंगम** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास राज्य में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिये मकान बनाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो योजना कब आरम्भ होगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) से (ग). मामला विचाराधीन है।

केन्द्रीय सचिवालय सेवा

†३७७५. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष १९५९ में उनके मंत्रालय को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था कि केन्द्रीय सचिवालय सेवा के निम्न पदों के पदोन्नत अधिकारियों को संघ लोक सेवा आयोग से सीधे आने वाले अधिकारियों के समान ही सुविधायें दी जा रही हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री मानूनगो)** (क) नहीं, श्रीमान ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

आयात व्यापार नियन्त्रण संघ

†३७७६. **डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयात व्यापार नियन्त्रण संघ में वरिष्ठ पदों पर नियुक्ति के लिये भर्ती के कोई नियम बनाये गये हैं ;

(ख) यदि हां तो नियन्त्रकों की श्रेणी में पदोन्नति तथा चुनाव में आने वालों के लिये क्रमानुसार कितना कोटा निर्धारित किया गया है ;

(ग) क्या यह सच है कि विभागीय पदोन्नति के कुछ मामलों में नियमों का पालन नहीं किया गया है ; और

(घ) यदि हां, किस प्रकार ऐसा किया गया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) हां, श्रीमान ।

(ख) ५० प्रतिशत पदोन्नति से और ५० प्रतिशत साधी भर्ती से ।

(ग) नहीं, श्रीमान ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

उड़ीसा में गन्दी बस्तियां हटाने के लिए आवंटन

†३७७७. **श्री उलाका :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५९–६०, १९६०–६१ और १९६१–६२ में उड़ीसा में गन्दी बस्तियों को हटाने के लिये कितना धन आवंटित किया है ;

(ख) अब तक कितनी योजनायें कार्यान्वित की गई हैं और उपरोक्त काल में वे कहां कहां लागू की गई हैं ?

(ग) उनमें से प्रत्येक पर कितना व्यय हुआ ; और

(घ) तीसरी पंचवर्षीय योजना में उड़ीसा में गन्दी बस्तियां हटाने के लिये कितना धन आवंटित किया गया है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना):** (क) गन्दी बस्ती हटाना योजना के अन्तर्गत उड़ीसा राज्य को केन्द्रीय सहायता के रूप में निम्न राशियां आवंटित की गईं :

	(रुपये लाखों में)
१९५९–६०	३.३०
१९६०–६१	१.८०
१९६१–६२ . . .	३.९०

†मूल अंग्रेजी में

(ख) और (ग). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है। [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ९९]

(ग) तीसरी पंचवर्षीय योजना में उड़ीसा को केन्द्रीय सहायता के रूप में २२.५० लाख रु० आवन्टित किये गये हैं।

उड़ीसा में बेरोजगारी का सर्वेक्षण

†३७७८. **श्री उलाका :** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में हाल में बेरोजगारी का कोई सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस के निष्कर्ष क्या हैं ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी) :** (क) नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

उड़ीसा म बेरोजगार शिक्षित स्त्रियां

†३७७९. **श्री उलाका :** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५८ से मार्च, १९६२ तक उड़ीसा में काम दिलाऊं दफ्तरों में कितनी स्त्रियों (स्नातक तथा पूर्वस्नातक) ने अपने नाम लिखाये ;

(ख) उनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जातियों की कितनी स्त्रियां हैं; और

(ग) कितनी स्त्रियों (अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों सहित) को उपरोक्त काल में अब तक रोजगार सहायता मिली ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय म श्रम मंत्री (श्री हाथी) :** (क)

स्नातक . . .	११५
पूर्व-स्नातक . . .	७०

(ख) जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ग)

स्नातक . . .	८
पूर्व-स्नातक. . .	४

उड़ीसा में कपड़े की मिलें

†३७८०. **श्री उलाका :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में कपड़े की मिलों में आजकल कितने तकुए हैं ;

(ख) उस राज्य में प्रति वर्ष कितना कपड़ा उत्पादन होता है ;

(ग) उस राज्य की १५ गज़ प्रति व्यक्ति उपयोग के आधार पर वार्षिक आवश्यकता कितनी है ;

(घ) क्या उस राज्य में तकुओं की संख्या बढ़ाने की मांग है; और

(ङ) यदि हां, तो कितनी वृद्धि की मांग है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : ५९,२१६ तकुए ।

(ख) से (ङ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और पटल पर रख दी जायेगी ।

उड़ीसा में हथकरघा मजदूरों के लिए मकान

†३७८१. **श्री उलाका** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष १९५८–५९, १९५९–६०, १९६०–६१ और १९६१–६२ में उड़ीसा में हथकरघा मजदूरों के आवास के लिये केन्द्रीय सरकार ने कोई वित्तीय सहायता दी थी ;

(ख) यदि हां, तो इसमें से अब तक कितनी धनराशि प्रयोग की गई है ; और

(ग) उपरोक्त काल में अब तक कितने मकान बनाये गये हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है और पटल पर रख दी जायेगी ।

उड़ीसा को वित्तीय सहायता

†३७८२. **श्री उलाका** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंच वर्षीय योजना में उड़ीसा को कितनी वित्तीय सहायता दी गई है या दी जायेगी ; और

(ख) उड़ीसा की वास्तविक मांग कितनी थी ?

†**योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा)** : (क) और (ख). तीसरी योजना में सारे राज्यों के लिये कुल ३८४ करोड़ रु० के व्यय में, उड़ीसा की योजना में कुल १६० करोड़ रु० के व्यय की व्यवस्था है। इसमें से, २८ करोड़ रु० राज्य के संसाधनों से और केन्द्रीय सहायता से १३२ करोड़ रु० प्राप्त होंगे। ये राशियां विकास प्रोग्रामों राज्य के संसाधनों तथा अन्य संगत बातों पर विचार करके निश्चित की गई है ।

उड़ीसा की औद्योगिक बस्ती

†३७८३. **श्री उलाका**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा की औद्योगिक में कितने औद्योगिक एकक (कारखाने) आजकल चल रहे हैं ;

(ख) बस्ती में कुल कितने कारखाने हैं; और

(ग) नई औद्योगिक बस्तियों में कितने कारखाने होंगे ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) ५५ कारखाने ।

(ख) १५६ कारखाने ।

(ग) तीसरी पंच वर्षीय योजना में नई औद्योगिक बस्तियों में कारखानों का प्रोग्राम राज्य सरकार ने अभी निश्चित नहीं किया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उड़ीसा में अम्बर चर्खा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

†३७८४. **श्री उलाका :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में द्वितीय पंच वर्षीय योजना काल में अम्बर चर्खा सम्बन्धी कितनी शिक्षण कक्षायें आयोजित हुईं ;

(ख) कुल कितने प्रशिक्षार्थियों ने भाग लिया ; और

(ग) उसी काल में कुल कितना व्यय हुआ ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) और (ख). अम्बर चर्खा सबन्धी प्रशिक्षण कक्षाओं के बारे में जो उड़ीसा में द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में आयोजित हुई, जानकारी उपलब्ध नहीं है। फिर भी, १४,३५१ कातने वालों, १,१९३ बुनकरों और ३९४ अनुदेशको को उस काल में प्रशिक्षण दिया गया :

(ग) २१.४२ लाख रु० ।

उड़ीसा में सामुदायिक रेडियो योजना

†३७८५. **श्री उलाका :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार की सामुदायिक रेडियो योजना के अन्तर्गत १९६१–६२ में उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने रेडियो सेटों का संभरण किया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि ग्रामीण क्षेत्रों को संभरण किये गये बहुत से रेडियो सेट खराब पड़े हुये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उनकी देखभाल करने के लिये क्या व्यवस्था की गई है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शामनाथ) :** (क) केन्द्रीय सरकार की सामुदायिक रेडियो योजना के अन्तर्गत १९६१–६२ में उड़ीसा सरकार को ५०० सामुदायिक रेडियो सेटो के संभरण की व्यवस्था की गई थी।

(ख) १९६१–६२ तक संभरण किये गये ८४७० सेटों में से १३०९ सेट राज्य सरकार द्वारा बेकार पड़े बताये गये हैं क्योंकि उनके लिये पुर्जे और बैटरियां उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) सामुदायिक रेडियो सेटों का वितरण, स्थापना और देखभाल सर्वथा राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। राज्य सरकार का एक देखभाल संगठन है जो उनको संभरण किये गये रेडियो सेटों को ठीक रखने का काम करता है। राज्य सरकार से प्राप्त समाचार के अनुसार गांव वालों को पुर्जे और बैटरियां उचित मूल्य पर दिये गये हैं और रेडियो सेटों को चालू हालत में लाने के लिये व्यापक आधार पर मरम्मत कार्य किया जा रहा है। राज्य सरकार को आशा है कि बेकार पड़े हुये रेडियो सेटों की मरम्मत शीघ्र हो जायेगी।

मद्रास राज्य में श्रमिक शिक्षा केन्द्र

†३७८६. **श्री राजाराम :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास राज्य में १९५८ से १९६१ तक कितने श्रमिक शिक्षा केन्द्र चालू किये गये हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) वे किन स्थानों में खोले गये हैं ;

(ग) इन केन्द्रों में किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है;

(घ) उनकी स्थापना एवं संधारण के लिये कुल कितनी राशि मंजूर की गई है ; और

(ङ) इस योजना से कितने श्रमिकों को लाभ हुआ है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री(श्री हाथी)** : (क) और (ख). मद्रास में एक प्रादेशिक श्रमिक शिक्षा केन्द्र। उसके अन्तर्गत दिसम्बर, १९६१ के अन्त तक ५७ यूनिट स्तर की कक्षायें चल रहीं थीं।

(ग) मुख्यतः कार्मिक संघ विधियों तथा दर्शन और श्रमिकों के अधिकारों तथा कर्तव्यों में प्रशिक्षण।

(घ) ३१ दिसम्बर, १९६१ तक कुल १,०१,९४२ रुपये ३७ नये पैसे व्यय हुये।

(ङ) दिसम्बर, १९६१ के अन्त तक ५६१ श्रमिकों को।

मद्रास राज्य की योजना के लिए आवंटन

†३७८७. **श्री राजाराम** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास राज्य की योजना के लिये १९६०–६१ और १९६१–६२ में कितना वार्षिक आवंटन किया गया ;

(ख) उपरोक्त वर्षों में से प्रत्येक में कितनी राशि व्यय की गई ; और

(ग) कार्य का प्रतिशत क्या रहा ?

†**योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा)** : (क) से (ग). १९६०–६१ में ३७.५ करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई थी परन्तु वास्तविक व्यय ४४.६ करोड़ रुपये हुआ। १९६१–६२ में बजट में ४७.९ करोड़ रुपये का उपबन्ध किया गया था। वास्तविक व्यय के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

मद्रास में कताई मिलें

†३७८८. **श्री राजाराम** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में मद्रास राज्य को कताई मिलों के लिये कितने तकुवे आवंटित किये गये थे ;

(ख) क्या इन तकुओं के लिये लाइसेंस दिये जा चुके हैं ;

(ग) यदि हां, तो ये लाइसेंस किनको दिये गये हैं और किन स्थानों में ; और

(घ) लाइसेंस मंजूर करने की कसौटी क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) ७५,००० तकुए।

(ख) नहीं, श्रीमान्।

(ग) और (घ). उत्पन्न नहीं होते। परन्तु हम सामान्यतः संबंधित सरकार की सिफारिशों को मानेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

मद्रास और आन्ध्र में आवास योजनाओं के लिए सहायता

†३७८९. **श्री राजाराम :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा मद्रास और आंध्र राज्यों को विभिन्न आवास योजनाओं के अन्तर्गत मकान बनाने क लिये वर्ष १९५९ से १९६२ के दौरान कितनी वित्तीय सहायता दी गई ; और

(ख) उपरोक्त अवधि में अभी तक कितने मकान बनाये गये हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)**: (क) और (ख), आंध्र प्रदेश और मद्रास राज्यों की अलग अलग जानकारी प्रदान करने वाले दो विवरण सभा पटल पर रखे जाते हैं । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १००]**

मद्रास में उद्योग

†३७९०. **श्री राजाराम :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास राज्य में दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में कौन कौन से उद्योग चालू किये गये तथा किन किन स्थानों में ; और

(ख) इन उद्योगों की रोजगार क्षमता कितनी है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख), सूचना एकत्रित की जारी रही है और कालान्तर में सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

मद्रास में हस्तशिल्प की वस्तुओं की बिक्री

†३७९१. **श्री राजाराम :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास राज्य में १९६१-६२ में सरकारी हस्तशिल्प प्रदर्शनालयों के द्वारा हस्तशिल्प की वस्तुओं की बिक्री से कितनी राशि प्राप्त हुई ; और

(ख) उपरोक्त अवधि में इन प्रदर्शनालयों के संचालन पर कितना व्यय हुआ ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री काननगो)** : (क) और (ख), सूचना एकत्रित की जा रही है और कालान्तर में सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

मद्रास में औद्योगिक बस्तियां

†३७९२. **श्री राजाराम :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास में तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में कितनी औद्योगिक बस्तियां स्थापित की जायेंगी तथा किन स्थानों में ;

(ख) प्रथम और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में अभी तक कितनी औद्योगिक बस्तियां स्थापित हुई हैं ; उनके नाम क्या हैं और वे कहां स्थित हैं ; और

(ग) ३१ मार्च, १९६२ तक कितनी राशि व्यय हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (ग). विवरण संलग्न है :

विवरण

(क) १६ औद्योगिक बस्तियां, ३ वर्कशेड और २ विकसित प्लाट।

सरकारी बस्तियां

१. थेनी
२. काइलपट्टी
३. पुदुकोट्टई
४. करायकुडी
५. आरकोणम्
६. कृष्णागिरी
७. डिंडीगल
८. अम्बडूर
९. वृद्धचलम्
१०. माधवरम्

सहकारी औद्योगिक बस्तियां

११. उदुमलपेट
१२. ट्यूटीकोरिन
१३. पोल्लाची
१४. व्यासरपदी

गैर सरकारी औद्योगिक बस्तियां

१५. कोयम्बटूर
१६. तिरुवोडियार

वर्कशेड

१. इल्लुप्पुर
२. तिरुवनाईकोइल
३. पूर्व अम्बसमाद्रम

विकसित प्लाट

१. अम्बाठूर
२. मिंडी

(ख) प्रथम पंचवर्षीय योजना : दो औद्योगिक बस्तियां

१. गिंडी
२. विरुधनागर

दूसरी पंचवर्षीय योजना : आठ औद्योगिक बस्तियां

१. मदुरै
२. तिरुचिरापल्ली
३. एरोड
४. मारथंडम
५. पेट्टई

---

†मूल अंग्रेजी में

६. थंजवूट

७. काटपडी

८. सलेम

(ग) १७९.९० लाख रुपये

कंक्रीट मिक्सचर मशीनों का आयात

†३७९३. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिये सरकार को संभरण करने के लिये कंक्रीट मिक्शचर मशीनों का आयात करने के लिये कलकत्ता की एक फर्म को २५ लाख रुपये दिये थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या वे मशीनें आयात करके सरकार को दी गईं ;

(ग) यदि नहीं तो, वे मशीनें कब बेची गईं ; और

(घ) क्या वे मशीनें सरकार की अनुमति से बेची गईं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) कलकत्ता की किसी भी फर्म को भारत सरकार को दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिय संभरण करने के लिये कंक्रीट मिलाने वाली मशीनों के विदेशों से आयात के लिये २५ लाख रुपये का कोई आयात लाइसेंस नहीं दिया गया है ।

(ख) से (घ) . उत्पन्न नहीं होते। परन्तु माननीय सदस्य की जानकारी के लिये यह बता देना आवश्यक है कि कलकत्ता की एक फर्म को पेट्रोल/मिट्टी के तेल के इंजनों जो कंक्रीट मिलाने वाली मशीनों को चलाने के काम में लाये जाते थे, के आयात के लिये अप्रैल--सितम्बर, १९५९ और अक्टूबर, १९५९--मार्च, ६० की अवधियों में ४,३५,२०० रुपये के वास्तविक उपभोक्ता आयात लाइसेंस मंजूर किये गये थे। अप्रैल, १९६० में यह शिकायत आई कि उस फर्म ने उनमें से कुछ इंजन एक अन्यपक्ष को बेच दिये हैं। इस शिकायत के संबंध में विशेष पुलिस संस्थापन ने जांच की और यह सूचित किया कि वह आरोप सिद्ध नहीं हुआ। इसलिये वह मामला खत्म कर दिया गया।

राज्य व्यापार निगम

†३७९४. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य व्यापार निगम को पश्चिम योरोपीय देशों के साथ हमारा निर्यात बढ़ाने की दृष्टि से योरोप के कुछ व्यापार समवायों के साथ चल रही बातचीत में क्या सफलता मिली है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : राज्य व्यापार निगम ने स्विटजरलैंड, फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, आस्ट्रिया, बेल्जियम, स्वीडन, फिनलैंड, ट्यूनिसिया और जार्डन में व्यापार संस्थाओं के साथ व्यापार की व्यवस्था की है। इन

†मूल अंग्रजी में

करारों के अन्तर्गत दोनों ओर से कुल २० करोड़ रुपये का व्यापार हो सकेगा । इन-से कुछ करार अभी हाल ही में हुए हैं इसलिये यह अंदाज नहीं लगाया जा सकता कि इस व्यवस्था से हमारे निर्यात व्यापार को क्या लाभ होगा। इन करारों के अन्तर्गत आज तक केवल ७ करोड़ रुपये का निर्यात किया गया है।

जिला गंगानगर (राजस्थान) में विस्थापित हरिजन परिवार

३७९५. श्री प० ला० बारूपाल : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान के जिला गंगानगर में श्री खीबराराम ग्रुप के लगभग पचहत्तर हरिजन विस्थापित परिवारों को भूमि वितरित की गई थी परन्तु अभी तक कब्जा सही आदमियों को नहीं मिला है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उसके बदले दूसरी भूमि दे दी गई है और पहले की भूमि फरजी आदमियों के नाम लिख दी गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) जिला गंगानगर तहसील रायसिंहनगर में श्री खीबराराम ग्रुप के १३२ हरिजन परिवारों को कुछ भूमि जोकि राजस्थान सरकार की है वितरित की गई थी। इन सभी परिवारों को वास्तव में कब्जा दे दिया गया था। किन्तु सूची में ५५ परिवारों जाली थे और कुछ जाली व्यक्तियों ने पररूपधारण करके भूमि का कब्जा ले लिया।

(ख) और (ग). ५५ परिवारों को दी गई भूमि की काश्त अप्रधिकृत व्यक्तियों द्वारा की जा रही है और इस विषय में राजस्थान सरकार उन व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही कर रही है।

शराब के आयात के लाइसेंस

३७९६. श्री प० ला० पारूपाल : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि सन् १९५५ से १९६१ तक कितने लोगों को विदेशी शराब आयात करने के लाइसेंस दिये गये ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : जनवरी, १९५५ से मार्च, १९६२ तक की अवधि में विदेशी शराबों का आयात करने के लिये पुराने आयातकों, होटलों, कैफे तथा क्लबों को ७,०२५ लाइसेंस दिये गये है।

टेरासाइक्लीन

†**३७९७. श्री सुबोध हंसदा :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे देश में इस समय टेरासइक्लीन की कितनी आवश्यकता है ;

(ख) उसमें से कितने प्रतिशत का उत्पादन हमारे देश में होता है ;

(ग) यह औषधि किन कारखानों में बनाई जाती है ;

---

†मूल अंग्रेजी मे

(घ) क्या वह विभिन्न कारखानों में बनाई जाती है; और

(ङ) सरकार उसके स्तर एवं किस्म को किस प्रकार सुनिश्चित करती है?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) औषधि तथा भेषज विकास परिषद् ने देश की विभिन्न आवश्यक औषधियों की जरूरतों का सर्वेक्षण किया है और तीसरी पंचवर्षीय योजनाअवधि में उत्पादन के लक्ष्य तैयार किये हैं। टेरासाई-क्लीन वर्ग के लिये तीसरी योजना अवधि के लिये ५० मीट्रिक टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(ख) वर्तमान लाईसेंस शुदा क्षमता देश की समस्त आवश्यकता पूरी कर सकेगी।

(ग) और (घ), टेरासाइक्लीन के उत्पादन के लिये निम्नलिखित यूनिटों को लाइसेंस दिये गये :

फर्म का नाम	लाइसेंस शुदा क्षमता प्रतिवर्ष मीट्रिक टनों में
१. एण्टीबायोटिक्स प्लाण्ट, ऋषिकेश	१२०
२. सिनबायोटिक्स लिमिटेड, अहमदाबाद	३
३. लेडरले लेबोरेटरीज लिमिटेड, बम्बई (कारखाना बलसार में) . .	१०
४. फाईजर प्राईवेट लिमिटेड, चण्डीगढ़	५
५. हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स लिमिटेड, पिम्परी . .	१·५
योग	१३९·५

अंतिम तीन यूनिटों में हाल ही में उत्पादन शुरु हुआ है।

(ङ) जहां तक औषधि निर्माण के स्तर, किस्म और शुद्धता का संबंध है, उनका प्रत्येक राज्य में ड्रग कंट्रोलर द्वारा औषधि अधिनियम और नियमों के अन्तर्गत नियंत्रण किया जाता है।

सिंहभूम (बिहार) में बीड़ी कम्पनियां

†३७९८. श्री ह० च० सोय : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में सिंहभूम में बीडी कम्पनियां बीडी मजदूरों द्वारा बनाई गई बहुत सी बीड़ियों को इसलिये निकाल देती हैं कि वे घटिया किस्म की होती हैं परन्तु उनको नष्ट नहीं किया जाता है और वे फिर अच्छी बीड़ियों के साथ मिला दी जाती हैं;

(ख) क्या बीडी बनाने के काम में कम उम्र के बच्चों को भी रखा जाता हैं और उन्हें स्कूल नहीं जाने दिया जाता है; और

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि हां, तो सरकार इस मामले में क्या कदम उठाने का विचार कर रही है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय म उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) यह सच है कि बिहार के सिंहभूम जिले की बीड़ी कम्पनियां बीड़ी मजदूरों द्वारा बनाई गई बीड़ियों की संख्या इस आधार पर कम कर देती हैं कि वे घटिया किस्म की होती है परन्तु यह सच नहीं है कि वे घटिया किस्म की बीड़ी नष्ट नहीं की जाती हैं और फिर अच्छी बीड़ियों में मिला दी जाती हैं।

(ख) नहीं, श्रीमान।

(ग) उपरोक्त (क) और (ख) के उत्तरों की दृष्टि से उत्पन्न नहीं होता।

जूतों का निर्यात

†**३७९९. श्री बी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगरा के जूता निर्माता संघ में सरकार से अपनी जूतों के निर्यात संबंधी नीति का पुनरीक्षण करने का अनुरोध किया है ताकि निर्यातक पश्चिम एशियाई देशों में पाकिस्तान, इटली और हांगकांग के निर्यातकों से मुकाबला कर सकें ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख), आगरा के जूता निर्माता संघ के सभापति में संघ की २९ अप्रैल, १९६२ को हुई २०वीं वार्षिक बैठक में दिये गये अपने भाषण में जूतों के निर्यात से संबंधित कुछ प्रश्न उठाये थे परन्तु इस विषय पर सरकार का कोई पत्र नहीं प्राप्त हुआ है।

त्रिपुरा म प्रेस कर्मचारियों के काम के घंटे

†**३८००. श्री वीरेन दत्त** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में प्रेस कर्मचारियों को ८ बजे प्रातःकाल से ३ बजे सायंकाल और फिर ४ बजे सांयकाल से ११ बजे रात तक काम करना पड़ता है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रणाली को खत्म करने का विचार कर रही है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) जी नहीं। त्रिपुरा प्रशासन प्रेस में भिन्न प्रकार दो पारियों में काम होता है :—

प्रथम पारी

सोमवार से शक्रवार तक : ८ बजे प्रातःकाल से ३.३० बजे सांयकाल तक और १२ बजे दोपहर को आधे घण्टे की छुट्टी।

शनिवार : ८ बजे प्रातःकाल से १ बजे दोपहर तक ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दूसरी पारी

सोमवार से शुक्रवार तक : ३.३० बजे सायंकाल से ११ बजे रात तक और ६ बजे सायंकाल आधे घण्टे की छुट्टी।

शनिवार : १ बजे दोपहर से ६ बजे शाम तक।

कर्मचारी दो भागों में विभाजित हैं जो प्रत्येक पारी में चार-चार हफ्ते काम करते हैं।

(ख) उत्पन्न नहीं करते हैं।

छोटे पैमाने के उद्योग

†३८०१. **श्री कोल्ला वेंकैया :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय लघु उद्योग बोर्ड ने भारत सरकार से परिभाषा को व्यापक बनाने की सिफारिश की है ताकि ५ लाख से १० लाख तक की छोटी इकाईयां भी उसमें आ जायें ;

(ख) बोर्ड ते अधिकतम सीमा को बढ़ाने के लिये क्या कारण दिये हैं ; और

(ग) सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) से (ग). विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) हां, श्रीमान।

(ख) (१) मशीनों तथा अन्य पूंजी अस्तियों के मूल्य निरन्तर बढ़ते जा रहे हैं। आधुनिक प्रविधिक एवं प्रबन्ध प्रक्रिया अपनाने एवं अत्यधिक प्रतियोगी निर्यात बाजारों की, जिनमें छोटे पैमाने के उद्योगों द्वारा तीसरी योजना अवधि में काफी बिक्री की जाने की आशा है, किस्म संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये अधिक पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये छोटे पैमाने के उद्योगों को अधिक पूंजी विनियोजन की आवश्यकता है।

(२) वर्तमान परिभाषा के अनुसार सहायक एवं गैर-सहायक उद्योगों के भेदभाव के कारण काफी प्रशासकीय कठिनाइयां उपस्थित हुई क्योंकि यह कहना प्रायः असंभव है कि कौन सा यूनिट सहायक यूनिट है।

(३) सरकार ने १० लाख रुपये तक के पूंजी विनियोजन वाले समस्त युनिटों को उद्योग विकास तथा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत लाइसेंस प्राप्त करने के दायित्व से छूट देने का फैसला किया है।

(ग) मामला सरकार के विचाराधीन है।

---

†मूल अंग्रेजी में

केरल में नारियल जटा उद्योग

†३८०२. श्री वासुदेवन नायर :
श्री वारियर :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को यह ज्ञात है कि केरल सरकार ने हाल में नारियल जटा उद्योग सम्बन्धी समस्याओं की चर्चा करने के लिये अलेप्पी में एक सम्मेलन आयोजित किया था ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार को सम्मेलन के परिणामों के सम्बन्ध में कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ग) क्या सरकार सम्मेलन के निर्णयों का विवरण सभा-पटल पर रखेगी ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) हाँ, श्रीमान् ।

(ख) हाँ, श्रीमान् ।

(ग) विवरण संलग्न है ।

विवरण

अलेप्पी में २-५-१९६२ को हुए सम्मेलन में निम्नलिखित मुख्य निर्णय किये गये :

(१) नारियल जटा उद्योग के कारखाना क्षेत्र के स्थिरीकरण एवं विकास सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन करने के लिये एक समिति निर्मित की जाये ;

(२) अलेप्पी जिले के तटीय क्षेत्रों में नये उद्योग शुरू करने का कार्यक्रम तैयार करने के लिये एक अन्य समिनि निर्मित की जाये ; और

(३) अलेप्पी के तटीय क्षेत्रों में बेरोजगारी के प्रश्न पर विचार करने और तुरन्त क्रियान्वित किये जाने के लिये ग्रामीण विकास कार्यों का कार्यक्रम तैयार के लिये एक तीसरी समिति बनाई जाये ।

यह संकल्प किया गया कि समस्त समितियों में इस कार्य के विभिन्न पहलूओं से सम्बद्ध अधिकारियों को भी सम्मिलित किया जाये ।

आसाम का प्रविधिक-आर्थिक सर्वेक्षण

†३८०३. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री २१ मई, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या १६५७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम के प्रविधिक आर्थिक सवक्षण सम्बन्धी रिपोर्ट अब प्रकाशित हो गई है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या रिपोर्ट से पता लगता है कि आसाम में कागज तथा नकली सिल्क उद्योगों के लिये बहुत अधिक सम्भावना हैं ; और

(ग) क्या सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार आसाम में इन उद्योगों के समुचित विकास के लिये योजनायें तैयार कर ली गई हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (ग), रिपोर्ट अभी प्रकाशित नहीं हुई है ।

नेपाल में भारतीय शस्त्रों का प्रयोग

†३८०४. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेपाल के गृह-कार्य मन्त्रालय द्वारा निकाली गयी एक विज्ञप्ति के अनुसार भारतीय राज्य क्षेत्र में बलरामपुर शिविर से निकाले गये विद्रोहियों ने धान-खगेरी पुलिस स्टेशन को घेर लिया और उस पर आक्रमण कर दिया और कहा जाता है कि गत वर्ष किरकी युद्धास्त्र कारखाने में तैयार की गयी राइफलें और कारतूस उनके पास मिले हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो भारतीय युद्धास्त्र कारखाने में बना कितना गोला-बारूद नेपाली विद्रोहियों के हाथ लग गया है ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) भारत सरकार को अपने साधनों से जो सूचना मिली है वह विज्ञप्ति में लगाये गये इस आरोप का समर्थन नहीं करती कि धान-खगेरी में नेपाली पुलिस स्टेशन पर आक्रमण करने में भारतीय क्षेत्र का प्रयोग किया गया है । सरकार को इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि उपरोक्त पुलिस स्टेशन पर आक्रमण करने वाले विद्रोहियों ने गत वर्ष किरकी युद्धास्त्र कारखाने में बने गोला-बारूद का प्रयोग किया ।

(ख) और (ग), कभी-कभी ऐसी घटनायें होती हैं कि सेना के लोग बन्दूकें व गोला-बारूद आदि लेकर भाग जाते हैं । परन्तु ऐसे मामले बहुत ही कम होते हैं । ऐसे लोग जब पकड़े जाते हैं, तो उन के साथ कठोर व्यवहार किया जाता है ।

मैसूर से लोहा और मैंगनीज अयस्क का निर्यात

†३८०५. **श्री स० ब० पाटिल** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में मैसूर के होसपट बेल्लारी, सोंदूर, और बागलकोट (कमतागी) से कितनी मात्रा में लोहा तथा मैंगनीज अयस्क का निर्यात किया गया ; और

(ख) उक्त अवधि में इस मद से कितनी विदेशी मुद्रा की प्राप्ति हुई ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख), भारत से निर्यात होने वाले लोहे और मैंगनीज अयस्कों के आँकड़ों इन अयस्कों के प्राप्त होने वाले पृथक्-पृथक् क्षेत्रों के अनुसार नहीं रखे जाते और इसलिये माँगी गयी जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

पालतू जानवरों के आयात के लिए नियम

†३८०६. **श्री महेश्वर नायक** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने व्यक्तिगत सामान के रूप में पालतू जानवरों के आयात सम्बन्धी नियमों तथा प्रक्रिया में संशोधन कर दिया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हाँ, तो नियमों द्वारा क्या सुधार किया गया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हाँ ।

(ख) नये नियम ऐसे ढंग से बनाये गये हैं कि आयात किये गये जानवर पशु रोगों से मुक्त होने चाहियें और इस प्रयोजन के लिये स्वास्थ्य प्रमाणपत्र पेश करने की शर्त अपेक्षाकृत कड़ी कर दी गयी है । पशुधन के आयात सम्बन्धी संशोधित विनियमों के अनुसार ये सुधार किये गये हैं ।

सरकारी बस्तियों के लिए स्थायी सलाहकार समिति

†३८०७. **श्री बाल्मीकी** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मन्त्री १८ मई, १९६२ केअतारांकित प्रश्न संख्या १५५७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी बस्तियों में सामान्य सेवाओं की व्यवस्था करने सम्बन्धी स्थायी सलाहकार समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं ;

(ख) यह समिति कब बनी थी और पिछले वर्ष में इसकी कितनी बैठकें हुई हैं ;

(ग) क्या इस समिति के निर्माण के सम्बन्ध में वरिष्ठ कर्मचारियों की परिषदों को तथा सरकारी कर्मचारियों को मान्यता प्राप्त सेवा संस्थाओं को सूचित कर दिया गया है ;

(घ) इस समिति ने अब तक कौन कौन सी कठिनाइयां दूर की हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) इस समिति में विभिन्न मन्त्रालयों द्वारा संगठनों तथा स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि हैं और निर्माण, आवास और सम्भरण मन्त्रालय के सचिव इसके चेयरमैन हैं । इस समय निम्नलिखित व्यक्ति इसके सदस्य हैं :—

(१) श्री धर्मवीर,
सचिव, निर्माण, आवास तथा सम्भरण मन्त्रालय . . चेयरमन

(२) श्री एन० जी० दीवान,
चीफ इंजीनियर, सी० पी० डब्ल्यु० डी . . . सदस्य

(३) श्री आर० के० कपूर
उप शिक्षा सलाहकार शिक्षा मन्त्रालय . . ,,

(४) श्री मोहनसिंह
सीनियर वाइस प्रेसीडेंट, नई दिल्ली नगरपालिका . . ,,

(५) श्री ए० वी० वेंकटा सुब्बन
उपसचिव, स्वास्थ्य मन्त्रालय . ,,

(६) श्री टी० एस० सहानी
मुख्य कल्याण अधिकारी गृहकार्य मन्त्रालय . . ,,

(७) श्री सी० एस० गूप्ते . . . .
आर्चीटिक्ट एण्ड टाउन प्लेनर टी० पी० ओ० स्वास्थ्य मन्त्रालय ,,

(८) श्री एस० के० जोगलेकर
चीफ आर्चीटेक्ट एण्ड टाउन प्लेर, सी० पी० डब्ल्यु० डी . . ,,

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(९) श्री एन० एल० राव
उप-आयुक्त दिल्ली नगर निगम . . . . "

(१०) श्री डी० एन० जोशी
इंजीनियर अफसर (लैंड्स) सी० पी० डब्ल्यु० डी० . सचिव

(ख) स्थायी सलाहकार समिति १९५७ में बनी थी। १९६१ में इसकी कोई बैठक नहीं हुई।

(ग) जी नहीं ।

(घ) समिति ने मोती बाग, लक्ष्मी बाई नगर, नेताजी नगर, किदवई नगर, सरोजनी नगर, नौरोजी नगर, एण्ड्रयूज गंज और श्रीनिवासपुरी जैसी अनेक सरकारी बस्तियों का सर्वेक्षण किया है और इन बस्तियों में स्कूल, समाज सदन, बाजार केन्द्र, अंशदायी स्वास्थ्य सेवा चिकित्सालय आदि जैसी सेवाओं की व्यवस्था करने की सरकार से सिफारिश की है। सरकर ने इन सिफारिशों को स्वीकर कर लिया और सिफारिश के अनुसार अनेक सुविधाओं की व्यवस्था की गयी।

भाप के इंजन का आविष्कार

३८०८. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके ध्यान में यह बात आई है कि धूरी (पंजाब) नामक स्थान के सातवीं कक्षा के एक बारह वर्षीय बालक कुलदीप सिंह ने अपने बनाये पुर्जे जोड़ कर छोटा-सा ऐसा स्टीम इंजन बनाया है, जो पक्की सड़क पर मजे से दौड़ता है ; और

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे प्रतिभाशाली बालक को इस दिशा में और अधिक प्रगति करने के लिये प्रोत्साहन देने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

भाषा के आधार पर प्रलेख चल चित्र

†३८०९. **श्री मोहन नायक** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भाषा के आधार पर प्रलेख चल चित्र तैयार करने से सरकार किन सिद्धान्तों का पालन करती है ; और

(ख) १९६१–६२ में उड़िया भाषा में कितने प्रलेख चित्र तैयार किये गये ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शामनाथ)** : (क) फिल्म डिवीजन द्वारा तैयार किये गये सब प्रलेख चित्र १३ भाषाओं, अर्थात् आसामी, बंगाली, अंग्रेजी, गुजराती, हिन्दी, कन्नड, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तामिल, तेलंगू और उर्दू में लोक प्रदर्शन के लिए निकाली जाती हैं ?

(ख) १९६१–६२ में उड़िया भाषा में ६९ प्रलेख चित्र तैयार किये गये।

---

†मूल अंग्रजी में

समवाय प्रबन्ध द्वारा लाभांश

†३८१०. **श्री महेश्वर नायक :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ समवायों के प्रबन्धक समवाय अधिनियम १९५६ में निर्दिष्ट अवक्षयण निधि का उपबन्ध किये बिना लाभांश की घोषणा और भुगतान कर रहे हैं;

(ख) गत एक वर्ष में ऐसे कितने मामले सरकार को पता लगे हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) जी हां।

(ख) १७

(ग) सम्बन्धित समवायों के रजिस्ट्रार उन समवायों के साथ इस विषय पर बात चला रहे हैं और समवायों द्वारा दिये गये उत्तरों को देखते हुये आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

परम्परागत और नई वस्तुओं का निर्यात

†३८११. **श्री धर्मलिंगम :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि किन परम्परागत व नई वस्तुओं को विश्व बाजार में लाने के लिए सरकार ने कदम उठाये हैं?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** एक विवरण सभापटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १०१**।]

नैतिक पुनरुत्थान संगठन[1]

†३८१२. **श्री वासुदेवन नायर :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में नैतिक पुनरुत्थान संगठन (मोरल रिआर्मामेंट एसोसिएशन) की कोई शाखा है;

(ख) यदि हां, तो हमारे देश के किस भाग में वह अपना कार्य करता है; और

(ग) उसकी मुख्य गतिविधियां क्या हैं?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) जी हां।

(ख) दिल्ली, कलकत्ता,, बम्बई, मद्रास, बंगलौर और त्रिवेन्द्रम।

(ग) नैतिक पुनरुत्थान संगठन द्वारा भारत में खोली गयी शाखा की मुख्य गतिविधियां निम्नलिखित हैं :—

(१) अलग-अलग व्यक्तियों और विद्यार्थियों, स्त्रियों और मजदूरों के संगठनों से संबंध स्थापित करके नैतिक पुनर्शस्त्रीकरण संगठन की विचारधारा का प्रचार।

(२) नैतिक पुनरुत्थान संगठन के नाटक खेलना और नैतिक पुनरुत्थान संगठन की फिल्में दिखाना।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Moral Rearmament Association.

(३) नैतिक पुनरुत्थान संगठन के पैम्फलेट और अखबार बांटना।

(४) इस आन्दोलन के जन्मदाता का जन्म दिन मनाने के लिए बैठकों का आयोजन करना और उसकी विचारधारा का प्रचार करने के लिए सभायें करना।

(५) चुने हुए व्यक्तियों को स्विटरजरलैंड में काक्स में नैतिक पुनरुत्थान संगठन का मुख्यालय देखने के लिए भेजना।

कपड़ा

†३८१३. **श्री याज्ञिक :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६० में वस्त्र आयुक्त और मिल स्वामी संघ के बीच जो करार हुआ था उसमें क्या यह व्यवस्था थी कि हर मामले में स्थिति वैसी ही रहेगी ;

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ मिलों से उक्त करार का उल्लंघन करक ऐसी किस्म तथा डिजाइन का कपड़ा बनाना कम कर दिया है जो लाभ कम देते थे और ऐसी किस्म के कपड़े का उत्पादन बढ़ा दिया है जो अधिक लाभ देते हैं ; और

(ग) मिल मालिकों की नीति में हुये इस परिवर्तन के कारण कपड़े का निर्यात घट गया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) से (ग). वस्त्र आयुक्त और मिल मालिकों के संघ के बीच कोई करार नहीं है। पर १९६० में भारतीय सूती मिल संघ और सरकार के बीच हुई बातचीत के फलस्वरूप संघ ने स्वेच्छा से एक मूल्य नियंत्रण योजना अपनाई थी और सरकार की अनुमति से उसे घोषित कर दिया था। स्वेच्छा से अपनाई गयी मूल्य नियंत्रण योजना में स्थिति को वैसा ही रखने के प्रश्न का उल्लेख नहीं था। २१ दिसम्बर १९६० को सरकार ने लोक सभा में इस योजना का विस्तृत ब्योरा एक वक्तव्य में दे दिया था।

मूल्य निर्धारण समिति की अनुमति लेकर ही कोई मिल नये किस्म का कपड़ा बना सकती है।

सरकार नहीं समझती की सूती वस्त्र के निर्यात में इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

अगरतला में वातानकूलित सिनेमा

†३८१४. **श्री वीरेन दत्त :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) अगरतला में एक वातानुकुलित सिनेमा बनाने के लिए किसी पक्ष के साथ करार हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उस पक्ष को काम आरम्भ करने की आज्ञा दे दी गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब का क्या कारण है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शामनाथ) (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

हिमाचल प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में उद्योग

†३८१५. **श्री मुहम्मद इलियास :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में कोई उद्योग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन से उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) और (ख) मांगी गई जानकारी का एक विवरण सन्लग्न है। [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १०२**।

हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक विवाद

†३८१६. **श्री मुहम्मद इलियास :** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में समझौते तथा निबटाने के लिए कितने औद्योगिक विवाद जिला मजिस्ट्रेटों के सामने लम्बित हैं ; और

(ख) ये कितने समय से लम्बित हैं ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी) :** (क) एक भी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

नेपा मिल्स

†३८१७. **श्री अ० व० राघवन**
श्री पोट्टेकाट्ट :
श्री वारियर :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूतपूर्व प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं द्वारा किये गये व्यर्थ के खर्च के कारण नेपा मिल्स को लगभग कितनी राशि का नुक्सान हुआ ;

(ख) इस राशि को प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं से वसूल करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ग) प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं की नियुक्ति के लिए कौन उत्तरदायी था ; और

(घ) उनकी वित्तीय स्थिति को पता लगाने के लिए क्या कोई जांच की गयी थी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) से (घ): नेपा मिल्स की स्थापना जनवरी १९५७ में एक निजी उपक्रम के रूप में मैसर्स नैय्यर प्रेस सिंडिकेट लिमिटेड ने की थी। चूंकि प्रबन्ध अभिकर्त्ता परियोजना के लिए आवश्यक वित्त

†मूल अंग्रजी में

का प्रबन्ध नहीं कर सके अतः उन्होंने मध्य प्रदेश क। सरकार से सहायता की मांग की। मध्य प्रदेश सरकार ने इस शर्त पर वित्तीय उत्तरदायित्व उठाना स्वीकार कर लिया कि प्रबन्ध अभिकर्त्ता अपना पद खाली कर दें - तदनुसार अक्टूबर १९४९ में प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं ने अपने पद छोड़ दिये और मध्य प्रदेश सरकार के एक अधिकारी को प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त कर दिया गया। प्रबन्ध अभिकरण संबंधी करार भी समाप्त कर दिया गया।

बाद में पता लगा कि प्रबंध अभिकर्त्ताओं ने अपने कार्य काल में समवाय के धन का दुरुपयोग किया है और ठीक प्रबन्ध नहीं कर पाये थे। यह दुरुपयोग अनुमानत २० लाख रुपये का था। चूंकि भूतपूर्व प्रबन्ध अधिकर्त्ता दिवालिये हो गये अतः समवाय उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर सका।

ऐसी स्थिति में प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं को नियुक्त करने की जिम्मेदारी या उनकी आर्थिक स्थिति का पता लगाने के लिए पहले से कोई जांच करने का प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

आन्ध्र प्रदेश म औद्योगिक एकक

†३८१८. **श्री मे० क० कुमारन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में अनेक छोटे पैमाने के और मध्यम पैमाने के एकक स्थापित करने में सहयोग देने का प्रस्ताव जेकोस्लावाकिया ने पेश किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्योरा है; और

(ग) क्या सरकार ने उस प्रस्ताव पर विचार कर लिया है और क्या इस मामले में निर्णय कर लिया गया है?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (ग). जी नहीं। जेकोस्लाव्राकिया ने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रखा है।

भारत में प्रेस संस्थान

†३८१९. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका के प्रेस संस्थान की भांति भारत में कोई प्रेस संस्थान स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है?

†**सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय म उपमंत्री (श्री शामनाथ)** : (क) से (ग). भारत में पत्रकारों को पत्रकारिता की उच्च शिक्षा देने और श्रमजीवी पत्रकारों के लिए प्रत्यास्मरण पाठ्यक्रम चलाने के लिए एक पत्रकारिता संस्थान खोलने का प्रस्ताव सरकार और इण्डियन एण्ड ईस्टर्न न्यूजपेपर सोसाइटी के विचाराधीन है। अभी ब्योरे तैयार नहीं हो पाए हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

पश्चिमी एशियाई क्षेत्र म स्थित भारतीय राजदूतों का सम्मेलन

†३८२०. **श्री हरि विष्णु कामत :**
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री हेम बरुआ :
श्री मे० क० कुमारन :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **प्रधान मंत्री** २४ मई, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या १०१० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी एशियाई क्षेत्र में स्थित भारतीय राजदूतों का सम्मेलन निर्धारित तारीखों पर हुआ ;

(ख) कितने राजदूत सम्मेलन में उपस्थित और कितने अनुपस्थित थे ; और

(ग) सम्मेलन में हुई चर्चा के क्या परिणाम हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जी हां।

(ख) वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के विशेष सचिव श्री बी० एफ० एच० बी० तैयबजी जो उक्त क्षेत्र के देशों का दौरा कर चुके थे, को छोड़कर सम्मेलन में उपस्थित व्यक्तियों में बैरुत, काहिरा, तेहरान, बगदाद दमिश्क और जेद्दा स्थित राजदूत थे। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के विशेष सचिव श्री डी० एस० जोशी, कुवैत में कौंसल जनरल और इन स्थानों में भारतीय दूतावासों के वाणिज्यिक प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

(ग) सम्मेलन का प्राथमिक उद्देश्य पश्चिम एशिया में हमारे राजदूतों के विचारों में समन्वय स्थापित करना, इस क्षेत्र के राजनैतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कार्यों के बारे में स्थिति का अंकन और विशेष रूप से इन क्षेत्रों में भारत के साथ सम्बन्धों पर विचार करना था।

इस सम्मेलन में व्यापार सम्बन्धी विषयों पर विचार किया गया। इसमें किसी प्रकार औपचारिक सिफारिशें नहीं की गई। निर्यात विकास के समग्र कार्यक्रम के समय सरकार उन सब सुझावों पर विचार करेगी जो उपरोक्त चर्चा के दौरान प्रस्तुत किये गये थे।

मेसर्स सारू स्मेलटिंग एण्ड रिफाइनिंग कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, मेरठ

†३८२१. **श्री मे० क० कुमारन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर आकृष्ट हुआ है कि अमरीका के मेसर्स इण्टरनेशनल पावर मेटलर्जी कम्पनी, ने मेरठ के मेसर्स स्मेलटिंग एण्ड रिफाइनिंग कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ चल रही सहयोग संबंधी बातचीत राजनैतिक कारणों से बन्द कर दी है ;

(ख) क्या भारतीय फर्म में इस मामले में सरकार से सहायता मांगी है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (ग) जी नहीं। भारत सरकार को ऐसी किसी बात का पता नहीं है ।

ब्रिटिश पूर्वी अफ्रीका में भारतीय

†३८२२. **श्री रवीन्द्र वर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कीनिया टेंगानीका और युगांडा की सरकारों की सेवा में कितने कितने भारतीय राष्ट्रजन काम कर रहे हैं ;

(ख) क्या सरकार को जानकारी मिली है कि उनकी सेवा की शर्तों, वरिष्ठता, पदोन्नति और कार्यक्षमता पर उन सरकारों का अपनी सेवाओं को अफ्रीका बनाने की नीति से प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का कोई ऐसे कदम उठाने का विचार है जिससे यह व्यवस्था हो सके कि इन भारतीय राष्ट्रजनों के साथ अन्यायपूर्ण या विभेदकारी व्यवहार न किया जाये ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) बताया जाता है कि कीनिया की सरकारी सेवा में लगभग १५०० भारतीय नागरिक हैं और लगभग ३०० टेंगानीका में। युगांडा के बारे में आंकड़े उपलब्ध नहीं है ।

(ख) जी नहीं। सरकार समझती है कि ऐसे कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े यद्यपि भविष्य में इन की संभावना है ;

(ग) भारत सरकार ने अपने विचार ब्रिटिश सरकार को पहुंचा दिये है। आगे आवश्यक या वांछनीय कार्यवाही उपयुक्त समय पर की जायेगी ।

आण्विक विद्युत संयंत्र

†३८२३. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेडियो-सक्रियताप्रयोगों और आण्विक विद्युत् संयंत्रों के चलने से मानवीय स्वास्थ्य को खतरा पैदा होता है ; और

(ख) यदि हां तो यह खतरा किस प्रकार का है ; और

(ग) सरकार ने ऐसे खतरे को हटाने या कम करने के लिये क्या कदम उठाये हैं या उठाने का विचार है ।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) रेडियो-सक्रिय सामग्री से काम करने से चाहे वह प्रयोगों में किय गया हो या अणुशक्ति संयन्त्रों के चलाने में विकिरण से खतरा हो सकता है। तथापि साधारण स्थितियों में स्वास्थ्य को जो नुकसान पहुंच सकता है वह बहुत ही कम होता है ।

(ख) आयोनाइजिंग विकिरण के सामने आने से जो रोग हो सकते हैं वह सामने आने वाले व्यक्ति या उसके बच्चों में हो सकते हैं। इन्हें क्रमशः कायिक और जनन सम्बन्धी रोग कहा जाता है। कायिक रोगों में रक्त श्वेताणूमयता और अन्य विषालू बीमारियां भी हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

जनन सम्बन्धी रोग रेडियेशन से प्रभावित व्यक्तियों के बच्चों में जाहिर होते है। किन्तु साधारणतया काम करने की परिस्थितियां इतनी सुरक्षित होती है कि विकिरण बिलकुल नगण्य हो जाता है । बहुत सालों तक काम करने के बाद भी कोई हानि नही दिखाई देती।

(ग) प्रयोग-शालाओं और बिजली के यन्त्रों में विकिरण के खतरे से बचाव पर्याप्त परदे रखने हवादारी रखने और रडियो-सक्रिय दूषण के निरन्तर पता लगाते रहने से किया जाता है । उत्तर-दायी कर्मचारी श्रमिकों को विकिरण से बचने के तरीकों में और घर की अच्छी तरह रखने के तरीकों का प्रशिक्षण देते हैं ।

अनुशक्ति संस्थापन ट्राम्बे विकिरण से बचने के और डाक्टरी तथा उद्योग में काम आने वाली रडियोलाजिकल फिजिक्स में नियमित कोर्स चलाता है। इन के अतिरिक्त विकिरण के खतरे से बचने के लिये कर्मचारियो को प्रशिक्षण दिया जाता है। सुरक्षा समितियां द्वारा काम के तरीकों का पुनर्विलोकन किया जाता है और स्वास्थ्य तथा सुरक्षा विशेषज्ञों द्वारा प्रत्यक्ष निरीक्षण किया जाता हैं ।

व्यापार शिष्ट मंडल

†३८२४. **श्रीमती सरोजिनी महिषी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२ में किन किन देशों को व्यापार शिष्टमंडल भेजे जायेंगे ;

(ख) १९६२ में किन किन देशों से व्यापार शिष्टमंडल भारत आने की आशा हैं; और

(ग) व्यापारी लोगों को किस तरह व्यापारिक बातचीत से सम्बद्ध किया जायेगा।

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनभाई शाह) :** (क) और (ख) व्यापार मंडल चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, यूगोस्लाविया पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, रूमानिया-बुलगेरिया, रूस और पाकिस्तान को इन देशों के साथ वर्तमान व्यापार समझौतों के सम्बन्ध में भेजे जायेंगे। ऐसे शिष्टमंडल अफ्रीका, पश्चिम एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया को भी भेजे जाने की संभावना है। १९६२ में पश्चिम ऐशिया और अफ्रीका के कुछ देशों से आने की संभावना हैं। इस के अतिरिक्त, कई निर्यात वर्धक परिषदों और वस्तु बोर्डो का शिष्टमंडल भेजने तथा भारत में बुलाने का विचार है ।

(ग) वाणिज्य मंडलों / संघों / व्यापारियों से प्राप्त सुझाव को व्यापार शिष्ट मंडलों के साथ बातचीत के दौरान ध्यान में रखा जाता है।

हिमाचल प्रदेश में मोटर परिवहन कर्मचारी

†३८२५. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश में परिवहन कर्मचारियों को समेकित भत्ते की योजना स्वीकार करने के लिये बाध्य किया जाता है,

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या कर्मचारियों ने यह कह कर विरोध प्रकट किया है कि यह मोटर परिवहन कर्मचारी अधिनियम, १९६१ के उपबन्धों के विरुद्ध है ?

(ग) क्या कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने मामला केन्द्र को निर्दिष्ट किया है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)** : (क) से (घ). हाल में भारतीय सड़क परिवहन कर्मचारियो के राष्ट्रीय संघ, नई दिल्ली स एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिस में समेकित भत्ते का प्रश्न भी है। मामले की जांच की जा रही है।

मद्रास राज्य में आकाशवाणी केन्द्र

३८२६. **श्री धर्मलिंगम** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकार या मद्रास की जनता ने केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की हैं, कि मद्रास राज्य में आकाशवाणी केन्द्रों में 'आकाशवाणी' शब्द के स्थान पर 'वनोली' प्रयोग किया जाये; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शामनाथा)** : (क) और (ख). मद्रास राज्य में कुछ लोगों की यह मांग है। 'आकाशवाणी' 'आल इंडिया रडियो' का भारतीय भाषाओं में पर्याय है और सारे भारतीय भाषाओं के प्रसारणों में प्रयोग किया जाता हैं। भूतपूर्व मैसूर राज्य में यह पहले कन्नड में प्रयोग किया जाता था। सरकार को कोई 'रडियो' के स्थान पर कोई ऐसा शब्द प्रयोग किये जाने में आपत्ति नहीं है जो प्रादेशिक भाषाओं में स्थानीय रूप से प्रचलित हो और इस सम्बन्ध में निदेश पहले से है। अत: 'वनोली' शब्द तिरुची और मद्रास के स्टेशनों में उपयुक्त समय पर प्रयोग किया जाता है। राज्य सरकार से भी इस विषय में परामर्श कर लिया गया हैं।

तम्बाकू का निर्यात

†३८२७. **श्री कोलालला वैंकैय्या** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९–६०, १९६०–६१ और १९६१-६२ में राज्य व्यापार निगम ने विभिन्न देशों को विभिन्न प्रकार का कितना तम्बाकू निर्यात किया है ;

(ख) उस से विभिन्न वर्षो में विभिन्न देशों से कितनी आय हुई हैं ;

(ग) इस वर्ष निगम को विभिन्न देशों से तम्बाकू के लिये कितना आर्डर प्राप्त हुआ हैं; और

(घ) क्या निगम उत्पादकों या व्यापारियों से आर्डर पूरा करने के लिये तम्बाकू खरीद रहा हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :

(क)

वर्ष	देश	किस्म और परिमाण
१९५९–६०	रूस	४४,८०,३५८ पौंड फलू से साफ किया हुआ वार्जिनिया तम्बाकू।
,,	जापान	६,४८,७०० पौंड धूप से साफ किया हुआ वार्जिनिया तम्बाकू।
१९६०–६१	रूस	४२,७२,३५४ पौंड फलू से साफ किया हुआ वार्जिनिया तम्बाकू।
१९६१–६२	रूस	३९ ७६,९०० पौंड फलू से साफ किया हुआ वार्जिनिया तम्बाकू ।
,,	बेलजियम	२,४०० पौंड ब्राइट पी० एल० सुखाया हुए तीजे ।

(ख) राज्य व्यापार निगम द्वारा निर्यातों का ब्योरा ऊपर की सूची के अनुसार क्रमशः ३२,७५,४९७ रुपये, ४९९,८६१ रुपये, २८७१,७४२ रुपये, २३,४६,४४० रुपये और १६,३३३ रुपय है।

(ग) फलू से साफ किये हुए वार्जिनिया तम्बाकू के २०२५ टन तम्बाकू के लिये रूस के मैसर्ज रेज्नोक्स्पोर्ट के लिये संविदा कर लिया गया हैं ।

(घ) आर्डर पूरा करने के लिये माल अधिकृत पैकटों से लिया जाता हैं। जिन्हें उनके पिछले काम और अनुमानित संग्रह के आधार पर आवंटन किये जाते हैं। इस वर्ष २७ व्यक्तियों को आवंटन किये गये है ।

प्रकाशन विभाग

†३८२८. **श्री बसुमतारी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के प्रकाशन विभाग में एक आसामी या उड़िया यूनिट है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके कारण ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शामनाथ)** : (क) और (ख). अभी नहीं। इस समय आसामी और उड़िया में प्रकाशन विभाग बाहर से अनुवाद करा के निकालता है तथापि आसामी और उड़िया यूनिट स्थापित किये जा रहे हैं। प्रकाशन विभाग में एक एक पद सहायक सम्पादक और क्लर्क का आसामी और उड़िया के लिये निकाला गया है। कर्मचारी नियुक्त किये जाने पर यूनिट काम करने लगेगा।

आसफअली रोड, नई दिल्ली में आग

†३८२९. श्री दी० चं० शर्मा : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में आसफ अली रोड पर भारत सरकार के एक कार्यालय में आग लगने की घटना हुई थी ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसका कारण और कितने कमरों में आग लगी थी ;

(ग) अनुमानतः कितने रुपये का नुकसान हुआ ;

(घ) क्या मशीनरी या महत्वपूर्ण अभिलेखों का भी नुकसान हुआ था ;

(ङ) यदि हां, तो क्या घटना में कोई जांच की गई है ;

(च) क्या यह सच है कि पहले भी कहीं इस प्रकार की घटना हो चुकी है ; और

(छ) यदि हां, तो उसका ब्योरा ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)**: (क) जी, हां । ४ मई, १९६२ को प्रातः कारखानों के मुख्य सलाहकार के कार्यालय में ।

(ख) आग बिजली की तारों में शार्ट सर्किट होने के कारण बताई जाती है । एक विभाग में जिस में चार कमरे थे, आग फैल गई थी ।

(ग) लगभग १८,००० रुपये ।

(घ) कमरों में टेलीफोनों और क्लाकों को नुकसान पहुंचा था और कुछ फाइल नष्ट हो गई थीं ।

(ङ) मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई है ।

(च) और (छ). मई, १९५७ में इमारत के पीछे एक खस की टट्टी को आग लग गई थी, किन्तु कोई नुकसान नहीं हुआ । खस खस हटा कर फेंक दी गई थी ।

पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों को मध्य प्रदेश में बसाना

†३८३०. **श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक पूर्वी पाकिस्तान के कितने विस्थापित व्यक्तियों को मध्य प्रदेश में बसाया गया है ;

(ख) उन पर अब तक कितनी राशि खर्च की गई है ;

(ग) कहां और कितने ऐसे व्यक्ति भेजने का प्रस्ताव है ; और

(घ) इस काम के लिये मध्य प्रदेश सरकार के साथ क्या प्रबंध किये जा रहे हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) दंडकारण्य को छोड़कर मध्य प्रदेश में २११६ परिवारों को बसाया गया है ।

(ख) ३१ मार्च, १९६२ तक ११८·७० लाख रुपये ।

(ग) और (घ) दंडकारण्य योजना के अन्तर्गत मध्य प्रदेश राज्य में बसाये जाने वाले विस्थापित व्यक्तियों को छोड़ कर अन्य परिवारों को उस राज्य में भेजने का विचार न है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कच्चे पटसन का उत्पादन व्यय

†३८३१. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में कच्चे पटसन के उत्पादन व्यय के बारे में भारतीय केन्द्रीय पटसन समिति द्वारा की गई जांच के बारे में सरकार को कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) क्या उसका इस वर्ष पटसन उत्पादकों से पटसन खरीदने के लिये निम्नतम मूल्य घोषित करने का विचार है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). जी नहीं । एक निम्नतम मूल्य पहले से है और नये फसल के प्रकाश में इसका पुनरीक्षण किया जायेगा ।

पटसन बफर स्टाक एजेन्सी

†३८३२. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटसन की बफर स्टाक एजेंसी ने उड़ीसा से विशेषकर पटसन विपणन सहकारी समितियों से पटसन खरीदा है और यदि हां, तो कितना ;

(ख) एजेंसी ने उड़ीसा में पटसन उत्पादकों को कितना मूल्य दिया है ;

(ग) क्या यह सच है कि उड़ीसा में पटसन २२–२५ रुपये मन की दर से बेचा जा रहा है ; और

(घ) इस समय तक पटसन विपणन सहकारी संस्थाओं के पास कितना कच्चा पटसन पड़ा हुआ है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (घ). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और पटल पर रख दी जायेगी ।

निशस्त्रीकरण सम्मेलन

†३८३३. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनीवा में हुई निःशस्त्रीकरण सम्मेलन की एक हाल की बैठक में भारत ने आणविक निःशस्त्रीकरण की समस्याओं पर विचार करने के लिये एक विशेषज दल स्थापित करने का विरोध किया था ;

(ख) यदि हां, तो इस बात के क्या कारण थे ; और

(ग) सम्मेलन की इसके बारे में क्या प्रतिक्रिया थीं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) से (ग). चर्चा के दौरान में ब्रिटिश प्रतिनिधि ने सुझाव दिया था कि आणविक निःशस्त्रीकरण

---

†मूल अंग्रेजी में

संबंधी प्रविधिक मामलों का अध्ययन करने के लिये एक कार्यकारी दल स्थापित किया जाय, ताकि प्रभावोत्पादक नियंत्रण और निरीक्षण किया जा सके। रूसी प्रतिनिधि ने इस सुझाव का विरोध किया। ७ जून, १९६२ को भारतीय प्रतिनिधि ने इस पर राय देते हुये ब्रिटिश सुझाव का विरोध नहीं किया, किन्तु यह आशा की कि अध्ययन करने वाले व्यक्तियों के मामले में संकुचित दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिये। उसने सुझाव दिया कि ऐसा अध्ययन स्वयं निःशस्त्रीकरण की अनौपचारिक बैठकों में किया जाय। इस विषय में अभी कोई निर्णय नहीं हुआ।

प्रेस सूचना विभाग द्वारा प्रचार सामग्री का वितरण

†३८३५. { श्री हिम्मतसिंहजी :
श्री कपूर सिंह :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रेस सूचना विभाग की अंग्रेजी और हिन्दी में प्रचार सामग्री वितरित करने के बारे में क्या नीति है ;

(ख) हिन्दी प्रचार सामग्री को बढ़ाने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ;

(ग) भारत सरकार कितनी भारतीय भाषाओं में अपनी प्रचार सामग्री प्रकाशित कर रही है और किन-किन स्थानों से ; और

(घ) इस बात का प्रबन्ध करने के लिये कि प्रचार सामग्री सब मुख्य भारतीय भाषाओं में जारी की जाये, क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शामनाथ) : (क) पत्र सूचना विभाग की प्रचार सामग्री अंग्रेजी और हिन्दी में प्रार्थना प्राप्त होने पर समाचारपत्रों, पत्रिकाओं, मान्यता प्राप्त संवाददाताओं को दी जाती है, ताकि समाचारपत्रों द्वारा जनता को सरकार की नीतियों से अवगत कराया जा सके।

(ख) हिन्दी भाषी क्षेत्रों में अधिक वितरण केन्द्र खोलकर सेवा को बढ़ाने का विचार है। इन क्षेत्रों को सम्पर्क विभाग के मुख्यालय के साथ टेलीप्रिंटर द्वारा स्थापित किया जायेगा।

(ग) और (घ). प्रचार सामग्री निम्न १२ भाषाओं में प्रकाशित की जाती है।

भाषा	प्रकाशन का नाम
मराठी . . .	बम्बई और नागपुर
गुजराती .	बम्बई और अहमदाबाद
तमिल . . .	मद्रास
तेलगू	हैदराबाद
कन्नड़	बंगलौर
मलयालम . . .	त्रिवेन्द्रम
बंगाली	कलकत्ता

†मूल अंग्रेजी में

भाषा	प्रकाशन का नाम
आसामी	गौहाटी
उड़िया	कटक
पंजाबी	जालंधर
हिन्दी	नई दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी, जयपुर, पटना, कलकत्ता ।
उर्दू	नई दिल्ली, जालंधर, हैदराबाद ।

इस समय किसी अन्य भाषा में प्रचार सामग्री प्रकाशित करने का प्रस्ताव नहीं है ।

पदाधिकारियों द्वारा निम्न श्रेणी के क्वार्टरों में निवास

†३८३६. **श्री डी० चं० शर्मा** : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अवर सचिव की श्रेणी के कुछ पदाधिकारी गोल मार्किट, आराम बाग, मिन्टोरोड आदि क्षेत्रों के 'ई' और 'एफ' श्रेणियों के क्वार्टरों में रहते हैं, जो ५०० रुपये से कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिये होते हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे पदाधिकारियों की संख्या क्या है और उनके वहां रहते रहने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि वे अपनी उचित श्रेणी के मकानों में नहीं जाना चाहते दूरी के कारण या इसलिये कि उन्हें किराया अधिक देना पड़ता है ; और

(घ) उन्हें अपनी उचित श्रेणी के क्वार्टरों में भेजने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ; ताकि वे अपने क्वार्टर उचित श्रेणी वाले कर्मचारियों के लिये खाली कर दें और वे अपनी उच्च श्रेणी के क्वार्टरों के लिये १० प्रतिशत अपने वेतन का किराया दें ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ). २६ । ये पदाधिकारी तब उन क्वार्टरों मे आये थे जब वे अभी अवर सचिव नहीं बने थे । जब उन की अधिकृत श्रेणी में उन्हें क्वार्टर देने की बारी आयेगी, तो उन्हें वहां भेजा जायेगा । किराया नियामानुसार लिया जाता है ।

डी० सी० एम० कैमिकल वर्क्स, दिल्ली में दुर्घटना का जांच प्रतिवेदन

†३९३७. **श्री डी० चं० शर्मा** : क्या श्रम और रोजगार मंत्री २ दिसम्बर, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १०५९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी० सी० एम० कैमिकल वर्क्स, दिल्ली में दुर्घटना की मजिस्ट्रेट द्वारा जांच की उपपत्तियां सरकार को मिल गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ग) जांच की उपपत्तियों पर क्या निर्णय लिया गया ;

(घ) मृत कर्मचारियों के आश्रितों को कितना प्रतिकर दिया गया ;

(ङ) मालिक के विरुद्ध गड़बड़ी के लिए क्या कार्यवाही की गई ;

(च) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है तो जांच का प्रतिवेदन कब तक पूरा हो जाने की आशा है। सरकार को कब तक उसके मिल जाने की आशा है ; और

(छ) जांच किस संविदित उपबन्ध के अधीन की गई और प्रतिवेदन के प्रस्तुत करने के लिए तथा उसकी क्रियान्विति के लिए उसके अन्तर्गत कितना समय निर्धारित है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)** : (क) अभी नहीं।

(ख), (ग) और (ङ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(घ) एक मृत कर्मचारी के आश्रित को प्रतिदिन १ रुपया ९४ नया पैसा के हिसाब से आश्रित लाभ मिल रहा है जबकि शेष पांच मृत कर्मचारियों के आश्रितों को १४,५०० रुपया प्रतिकर दे दिया गया है।

(च) आशा है प्रतिवेदन शीघ्र ही सरकार को मिल जायेगा।

(छ) दण्ड प्रक्रिया संहिता, १८९८ की धारा १७६। प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिए कोई समयावधि निश्चित नहीं है।

उड़ीसा खादी तथा कुटीर उद्योग बोर्ड के कर्मचारियों का प्रशिक्षण

†३८३८. **श्री गो० महन्ती** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा खादी तथा कुटीर उद्योग बोर्ड द्वारा खादी उद्योग में बढ़ईगिरी का प्रशिक्षण पाने के लिए कितने व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व किया गया है ;

(ख) प्रशिक्षण का क्या उद्देश्य है ; और

(ग) उड़ीसा खादी तथा कुटीर उद्योग बोर्ड मे इस समय कितने प्रशिक्षित व्यक्ति हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) कोई नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

मस्जिद मोठ, नई दिल्ली में निष्क्रान्त भू-सम्पत्ति

†३८३९. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मस्जिद मोठ गांव तथा नई दिल्ली के अन्य क्षेत्रों में से पश्चिम पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों की निष्क्रान्त भू-सम्पत्ति के अर्जन करने का

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह सम्पत्ति विस्थापित व्यक्तियों ने अपने दावों के एवज मे मिलने वाले प्रतिकर के विरुद्ध खरीदी थी ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसा करने के क्या कारण हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** :(क) और (ग). मस्जिद मोठ गांव की जमीन दिल्ली प्रशासन ने, दिनांक १३–११–१९५९ की जमीन अधिसूचना संख्या ३४०७० के द्वारा वृद्ध योजना के अधीन अधिसूचित कर दी गई थी। इस अधिसूचना में निष्क्रान्त भमि नहीं है। निष्क्रान्त जमीन के बिक जाने के बाद क्या नीलाम द्वारा खरीदने वालों को सनद दे देने के बाद जमीनें स्थानीय काननों के अधीन आ जायेंगी। बीलाम द्वारा विस्थापित व्यक्तियों द्वारा खरीदी गई जमीन का दिल्ली प्रशासन द्वारा अर्जन करने के कारणों का पता लगाया गया है तथा उसका विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा।

(ख) मस्जिद मोठ गांव में विस्थापित व्यक्तियों ने अपने दावों के विरुद्ध लगभग १५४ बीघा जमीन खरीदी थी। ६ अन्य व्यक्तियों ने भी लगभग १५ बीघे जमीन खरीदी है क्योंकि उन्होंने विस्थापित व्यक्तियों के दावों में सहयोग दिया है।

तिब्बती शरणार्थी शिविर

†३८४०. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बुक्सा और डलहौजी के तिब्बती शिविर की जिम्मेदारी एकदम सरकार की ही है ;

(ख) क्या किसी व्यक्ति ने इंटरनेशनल बुद्धिस्ट न्यूज फोरम, रंगून के द्वारा सुझाव दिया है कि यह शिविर तिब्बती मित्रता की नई दिल्ली के केन्द्र हैं तथा उस वर्ग की ओर से धन आदि देने की अपील की है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस जालसाजी के काम को रोकने के लिए कोई कार्यवाही की है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जी हां।

(ख) सरकार ने उल्लिखित लख देखा है जिसमें इन शिविरों के नियंत्रण के बारे में गलत बातें कहीं है।

(ग) लेख के लेखक को चेतावनी दी गई है कि भविष्य में ऐसी ग़लत बातें न प्रकाशित करें।

चीनी प्रचार के प्रतिक्रिया के रूप में एशिया के देशों के लिए आकाशवाणी के प्रसारण

†३८४१. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री ११ जन, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या १३९९ तथा उस पर पूछे गये अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि कितनी बार सप्ताह में कितने घंटे तथा किन किन भाषाओं में आकाशवाणी के वैदेशिक प्रसारण, किन-किन एशिया के देशों को चीनी प्रचार प्रतिक्रिया के रूप में प्रसारण किया जाता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शामनाथ)** : सामान्यतः एशिया के देशों को होने वाले आकाशवाणी की वैदेशिक सेवा प्रसारण के बताने वाला एक विवरण संबद्ध है। [**देखिये परिशिष्ठ ४ अनुबन्ध संख्या १०३**]। चीनी प्रचार के विरोध में आकाशवाणी का कोई प्रसारण नहीं होता है परन्तु रेडियो वार्ता, समाचार टिप्पणी आदि सीमा समस्या का उससे संबंद्ध विषयों पर आकाशवाणी की विदेश सेवा द्वारा प्रसारित होती हैं तथा इस संबंध मे भारत सरकार द्वारा समय-समय पर दिए गये वक्तव्यों पर भी ध्यान दिया जाता है।

गिरिमिट कोयला खान में दुर्घटना

†३८४२. **श्री प्रभात कार :**
डा० उ० मिश्र :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९ मई की प्रातः गिरिमिट कोयला खान मे एक दुर्घटना हो गई थी ;

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्ति हताहत हुए ;

(ग) खान विभाग की क्या उपपत्तियां हैं ;

(घ) क्या सरकार उपपत्तियां सभा-पटल पर रखेगी ;

(ङ) क्या यह सच है कि जिन मजदूरों ने खान विभाग के सामने गवाही दी थी उनको मुअत्तल कर दिया गया है ;

(च) यदि हां, तो क्या सरकार को कोयला खान मजदूर सभा से कोई पत्र मिला है ; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है कि मजदूरों का उत्पीड़न न हो।

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी हां।

(ख) एक हत तथा एक आहत।

(ग) दुर्घटना छत गिर जाने से हुई थी तथा कदाचार का मामला था।

(घ) जांच अधिकारी का प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखा जाता है ? (**देखिये परिशिष्ठ ४, अनुबन्ध संख्या १०४**]

पश्चिम बंगाल में नई यवासवनी

†३८४३. **श्री योगेन्द्र झा**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने पश्चिम बंगाल में एक यवासवनी की स्थापना के लिए अनुमति दे दी है; और

(ख) क्या सरकार कुछ और यवासवनी बनाने के सम्बन्ध में विचार कर रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में
Brewery

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय म उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी हाँ ।

(ख) जी नहीं ।

सरकारी उपक्रमों को ऋण

†३८४४. **श्री याज्ञिक** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च ३१, १९६१ तक सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कितना धन विनियोजित किया गया तथा सरकार द्वारा ऋण दिया गया;

(ख) चालन के परिणामस्वरूप ३० जून, १९६१ तक इन उपक्रमों ने कितना फालतू अर्जन किया;

(ग) इनके फालतू धन में से कितना इन उपक्रमों में पुनः लगा दिया गया; और

(घ) ३० जून, १९६१ तक सरकार को अपने विनियोजन, तथा सूद तथा पुनः भुगतान के लिए कितना धन मिला ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (घ) जानकारी इकट्ठा की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

व्यापारिक संस्थाओं में गैर-भारतीयों का नियोजन

†३८४५. **श्री गु० बसु** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५९–६०, १९६०–६१ और १९६१–६२ में व्यापारिक संस्थाओं में रोजगार के लिए भारत आये कितने गैर-भारतीय प्रविधिक, व्यावसायिक और अन्य श्रेणियों में नियोजित हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : निर्दिष्ट श्रेणियों के अधीन ठीक जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

तथापि, माननीय सदस्य का ध्यान दिनाँक १६ फरवरी, १९६२ के "विदेशी सार्थों में भारतीयों का नियोजन—अग्रेतर प्रगति (एम्प्लायमेंट ऑफ़ इण्डियन्स इन फारेन फर्म्स—फरदर प्राग्रेस रिकार्डिड)" नामक प्रेस नोट की ओर, आकृष्ट किया जाता है, जिसकी प्रतियाँ संसद् पुस्तकालय में उपलब्ध हैं । इस प्रेस नोट में भारत में विदेशी स्वामित्व/नियंत्रण के अधीन औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्थाओं मेंनियोजित अनुसारभारतीय और गैर-भारतीयों के बारे में जानकारी दी हुई है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

चीनियों द्वारा नेफा में कुछ भारतीय राज्य क्षेत्र पर कथित कब्जा

†**श्री बड़े** (खारगोन) नियम १५७ के अन्तर्गत मैं प्रधान मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वे उस के सम्बन्ध में वक्तव्य दें :

"नेफा में लगभग ५०० वर्ग मील भारतीय राज्य-क्षेत्र पर कथित कब्जा"

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : यद्यपि चीनी यह कहते रहे हैं कि वे मैकमोहन लाईन को मान्यता नहीं देते हैं परन्तु उन्होंने लोंगजू को छोड़ कर, जिस पर चीनियों ने अगस्त, १९५९ में कब्जा किया था और १९६१ में किसी समय उसे खाली कर दिया था और कोई गम्भीर अतिक्रमण नहीं किये गये हैं। नेफा क्षेत्र में जो आखिरी छोटा अतिक्रमण हुआ वह चीनी अधिकारियों के सम्बन्ध में था जो कि रौए ग्राम जोकि लोंगजू के आधा मील दक्षिण में है, में गये। इसके बारे में हमने अपने १८ अप्रैल, १९६२ के नोट में विरोध किया। नई दिल्ली दिनांक १७ जून वाली 'फ्री प्रैस जरनल' रिपोर्ट में विवरण कि चीनी सैनिक नेफा क्षेत्र में आगे बढ़ आये हैं सही नहीं है; न ही यह सही है कि भारत सरकार द्वारा उस के सम्बन्ध में पेकिंग से विरोध प्रकट किया है। केवल लौंगजू के आधा मील दक्षिण में रौए ग्राम के सम्बन्ध में जो छोटा अतिक्रमण है उसके बारे में विरोधपत्र भेजा है। प्रैस रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख है कि चीनी सेना ने भारत क्षेत्र और तिब्बत के बीच में लगभग ५०० वर्ग मील क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। इस क्षेत्र पर उन्होंने पहले कब्जा नहीं किया था। हमें तिब्बत के क्षेत्र में, मैकमोहन लाइन के उत्तर में चीनियों की कार्रवाइयों के सम्बन्ध में कोई निश्चित जानकारी नहीं है, परन्तु तिब्बत के पेमको क्षेत्र से हमारी नेफा क्षेत्र की एक सीमान्त चौकी में लगभग ५० तिब्बती शरणार्थी अवश्य आये हैं। यह क्षेत्र मकमोहन लाइन के उत्तर में है।

श्री बड़े : १९ जून के अखबार में निकला है कि प्रधान मंत्री ने लोक सभा में बयान दिया था कि अन्डर सेक्रेटरी श्री देसाई और आसाम के चीफ मिनिस्टर नेफा गये थे और यह भी बतलाया था कि वे आसाम राइफल्स के झगड़े के सम्बन्ध में वहाँ गये थे। क्या यह बात सत्य है कि चूंकि चाइना ने इन्स्पेक्शन करने के लिए वहाँ नये चेक पोस्ट कायम किये हैं इस वास्ते अन्डर सेक्रेटरी श्री देसाई और चीफ मिनिस्टर आसाम वहाँ गये थे ?

प्रधान-मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : सवाल जो शुरू में था उसमें यह इशारा था कि गोया चीनी फौजें आ गई हैं मैकमोहन लाइन के नीचे। उस का जवाब यह है कि कोई नहीं आया। यह सब बिल्कुल गलत है। अगर तिब्बत में अपनी फौजें वे इधर उधर करें तो मैं ठीक जवाब नहीं दे सकता। लेकिन मैकमोहन लाइन के नीचे कोई नहीं आया। यह जवाब हो गया। अब आप कहते हैं अन्डर सेक्रेटरी गये। शायद आप का मतलब फारेन सेक्रेटरी से होगा। फारेन सेक्रेटर वहाँ गये थे। वह गये थे इस लिए कि बहुत सारे काम थे। सोचा कि बजाय कुछ खत व किताबत होने के बातचीत हो जाये। उन्हें बात चीत करनी थी।

अध्यक्ष महोदय : उन का ऐक्युजेशन है कि वह इस सम्बन्ध में वहाँ गये थे कि चीन की फौजों ने कब्जा कर लिया था।

श्री जवाहरलाल नेहरू : चीनियों ने कब्जा ही नहीं किया है तो सम्बन्ध कसे हो सकता है उस से ?

श्री बड़े : सवाल है कि वहाँ आसाम राइफल्स में असन्तोष होने के कारण नहीं बल्कि इन्स्पैक्शन के लिए वहाँ पर चाइना ने चेक पोस्ट कायम कर लिया है इसलिए वे गये थे।

श्री जवाहरलाल नेहरू : आपने सवाल किया है कि वहाँ पर कब्जा किया है या नहीं। उस का जवाब है "नहीं"। कब्जा किसी ने नहीं किया, कोई इशारा इस का नहीं हुआ, कोई जिक्र नहीं हुआ। गरज ख्वाब में भी यह नहीं हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री प्रिय गुप्त** (कटिहार) : केवल कब्जा ही किया ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : फारिन सेक्रेटरी वहाँ बहुत से कामों से गये थे । वहाँ पर नागालैंड के सिलसिले में फ्रांटियर सरविसेज़ की एक मीटिंग होने वाली थी, उन लोगों से मिलने और बातचीत करने गये थे । गवर्नर से भी मिलना था । इस तरह से उनको बहुत से काम थे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : जिन सदस्यों ने इस मामले को उठाया है उनमें किसी ने कोई प्रश्न पूछना है ?

†**श्री जसवन्त मेहता** (भावनगर) : उपमंत्री ने कहा है कि १९५९ में नेफा क्षेत्र में उन की भुमि का कुछ हिस्सा उन्होंने लिया । चीनियों ने १९६१ में कौन सी भूमि पर कब्जा किया ?

†**श्री दिनेश सिंह** : नहीं, जी । मैं ने अभी वक्तव्य पढ़ा जिस में यह था कि उन्होंने लौंगजु को छोड़ और किसी क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : बड़े और छोटे आक्रमण में क्या अन्तर है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : चार या पाँच व्यक्ति इकट्ठे बोलते हैं । उनमें भेद करना मुश्किल है । फिर दो बोल रहे हैं ।

†**श्री नाथपाई** (राजापुर) : माननीय उपमंत्री ने कहा कि कोई गम्भीरतापूर्ण घटना नहीं हुई है । इसका क्या अर्थ था ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : उत्तर बिल्कुल स्पष्ट है । नेफा क्षेत्र में इसके अतिरिक्त कि दो या तीन वर्ष पूर्व लौंगजू घटना हुई थी और ग्राम रौए तक दो अधिकारी आधा मील आये और कोई अतिक्रमण नहीं हुआ है । सारी मैकमोहन लाइन पर इन दो घटनाओं के अतिरिक्त और कहीं भी कोई अतिक्रमण नहीं हुआ है ।

आई० ए० एफ० स्टेशन, बपरौला, दिल्ली में एम० ई० एस० के दो मेहतरों की काम करते हुए मृत्यु

श्री बागड़ी : मैं नियम १९७ के अन्तर्गत प्रतिरक्षा मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकृष्ट करता हूं और चाहता हूं कि वह इस सम्बन्ध में अपना वक्तव्य दें :

"दिल्ली के बपरोला गाँव में भारतीय वायु सेना के केन्द्र में भूमिगत नालियों के छिद्रों की सफाई करते समय एम० ई० एस० के दो भंगियों की मृत्यु ।"

*†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चावन)** : सरकार को सदन में यह सूचित करते दुःख हो रहा है कि १६ जून, १९६२ को मिलिटरी इंजीनियर सर्विस के दो जमादारों की मृत्यु हो गई । नजफगढ़ स्थित वायु सेना यूनिट के गन्दे नाले को साफ करने के लिए तीन जमादार को तैनात किया गया था । उनमें से एक जमादार नाले में घुसा और बाकी दो बालटियों द्वारा गन्दे पानी को खींचने के लिए बाहर रहे । कुछ समय बाद श्री रूपचन्द जोकि नाले के अन्दर था फिसल कर गन्दगी में फंस गया । बाकी दोनों मदद के लिए चिल्लाने लगे । उनमें से एक जिसका

---

† इस वक्तव्य का अंग्रेजी पाठ रक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघूरामय्या) ने पढ़ा ।

†मूल अंग्रेजी में

नाम श्री जयलाल था, श्री रूपचन्द की मदद के लिए नीचे नाले में उतरा । बाकी आदमी दौड़ कर घटनास्थल पर पहुंचे और उनमें से तीन आदमी सर्व श्री रूपचन्द तथा जयलाल को मदद देने के विचार से जल्दी से नाले में उतरे, किन्तु उन्हें चक्कर आ गया और उन्हें खींच कर नाले में से निकालना पड़ा। सर्वश्री रूपचन्द और जयलाल को रस्सी का सहारा देने की कोशिश की गयी किन्तु उसमें कोई सफलता नहीं मिली । अब तक फायर ब्रिगड भी आ पहुंचा और उसके आदमियों ने सर्वश्री रूपचन्द तथा जयलाल की लाशों को बाहर निकाला । इसके बाद पता चला कि दम घुटने के कारण वे दोनों मर चुके हैं । बाकी तीन आदमी जिन्हें चक्कर आ गया था, नजफगढ़ के सिविल अस्पताल में ले जाये गये, वहाँ उनका उपचार हुआ और वे ठीक हो गये ।

भारतीय वायु सेना पालम के नम्बर तीन विंग ने कोर्ट आफ इन्क्वायरी का हुक्म दिया है । विस्तृत विवरण रिपोर्ट आने पर पता चलेगा और उसके बाद मरे हुए व्यक्तियों के आश्रितों को मुआवजा दे नेके प्रश्नों पर नियमों के अन्तर्गत विचार किया जायगा ।

श्री बागड़ी : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इस विज्ञान के जमाने में क्या कोई कमेटी इस बात पर विचार करने के लिये बिठाई गई है इस तरह से गन्दगी में दाखिल हो कर उस को साफ करने के बजाय कोई मशीनी तरीका खोजा जाये जिस से सफाई की जा सके और आदमियों की जान खतरे में न पड़े ? और क्या मरने वालों के खानदानों को पेंशन देने का भी खयाल रखा जायेगा ?

†**श्री रघुरामय्या** : यह साधारण काम है जो होता है ।

श्री बागड़ी : मेरी समझ में कुछ नहीं आता ।

†**श्री रघुरामय्या** : इसका हिन्दी में अनुवाद होगा ।

यह काम लगभग छः महीनों में एक बार होता है जब वाल्व बन्द हो जाते हैं । तब किसी को उतर कर सफाई करनी पड़ती है । पिछले पाँच वर्षों में ऐसा दो बार किया गया है । कुछ नहीं हुआ । यह बात सही है कि यह दुर्घटना हुई है । हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिये कुछ किया जा सकता है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : उन का प्रश्न था कि क्या इस में. . . . .

†**श्री रघुरामय्या** : निश्चय इस सब पर विचार किया जायेगा । हम जाँच न्यायालय के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा कर रहे हैं । उन की जाँच के अनुसार जो कार्यवाही की जायगी उस पर विचार किया जायेगा ।

श्री बागड़ी : स्पीकर साहब, इसको हिन्दुस्तानी में समझा दिया जाय ।

अध्यक्ष महोदय : इस का हिन्दी में मतलब यह है कि आम तौर पर अभी तक इसी तरीके से सफाई की जाती रही है और उन दीवारों को साफ करना जरूरी था इसलिये उन लोगों को नीचे जाना पड़ा । सरकार को अफसोस है कि उनकी मृत्यु हो गई । ऐसी तजवीज सोची जा रही हैं और

---

†मूल अंग्रेजी में

[अध्यक्ष महोदय]

ऐसे अकदाम उठाये जा रहे हैं और इस बात का खयाल किया जा रहा है कि आयन्दा ऐसा न हो और इस बारे में और सोचा जायेगा। जो उनको मुआवजा देना है उस के बारे में रिपोर्ट आ जाने के बाद फैसला किया जायेगा कि उनको क्या मुआवजा दिया जाये।

श्री बाल्मीकी (खुर्जा) : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के अंदर यह कोई नई घटना नहीं घटी है। दिल्ली में पहले भी कारपोरेशन आदि में इस तरह की दुर्घटनाएं हुई हैं और सब से बड़ी अफसोस की बात तो यह है कि एम० ई० एस० जोकि सब तरह से साधन सम्पन्न विभाग है उस को आज तक इतनी फुरसत नहीं मिली कि वह सुरक्षा के साधन जुटा सकता। इन सफाई कर्मचारियों को इस तरह से ५० फिट गहरे गंदे मैनहोल के अन्दर जाकर पानी में डुबकी लेनी पड़ती है।

उनकी सुरक्षा का अभी तक समुचित प्रबन्ध नहीं किया जा सका है। दो आदमी जोकि पानी में उतरे थे मर गये। उन के शरीर पर बचाव की वर्दी ऐप्रन आदि कुछ नहीं थे। जबकि बम्बई आदि नगरों में और बाहर के देशों में इस प्रकार की बचाव वर्दियां हैं तो मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार ने अपने यहां अब तक इस प्रकार के सुरक्षा के साधन क्यों नहीं उपलब्ध किये ?

†**श्री रघुरामय्या** : जहां तक एम० ई० एस० का सम्बन्ध है, यह अपनी प्रकार की पहली दुर्घटना है 'सल्लज' लगभग दो फुट गहरा था और मैनहोल खोल कर गैसें निकले के लिये ध्यान रखा गया था; रोशनदान भी थे। दुर्भाग्यवश यह घटना हुई है, परन्तु जब जाँच न्यायालय अपना काम आरम्भ करेगा तो इन सब की जाँच की जायेगी।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं उन सदस्यों को प्रश्न पूछने नहीं दूँगा, जिन्होंने नाम नहीं लिखाये थे।

पूर्वोत्तर रेलवे के तिलरथ स्टेशन के निकट गाड़ी और ट्रक की टक्कर

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** (धनबाद) : नियम १९७ के अन्तर्गत मैं रेलवे मंत्री का ध्यान निम्न-लिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं :—

> "तिलरथ स्टेशन के निकट रेलवे फाटक पर २१ जून, १९६२ को एक ट्रक की कामरूप एक्सप्रेस से हुई कथित टक्कर की ओर, जिससे आठ व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और अन्य कई लोगों को सख्त चोटें आईं।"

†**रेलवे मंत्री (श्री स्वर्णसिंह)** : २१ जून, १९६२ को पूर्वोत्तर रेलवे के बरौनी-कटिहार सेक्शन पर तिलरथ स्टेशन के रेलवे फाटक संख्या ५३ पर से जिस पर चौकीदार नियुक्त है गुजरते हुए नं० ३ डाउन कामरूप एक्सप्रेस की ईंटों से भरे हुए एक ट्रक से टक्कर हो गई। ट्रक में ११ व्यक्ति बैठे थे।

ट्रक में बैठे हुए ११ व्यक्तियों में से ७ मारे गये शेष चार को मामूली चोटें आईं। रेलगाड़ी के सब से आगे के डिब्बे के पायदान पर खड़ा हुआ एक यात्री गिर पड़ा तथा उसे चोट आई।

दुर्घटना-स्थल पर चिकित्सा सहायता भेज दी गई। घायल हुए पांच व्यक्ति बेगुसराय के सिविल अस्पताल में भेज दिये गये हैं तथा उनकी हालत में सुधार हो रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे अधिकारी घटनास्थल पर जल्दी से गये ।

ट्रक बुरी तरह से टूट गया । रेलवे इंजन के "काओ कचर" को भी नुकसान पहुंचा ।

मामले की जांच हो रही है और जिला पदाधिकारियों को जाँच का आदेश दे दिया गया है ।

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या सरकार ट्रक और बसों के आने जाने को नियमित बनाने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही कर रही है ?

श्री बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, हिन्दी में इसका अनुवाद कर दिया जाये ।

†**श्री स्वर्ण सिंह** : रेलवे और सड़कों का प्रयोग करने वालों को लगातार ध्यान रखना चाहिये । इस सम्बन्ध में क्या आवश्यक कार्यवाही की जा सकती है, इसे मैं नहीं समझ सकता । यह दुर्घटना बहुत दुर्भाग्य की है । यह और भी अफसोस की बात है कि यह उस फाटक पर हुई जिस पर चौकीदार नियुक्त था । यह दुर्घटना मानवीय भूल के कारण हुई है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या इस फाटक पर चौकीदार है ?

†**श्री स्वर्ण सिंह** : हाँ ।

†**श्री प्रिय गुप्त** : अखबारों में लिखा है कि इस पर चौकीदार नहीं है ।

श्री बिशन चन्द्र सेठ (एटा) : मैं अपने आदरणीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि यह रेलवे गेट पर ऐक्सीडेंट कोई पहली मर्तबा नहीं हुआ है बल्कि अक्सर यह होते रहते हैं और यहाँ पर जैसे आप मंत्री महोदय ने जवाब दे दिया इसी तरह से जवाब देकर छोड़ दिया करते हैं तो क्या इन ऐक्सीडेंट्स को आयन्दा न होने देने के वास्ते मंत्री महोदय कोई स्पेशल प्रीकाशनरी स्टैप उठाने जा रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय ने जवाब तो दे दिया है ।

श्री बिशनचन्द्र सेठ : वह जवाब सैटिसफैक्टरी नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : अब यह हो सकता है कि आप के विचार में वह सैटिसफैक्टरी न हो ।

श्री बिशनचन्द्र सेठ : कोई भी प्रीकाशन और केयर नहीं ली जाती है और रोज ऐसे केसेज होते हैं . . .

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर । श्री बागड़ी ।

श्री बागड़ी : सच्ची बात यह है, ईमानदारी की बात यह है कि मैं नहीं समझा हूं । मुझे हिन्दी में समझा दिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : श्री रामसेवक यादव :

श्री राम सेवक यादव : जब इस दुर्घटना की जिम्मेदारी रेलवे विभाग पर है तो क्या रेलवे पीड़ितों के परिवार वालों को कुछ मुआविजा देने के सवाल पर विचार कर रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री स्वर्ण सिंह : मैं समझ नहीं पाया हूं ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने पूछा है कि इस दुर्घटना में जो लोग मर गये हैं उन के वारिसों को क्या कोई मुआवजा देने के सवाल पर विचार किया जा रहा है ?

श्री स्वर्ण सिंह : इनक्वायरी की रिपोर्ट के बाद इस बात के मुताल्लिक राय कायम की जा सकती है ।

श्री बड़े : वही घिसे पिटे जवाब दिये जा रहे हैं । मैं जानना चाहता हूं कि जब गेट पर पोर्टर था तो उस ने गेट बन्द क्यों नहीं किया ?

अध्यक्ष महोदय : यह तहकीकात से पता चलेगा ।

श्री बागड़ी : अध्यक्ष महोदय . . .

अध्यक्ष महोदय : पहले जब मैंने आप को बुलाया तब तो आप ने पूछा नहीं ।

श्री बागड़ी : मैं क्या करूं । मैं ने समझा नहीं था । बाद में अपने पास बैठे हुए माननीय सदस्य से पूछ लिया है और उन की मदद से समझा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : अच्छा अपना सवाल पूछ लीजिये ।

श्री बागड़ी : मैं मिनिस्टर साहब से यह पूछना चाहता हूं कि जब आदमी वहाँ पर मौजुद था तो फाटक कैसे खुल गया ? क्या वे इस के ऊपर जरा रोशनी डालेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : आप अब बैठ जाइये । यही तो उन्होंने कहा है कि तहकीकात में यह पता चलेगा । श्री हेम बरुआ ।

श्री बागड़ी : मैं एक सवाल और करना चाहता हूं । पहले मैं ने अनजाना सवाल किया था अब मैं जाना हुआ सवाल करना चाहता हूं . . .

अध्यक्ष महोदय : और दूसरा सवाल आप नहीं कर सकते । आप ने अपना सवाल कर लिया है । श्री हेम बरुआ ।

†**श्री हेम बरुआ** (गौहाटी) : कब तक सरकार अपनी अक्षमता को मानवीय भूल से ढक सकती है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न नहीं है । इसके उत्तर की आवश्यकता नहीं है ।

†**श्री जसवन्त मेहता** : मन्त्री ने कहा है कि जांच समिति के प्रतिवेदन के बाद प्रतिकर देने के मामले पर वे विचार करेंगे । इस सम्बन्ध में सरकार की सामान्य नीति क्या है ? क्या इन दुर्घटनाओं में ग्रस्त व्यक्तियों को वे प्रतिकर देना चाहते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रत्येक मामला अपने गुणों पर आधारित है ।

†**श्री हरिविष्णु कामत** : मन्त्री ने कहा कि यह दुर्घटना उस प्लेटफार्म पर हुई जहां चौकीदार था, तो क्या इस बात का सरकार के कई प्लेटफार्मों पर चौकीदार न रखने के निर्णय पर प्रभाव पड़ा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स्वर्ण सिंह** : यह सच नहीं है कि सरकार ने हजारों बिना चौकीदारों के फाटकों पर चौकीदार न रखने का निर्णय किया है क्योंकि दुर्घटनाएं चौकीदार वाले फाटकों पर भी हो सकती है। सही स्थिति यह है कि सड़क और रेलवे के रास्ते पर यातायात को देखना चाहिए और जैसे ही यातायात पर्याप्त हो, चौकीदार नियुक्त कर देने चाहिएं।

†**श्री नाथपाई** : जब से लोक सभा का सत्र आरम्भ हुआ है कई दुर्घटनाएं हुई हैं और इस सत्र के दौरान में ८१ व्यक्ति मर चुके हैं। क्या आप आश्वासन देंगे कि इसे रोकने के लिए पूरी कार्यवाई की जाएगी ?

†**श्री स्वर्ण सिंह** : ये बहुत दुःखदायक बातें हैं। यह दिन बहुत दुर्भाग्य का दिन है क्योंकि आज ही तीन दुर्घटनाएं हुई हैं। हम यथासम्भव कदम उठा रहे हैं। इस फाटक पर चौकीदार था। अब जांच हो रही है इस लिए इस मामले के सम्बन्ध में मैं राय नहीं देना चाहता।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

चाय अधिनियम, १९५३ और अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ के अन्तर्गत अधिसूचनाएं ; काफी बोर्ड और रबड़ बोर्ड के वार्षिक प्रतिवेदन

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)**: श्री मनुभाई शाह की ओर से मैं निम्नलिखित पत्रों को एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) चाय अधिनियम, १९५३ की धारा ४९ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक २८ अप्रैल, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ५९० में प्रकाशित चाय बोर्ड कर्मचारी (आचरण) नियम, १९६२।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० २२३/६२]

(दो) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उपधारा (६) के अन्तर्गत दिनांक २ जून, १९६२ को अधिसूचना संख्या एस० ओ० १६६७ में प्रकाशित नई नियन्त्रण (संशोधन) आदेश १९६२।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० २२४/६२]

(तीन) वर्ष १९६०–६१ के लिये काफी बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० २२५/६२]

(चार) वर्ष १९६०–६१ (१ अगस्त, १९६० से ३१ जुलाई, १९६१ तक) के लिये रबड़ बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० २२६/६२]

खादी और ग्रामोद्योग, अधिनियम, १९५६ के अन्तर्गत अधिसूचना

†**श्री हाथी** : श्री नित्यानन्द कानूनगो की ओर से मैं खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, १९५६ की धारा ३ की उपधारा (२) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या एस० ओ० १६६९ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० २२७/६२]

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली विकास प्राधिकार वार्षिक प्रतिवेदन

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : मैं दिल्ली विकास अधिनियम, १९५७ की धारा २६ के अन्तर्गत १ अप्रैल, १९६० से ३१ मार्च, १९६१ तक की अवधि के लिये दिल्ली विकास प्राधिकार के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखती हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० २२८/६२]

गोदी मजदूर (रोजगार का विनियमन) अधिनियम, १९४८ के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

†**श्री हाथी** : मैं गोदी मजदूर (रोजगार का विनियमन) अधिनियम, १९४८ की धारा ८ की उपधारा (३) के अन्तर्गत निम्नलिखित नियमों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) दिनांक ९ जून, १९६२ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० १८०९ में प्रकाशित गोदी मजदूर (मन्त्रणा समिति) नियम, १९६२ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० २२९/६२]

(दो) दिनांक ९, जून, १९६२ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० १८१० में प्रकाशित गोदी मजदूर (रोजगार का विनियमन) नियम, १९६२ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० २३०/६२]

एयर कारपोरेशन नियम, १९५४ के अन्तर्गत पत्र

†**परिवहन और संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : मैं एयर कारपोरेशन नियम, १९५४ के नियम ३ के उप-नियम (५) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

(एक) वर्ष १९६२–६३ के लिये एयर इण्डिया कारपोरेशन के राजस्व और व्यय के आय व्ययक प्राक्कलनों का सारांश

[पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी० २३१/६२]

(दो) एयर इण्डिया कारपोरेशन के वर्ष १९६०–६१ के लिये वास्तविक आंकड़ों, वर्ष १९६१–६२ सम्बन्धी आय व्ययक प्राक्कलनों और संशोधित प्राक्कलनों और पूंजी के अन्तर्गत १९६२–६३ सम्बन्धी बजट प्राक्कलनों का सारांश ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० २३२/६२]

(तीन) वर्ष १९६२–६३ के लिये इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के राजस्व और व्यय के आय व्ययक प्राक्कलनों का सारांश ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० २३३/६२]

(चार) इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के वर्ष १९६०–६१ के वास्तविक आंकड़ों, वर्ष १९६१–६२ के बजट प्राक्कलनों और संशोधित प्राक्कलनों और पंजी के अन्तर्गत वर्ष १९६२–६३ के लिये आय-व्ययक प्राक्कलनों का सारांश) ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० २३४/६२]

---

†मूल अंग्रेजी में

विस्थापित व्यक्ति) प्रतिकर और पुनर्वास) अधिनियम, १९५४ के अन्तर्गत अधिसूचना

†**विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र)** : मैं श्री पू० शे० नास्कर की ओर से विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर और पुनर्वास) अधिनियम, १९५४ की धारा ४० की उपधारा (३) के अन्तर्गत दिनांक २ जून, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७५० में प्रकाशित विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर और पुनर्वास) दूसरा संशोधन नियम, १९६२ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० २३५/६२**]

राज्य सभा से सन्देश

†**सचिव** : मुझे सभा को यह बताना है कि मुझे राज्य सभा के सचिव से यह सन्देश मिला है कि राज्य सभा को लोक सभा द्वारा १६ जून, १९६२ को पास किए गए वित्त (संख्या २) विधेयक, १९६२ के बारे में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करती है।

निर्वाचनों के संचालन नियमों में संशोधन के बारे में याचिका

†**श्री नरसिंहा रेड्डी** (राजमपेट) : मैं निर्वाचनों का संचालन नियम, १९६१ में संशोधन के बारे में एक याचिकावार द्वारा हस्ताक्षरित याचिका पेश करता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय मन्त्री आज वक्तव्य दे रहे हैं।

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल)**: मैं अभी कुछ हफ्ते तक वक्तव्य नहीं दूंगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह किसी बाद की तिथि तक इसे मुल्तवी करना चाहते हैं।

आसाम राइफल्स (संशोधन) विधेयक

†**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : श्री जवाहरलाल नेहरू की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं कि आसाम राइफल्स अधिनियम, १९४१ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि आसाम राइफल्स अधिनियम, १९४१ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**श्री दिनेश सिंह** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं :

---

†मूल अंग्रेजी में

महा-प्रशासक विधेयक

†**विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र)** : श्री अ० कु० सेन की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं कि महा-प्रशासक के पद और कर्तव्यों से सम्बन्धित विधि को समेकित और संशोधित करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है. . .

†**श्री हरि विष्णु कामत**(होशंगाबाद): मैं पुरःस्थापित करने की अनुमति का विरोध नहीं करता हूं । मैं एक दो बातों के बारे में स्पष्टीकरण चाहता हूं । एक तो विधेयक का पूरा नाम स्पष्ट नहीं है । शुद्धि पत्र से भी स्थिति और स्पष्ट नहीं होती है ।

हमें नहीं पता चला है कि क्या महाप्रशासक नाम का अधिकारी है और क्या एक या अधिक महाप्रशासक होंगे ।

†**श्री विभुधेन्द्र मिश्र** : यह महाप्रशासक अधिनियम है; यह पहले से ही है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वे जानना चाहते हैं कि क्या 'महाप्रशासक' है या 'महाप्रशासकों' है ।

†**श्री विभुधेन्द्र मिश्र** : 'महाप्रशासक'

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि महाप्रशासक के पद और कर्तव्यों से सम्बन्धित विधि को समेकित और संशोधित करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**श्री विभुधेन्द्र मिश्र** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

ईसाई विवाह और वैवाहिक कारण विधेयक

†**विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र)** : मैं श्री अ० कु० सेन की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि ईसाइयों में विवाह और वैवाहिक कारणों से सम्बन्धित विधि को संशोधित और संहिताबद्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :—

"कि ईसाइयों में विवाह और वैवाहिक कारणों से सम्बन्धित विधि को संशोधित और संहिताबद्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**श्री विभुधेन्द्र मिश्र** : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

तीसरी पंच वर्षीय योजना के लक्ष्यों में कमी के बारे में प्रस्ताव

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री नाथ पाई ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** (जालोर) : इस मामले पर २½ घन्टे मे चर्चा नहीं हो सकती । बहुत से सदस्य इस महत्वपूण चर्चा में भाग लेना चाहते हैं ।

†**श्री मुरारका** (झुंझनूं) : जो बात श्री माथुर ने कही है, मैं उस का समर्थन करता हूं । इस प्रस्ताव की सूचना २० तारीख को दी गई थी । प्रस्तावक के अतिरिक्त अन्य सदस्यों को इस चर्चा मे भाग लेने के लिये समय नहीं मिला है ।

प्रस्ताव यह है कि सभा तृतीय पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों में कमी पर चर्चा करती है ।अभी तो तृतीय पंचवर्षीय योजना का दूसरा वर्ष ही आरम्भ हुआ है । मैं यह चाहता हूं कि प्रस्ताव का थोड़ा संशोधन कर दिया जाए ।

†**अध्यक्ष महोदय** : ऐसा तो प्रस्तावक और अन्य सदस्य कर सकते हैं ।

योजना तथा श्रम और रोजगार मन्त्री (श्री नन्दा) : कुछ दिन पहले माननीय सदस्य श्री नाथ पाई

†**अध्यक्ष महोदय** : कठिनाई यह है कि निर्धारित समय २ घंटे है । इस समय एक घंटा और चालीस मिनट रहते हैं । २-३० बजे हमें गैर-सरकारी कार्यक्रम आरम्भ करना है । इस प्रस्ताव पर अगले सत्र में चर्चा होगी ।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : हम चर्चा को समाप्त नहीं करेंगे । चर्चा अगले सत्र में जारी रहेगी ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : यह चर्चा बहुत महत्वपूर्ण विषय के सम्बन्ध में है । अभी तृतीय योजना का एक वर्ष ही व्यतीत हुआ है । अतः इस चर्चा के लिये यह उचित समय नहीं है । दूसरे इस चर्चा के लिये उपलब्ध समय बहुत कम है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस समय हमारे पास एक घंटा चालीस मिनट हैं । सदन चाहे तो इस समय को बढ़ा सकता है । यह चर्चा अगले सत्र जारी रखी जायगी ।

†**श्री नाथ पाई** (राजापुर) : मैं भी यही कहना चाहता था ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब वे अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

†**श्री नाथ पाई**: बहुत से माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं, अतः समय की कमी के कारण चर्चा जारी रखनी पड़ेगी । मैं यह चाहता हूं कि माननीय मंत्री आज इस चर्चा में भाग लें, क्योंकि कुछ गम्भीर आशंकाओं का स्पष्टीकरण हम चाहते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** चूंकि यह प्रस्ताव माननीय सदस्य के नाम में है, अतः मैं मंत्री को दो बार बोलने नहीं दे सकता ।

†**श्री नन्दा :** जब इस मामले के सम्बन्ध में मुझे पूछा गया तो मैं मान गया क्योंकि मैं ने सोचा कि शंकाएं स्पष्ट करने का अवसर मुझे मिलेगा । नहीं तो मेरा ध्येय पूरा नहीं होता । अतः मैं पर्याप्त समय चाहता हूं । थोड़े से मिनटों में सब कुछ नहीं कहा जा सकता । मुझे कम से कम एक घण्टा चाहिये । अन्यथा सरकार के साथ यह अन्याय होगा कि शंकाएं तो सदन के सामने आयेंगी और उन मामलों के सम्बन्ध में पर्याप्त समय न दिया जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय :** यह विषय कार्यसूची पर है । मैं इस पर चर्चा कैसे रोक सकता हूं । एक दो भाषणों के बाद मैं माननीय मंत्री को समय दूंगा ।

†**श्री नाथ पाई :** उन्हें आज बोलने दिया जाये ।

†**श्री नन्दा :** समय पर्याप्त नहीं होगा ।

†**अध्यक्ष महोदय :** वह एक ही प्रस्ताव पर दो बार नहीं बोल सकते । माननीय सदस्य प्रस्ताव प्रस्तुत करें । फिर देखा जायेगा कैसे चर्चा चलती है ।

†**श्री नाथ पाई :** मैं प्रस्ताव करता हूं :—

> "कि यह सभा तीसरी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों में गम्भीर कमी और तीसरी पंचवर्षीय योजना लागू कर के बारे में देश में बढ़ती हुई भ्रान्त धारणाओं पर विचार करती है ।"

तीसरी योजना के सामने एक खतरा निराशाजनक मनोवृत्ति है जो देश के निहित स्वार्थों द्वारा उत्पन्न की जा रही है ; वे योजना के तथाकथित भावी असफलता का ढिंढोरा पीटते फिरते हैं । योजना संसद् ने मंजूर की हुई है और हमें इसे सफल बनाना है ।

दूसरा खतरा यह है कि सरकार द्वारा आत्म संतोष की भावना उत्पन्न की जा रही है । सरकार इस बात पर जोर देती है कि योजना में कोई त्रुटि नहीं है और योजना के क्रियान्वयन के लिये इस से अधिक अच्छा काम कर सकना सम्भव नहीं था ।

योजना की एक सब से बड़ी कठिनाई यह है कि वह विदेशी सहायता अथवा विदेशी मुद्रा की उपलब्धता पर बहुत निर्भर है । विदेशी मुद्रा की आवश्यकताएं निरन्तर बढ़ती चली जा रही हैं और पहली योजना मे १० प्रतिशत से बढ़ कर तीसरी योजना में ४३ प्रतिशत हो गई हैं । सरकार को यह बताना चाहिये कि निर्यात बढ़ाने और विदेशी सहायता के परिमाण में वृद्धि करने के लिये क्या किया गया है ।

हमें विदेशों से प्राप्त होने वाली सहायता की जो आशा थी उस में काफी कमी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि 'भारत सहायता क्लब' के सदस्य निश्चित वचन देने में हिचक रहे हैं । उन देशों को हमारी आवश्यकतायें समझ कर विकास कार्य में हमें सहायता देनी चाहिये । हमारे जो देश की नीतियां हैं हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे । तीसरी योजना में निर्यात का ३७०० करोड़ रुपये का लक्ष्य कोई बहुत अधिक नहीं था । हमें पहली और दूसरी योजना के निर्यात लक्ष्यों को ध्यान में रखना

---

†मूल अंग्रजी में

चाहिये। मैं समझता हूं कि हम यह लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकेंगे। वास्तव में लक्ष्य इस से भी अधिक होना चाहिये था क्योंकि हम हमेशा के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रह सकते। हमारी विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने का कोई आसान तरीका नहीं है।

योजना आयोग ने अपने एक नोट में कहा है कि हमारी अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण विभागों में कमजोरी आई है। मैं यह बताना चाहूंगा कि तीसरी योजना में असफलता पूर्व निर्मित थी, क्योंकि दूसरी योजना भी असफल रही थी। दूसरी योजना के लक्ष्यों में पूर्ति नहीं हुई थी। राष्ट्रीय आय में २५ प्रतिशत वृद्धि के लक्ष्य की प्राप्ति में हम असफल रहे हैं और इस में वास्तविक वृद्धि केवल २० प्रतिशत हुई है। दूसरे लक्ष्यों की पूर्ति भी नहीं हो पाई। इसलिये कुछ मूलभूत उत्पादों के लक्ष्य की पूर्ति की अनिवार्यता को महसूस करना आवश्यक था। ये मूलभूत चीजें बिजली, परिवहन, इस्पात और सीमेंट हैं। इन सब के लक्ष्यों की पूर्ति नहीं हुई है। इन के अतिरिक्त कोयला, सूती कपड़ा, और लौह अयस्क के उत्पादन के लक्ष्य भी प्राप्त नहीं किये जा सके। देश में परिवहन व्यवस्था में गम्भीर गत्यावरोध है। हमें परिवहन सम्बन्धी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिन में पुरानी और घिसी हुई रेल व्यवस्था एक है। १९५१ में पुराने रेलवे इंजन २१ प्रतिशत, १९६१ में २५ प्रतिशत हो गये हैं। हमारी रेल की सामग्री, वर्कशाप आदि बहुत पुराने हैं। परिवहन की समस्या के कारण हम अपने इस्पात के उत्पादन का लक्ष्य पूरा नहीं कर सके और हमें ८९ करोड़ रुपये का इस्पात आयात करना पड़ा। हमारा लम्बे रेशे की रूई का उत्पादन बहुत कम है और हमें ८४ करोड़ रुपये आयात पर खर्च करने पड़े हैं।

खाद्य के विषय में हम आत्म संतुष्टि से काम ले रहे हैं। हमारा उत्पादन केवल ३ प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है, जिस से १० लाख टन अनाज का लक्ष्य पूरा नहीं हो सकेगा। यह वृद्धि कम से कम ७ प्रतिशत होनी चाहिये।

प्रधान मंत्री ने कहा था कि १९५१ तक हम खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर लेंगे किन्तु यह आज तक प्राप्त नहीं हो सकी।

उर्वरक के मामले में, अनुमान है कि तीसरी योजना में उत्पादन ६,५०,००० टन होगा, जबकि उत्पादन ८,००,००० टन होना आवश्यक है।

सिंचाई के मामले में उन्नति इस लिये रुकी है कि हमारे पास सीमेंट, इस्पात, कोयला, मशीनरी, और विदेशी मुद्रा की कमी है।

कोयले और रेलवे के मामले में भी हमें असफलता ही हुई है। एक लक्ष्य को पूरा न कर सकने से दूसरे लक्ष्य की भी पूर्ति नहीं हुई और इस प्रकार असफलताओं का चक्र चल पड़ा रहा है।

एक दो मामलों में हमें आशा थी कि हमें दोनों योजनाओं में सफलता मिलेगी। एक उम्मीद यह थी कि हम मूल्यों में स्थिरता ला सकेंगे और रुपये का मूल्य गिरने नहीं देंगे। दूसरी योजना की अवधि में मूल्यों में २५ प्रतिशत वृद्धि हुई है, जोकि साधारण नहीं है। यही कारण है कि हम लोगों को रुपया बचाने के लिये प्रेरित नहीं कर सके।

ऊपर की बातों में मैंने आयोजना के आर्थिक पहलुओं पर दृष्टि डाली है। आर्थिक पहलुओं पर नहीं। कुछ लोगों ने यह सलाह दी है कि योजना के आकार को कम कर देना चाहिये। मेरे विचार में ऐसी सलाह को बिलकुल अस्वीकार कर दिया जाना चाहिये। वित्त मंत्री को एक निश्चित आश्वासन देना चाहिये कि वे योजना में कटौती नहीं करेंगे।

[श्री नाथ पाई]

योजनाओं के निर्माण और निष्पादन में राज्यों की ओर से बहुत अधिक हस्तक्षेप किया जा रहा है। इस प्रवृत्ति को रोकने की आवश्यकता है। योजना आयोग को इस पर कड़ी नजर रखने की आवश्यकता है। प्रशासनिक कुशलता में सुधार करना भी अत्यावश्यक है। निराशावादी भावना को खत्म करना चाहिये। देश को यह बता देना चाहिये कि योजना के आकार में कोई कमी नहीं जायेगी।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री नन्दा** : मैं तीसरी योजना में हुई प्रगति के बारे में सही स्थिति बतलाने के इस अवसर का स्वागत करता हूं।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

मैंने देखा है कि कुछ तथ्यो की बातों को मोड़ तोड़ कर बताया गया है और अर्थव्यवस्था के कुछ विभागों की ऐसी तसवीर खींची गई है, जोकि डरा देने वाली है। गलत धारणायें पैदा की गई हैं। यह खेद की बात है कि अनौपचारिक परामर्शदात्री समिति के सदस्यों को जो आंकड़े भेजे गये थे, उन के गलत निष्कर्ष निकाले गये हैं।

मैं बहुत विस्तार में नहीं जा सकूंगा किन्तु अपने अध्ययन के बाद आर्थिक स्थिति का चित्र बतलाऊंगा।

सब से पहले मैं इस बात की ओर निर्देश करूंगा जो कुछ सदस्यों ने कहीं हैं कि चूंकि योजना में कुछ कमियां रह गई हैं, इसलिये कोई प्रगति नहीं हो रही, और योजना बिल्कुल असफल हो रही है। मैं यह कहना चाहूंगा कि चाहे कितनी कमियां बताई जायें, और हमारी सफलतायें चाहे कितनी सीमित हों, ये सफलतायें भी हमें प्राप्त न हो सकतीं यदि अपनी अपने देश के विकास के लिये आयोजना का रास्ता न अपनाते।

आप कह सकते हैं कि हम अपने लक्ष्यों के आंकड़ों तक नहीं पहुंच सके। किन्तु यह याद रखना चाहिये कि जितना कि जो सफलताएं हम ने प्राप्त की हैं, वह कम या बिल्कुल महत्वहीन नहीं हैं। यदि पिछली प्रगति से इस की तुलना की जाय, तो हमारी प्रगति की दर दुगनी या तिगनी हो गई है।

सीमेंट के मामले में १९५०–५१ में उत्पादन २७ लाख टन था, अब दस साल बाद ७९.७ लाख टन है, चालू वर्ष का उत्पादन अलग है। इसी तरह उर्वरक का उत्पादन पहले कुछ भी नहीं था किन्तु इसके उत्पादन में काफी प्रगति की जा चुकी है।

बिजली का उत्पादन २३ किलोवाट था। दस वर्ष बाद वह ५७ लाख है। अलुमीनियम का उत्पादन ३७ लाख से १८२ लाख हो गया है। ये अच्छी सफलताएं हैं किन्तु ये पर्याप्त नहीं हैं, मैं इस बात को मानता हूं।

दूसरी योजना में हो सकता है कि हमारी कुछ त्रुटियां थीं। मैं उन को कम नहीं बता रहा हूं। किन्तु दूसरी योजना के मामले में उन्नति के रास्ते में जो कठिनाई पैदा हुई थी वह बाहरी कारणों अर्थात् विदेशी मुद्रा की कमी के कारण उत्पन्न हुई थी। यदि यह कहा जाये कि हम ऐसी

---

†मूल अंग्रेजी में

योजना क्यों, नहीं बनाते जिसमें विदेशी मुद्रा की कठिनाई पेश न आये। मुझे खेद है कि हम ऐसी स्थिति पैदा नहीं कर सके।

ये कठिनाइयां विदेशी मुद्रा की कमी के कारण उत्पन्न होती हैं। बिजली की कमी जो दूसरी योजना के अन्त में पैदा हुई थी, उस गत्यवरोध से सम्बन्धित है जो विदेशी मुद्रा की कठिनाइयों के कारण उत्पन्न हुई थी।

बात यह है कि हमारी योजनाओं का ढांचा ही इस प्रकार का है कि इस समय तो वह निर्भरता बढ़ गयी है और हमें मशीनरी तथा प्राविधिक ज्ञान के लिए दूसरों की सहायता लेनी ही पड़ती है परन्तु शनैः शनैः हमारी स्थिति सुधरती जा रही है और शीघ्र ही ऐसी परिस्थिति हो जायेगी कि हम इस प्रकार की सहायता का लेना बन्द कर देंगे। यह भी बात है कि हम अपने लक्ष्य बड़े व्यापक निर्धारित कर लेते हैं। परिवहन और कोयला इत्यादि की कई कठिनाइयां आ खड़ी होती हैं। जन संख्या बढ़ रही है, यह भी एक कठिनाई है। फिर सब से बढ़ कर रोजगार की समस्या है। हमें इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि इन विविध प्रकार के दबावों के कारण कोई असन्तुलन पैदा न हो जाय। ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए कि कार्य बन्द हो जाय। इस दिशा में बहुत भारी अनिश्चिततायें हैं।

रोजगार की व्यवस्था करने के लिए हम कुछ देहाती कार्यक्रम भी आरम्भ कर रहे हैं। यह भी सोच रहे हैं कि राष्ट्रीय आय कम से कम ३० प्रतिशत बढ़ाया जाय। परन्त इस ३० प्रतिशत आय के बढ़ जाने से तो बेकारी की समस्या हल नहीं होती। तो फिर हमें योजना का विस्तार करने की बात सोचनी ही पड़ती है।

यह ठीक है कि विस्तार हो, परन्तु इस विस्तार की सारी बात तो हमारे हाथ में नहीं है। जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उन में से किसी न किसी का अभाव बना ही रहता है। मेरा निवेदन यह है कि यदि आप यह नहीं चाहते कि असंतुलित अवस्था पैदा न हो, तो हमें नीचे से शुरू करना होगा। योजना के बारे में सब से बड़ी बात यह है कि इस बारे में कहीं भी आत्म संतोष की भावना दिखाई नहीं देती। मैं यह नहीं कहता कि सब कठिनाइयों का कारण विदेशी विनिमय है। मेरा विचार यह है कि हमारी बहुत सी कठिनाइयां भूतकाल की असफलताओं के कारण हैं। दूसरी योजना से हम ने बहुत कुछ सीखा है और उसका लाभ उठाते हुए हम आगे के कार्य को ठीक ढंग से करने का यत्न कर रहे हैं। इसी का परिणाम है कि तीसरी योजना के पहिले १५ मास में जो कार्य हुआ है वह बहुत ही संतोषजनक रहा है। इस काल का परिणाम बहुत अच्छा रहा है। और भविष्य में कुछ और अच्छा होने की सम्भावनायें हैं। हमें पूर्ण आशा है कि हम राष्ट्रीय आय में प्रस्तावित वृद्धि प्राप्त कर लेंगे। और हमारे आगे जो भी कठिनाइयां आ रही हैं, उन पर हम अवश्य विजय प्राप्त कर लेंगे।

इस में कोई सन्देह नहीं कि कठिनाइयां बहुत अधिक हैं। परन्तु इन कठिनाइयों की चुनौती हमें स्वीकार करनी ही होगी। इस के लिए अधिक से अधिक त्याग करना होगा। अपने प्रयत्नों को बढ़ाना होगा। मैं यह आप को बता देना चाहता हूं कि योजना के आन्तरिक संसाधनों के सम्बन्ध में हमारी हालत बुरी नहीं है। हमारी परिवहन व्यवस्था में काफी सुधार होने वाला है। सीमेंट और उर्वरकों में आशातीत प्रगति होने की सम्भावना है। यदि किन्हीं दिशाओं में योजना पर दबाव पड़ा भी तब भी हम आगे बढ़ते ही जायेंगे, रुकेंगे नहीं।

दबाव पड़ने से योजना का विकास होगा। कृषि के स्तर को यदि कायम रखने में हम सफल हो जायें तो और अधिक विस्तार होना सम्भव हो जायेगा। योजना को हम सब को एक राष्ट्रीय

[श्री नन्दा]

उपक्रम के रूप में लेना होगा। प्रत्येक देशवासी का इसके प्रति उत्तरदायित्व है। अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति का भी इस पर प्रभाव होगा। देश की राजनीतिक स्थिति भी इस पर प्रभाव डालेगी। इस संदर्भ में यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या हम विदेशी मुद्रा के अतिरिक्त कोई अन्य साधनों का निर्माण कर रहे हैं? कोई सन्देह नहीं कि ऐसा करना ही होगा और ऐसा किये जाने की देश में क्षमता है। और यह भी बात है कि जो कुछ आज तक किया गया है उसे बुरा कदापि नहीं कहा जा सकता।

इस उद्देश्य के लिए यदि हमें कर भी लगाने पड़े तो लगाये ही जायेंगे। देश को आर्थिक अनुशासन में बांधने की आवश्यकता होगी। इस में कोई किसी दल का प्रश्न नहीं है योजना को सफल बनाना ही हमारा लक्ष्य है। एक ओर तो हम यह चाहें कि योजना सफल हो और दूसरी ओर वे बातें करें जिससे उस के असफल होने की सम्भावना हो। इसके लिए कुछ सख्ती भी करनी पड़े तो संकोच नहीं करना चाहिए। राष्ट्र का कल्याण इसी में है। मैं ने तो राज्यों के मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में यह सुझाव रखा था कि अब कोई गैर योजना सम्बन्धी व्यय होना ही नहीं चाहिए। राज्यों में इस की व्यवस्था होनी चाहिए। मैं इसे स्वीकार करता हूं कि जो कुछ राज्यों में चल रहा है उस से मैं सन्तुष्ट नहीं हूं। यदि कहीं हालत अच्छी नहीं तो यह सब हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। जो कुछ हमारी अथवा हमारे दल का उत्तरदायित्व है उसे हम पूर्ण करने का भरसक प्रयत्न करेंगे।

तीसरी योजना का प्रथम वर्ष चुनावों में निकल गया, इसका भी प्रभाव हुआ है। हमें पता चला कि लोग क्या चाहते हैं, कहां असन्तोष है और कहां लोग असन्तुष्ट हैं। क्योंकि यह तो स्पष्ट ही है कि हम एक असाधारण स्थिति का सामना कर रहे हैं, अतः हमें असाधारण ढंग से ही उसका मुकाबला करना होगा। साधारण कार्यवाही से हमें तीसरी योजना में सफलता प्राप्त नहीं होगी।

योजना का स्तर ऊंचा हो रहा है। केन्द्रीयकरण और विकेन्द्रीकरण का मामला चल रहा है। कुछ माननीय सदस्यों का कहना है कि योजना आयोग बहुत अधिक हस्ताक्षेप करता है। काम के सुधारने के लिए ऐसा तो करना ही है। भविष्य को दृष्टि में रखते हुए हमें योजनाओं का निर्माण करना पड़ रहा है। योजना की कोटि सुधरी जा रही है और चौथी योजना की रूप रेखा बननी आरम्भ हो गयी है। इस्पात इत्यादि के बारे में चौथी योजना बन गयी है। बात यह है कि हमें ऐसा लगता है कि काम हमारे अनुमान से कुछ लम्बा चलेगा। यद्यपि विदेशी मुद्रा-विनिमय की कमी तो अनुभव हो रही है। इस पर भी योजना के चालू वर्ष के दौरान में विभिन्न दिशाओं में जो प्रगति हुई है उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। इस बात की पूरी आशा है कि विदेशी मुद्रा की अनिश्चित स्थिति के कारण योजना को कोई खास नुकसान नहीं होगा। इस बात का सन्तोष है कि योजना का मूल ढांचा थोड़ा बहुत सुरक्षित है।

हम ने राज्यों को कहा है कि वे योजना बोर्ड बनायें। इन बोर्डों की स्थापना से कई बातों का समुचित समन्वय और प्राथमिकताएं निर्धारित की जा सकती हैं। सहायता के स्वरूप को भी जितना अधिक से अधिक सरल बनाया जा सकता था वह बना दिया गया है। कई दिशाओं के लक्ष्यों को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने का प्रयत्न किया जा रहा है और कई लक्ष्य पूरे कर लिये गये हैं।

मैं ने बताया है कि योजना के चालू वर्ष में भी हम ने लगभग प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति की है। उदाहरण के लिये कपास की कमी है। उसके लिये विदेशी मुद्रा चाहिये जिसकी सुलभता अनिश्चित

है। पर मुझे ऐसी कोई आशंका नहीं है कि विदेशी मुद्रा की कमी के कारण योजना की प्रगति पर कोई विशेष प्रभाव पड़ेगा। अधिकांश औद्योगिक परियोजनाओं के लिये तो विदेशी मुद्रा जुटा ली गई है। मेरा ख्याल है कि ७० प्रतिशत के लिये जुटा ली गई है। खनन सम्बन्धी ९० प्रतिशत परियोजनाओं के लिये विदेशी मुद्रा सुलभ है। साझा बाजार की स्थापना के कारण, अभी योजना की सम्पूर्ति के मार्ग में जो कठिनाइयां दिखाई पड़ रही हैं, मेरा ख्याल है कि हम उन पर पार पा सकेंगे।

कपास की बात थी। कपास के उत्पादन पर जलवायु का बड़ा प्रभाव पड़ता है।

इस वर्ष हम ने जूट उत्पादन का लक्ष्य पूरा कर लिया है। इतना ही नहीं, हम ने योजना के अन्तिम वर्ष तक लक्ष्य पूरा कर लिया है। चीनी के बारे में भी ऐसी ही स्थिति है।

खाद्यान्न के बारे में, एक माननीय सदस्य ने कहा है कि खाद्यान्न का उत्पादन ७ करोड़ ९० लाख से ८ करोड़, अर्थात् १० लाख टन ही बढ़ा है।

हम चाहते थे कि और अधिक हो। कृषि के लिये पिछला वर्ष बड़ा अनुकूल था। पिछले वर्ष का लक्ष्य ७ करोड़ ६० लाख टन का था। कृषि के उत्पादन की गणना करते समय कई बातों को देखना पड़ता है—सिंचाई, उर्वरक, बीज, इत्यादि। फिर अनुभव के आधार पर उत्पादन का अनुमान लगाया जाता है। अच्छी फसल के आसार देख कर ही; हम ने ७ करोड़ ६० लाख टन का अनुमान लगाया था।

हम चाहते तो थे कि और बेहतर हो। लेकिन हम चाहते हैं कि उत्पादन की संभावना भी बढ़े। हम इस पर व्यय कर रहे हैं और नयी क्षमता भी पैदा कर रहे हैं, पर उसका पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है। व्यय का कोई फायदा ही नहीं, यदि उसके भौतिक परिणाम नहीं निकलते।

सिंचाई की संभावनाओं के उपयोग की स्थिति यह है कि द्वितीय योजना के आरम्भ में वह ४८ प्रतिशत थी और द्वितीय योजना की समाप्ति पर ७० प्रतिशत थी। १९६१–६२ में वह ७६ प्रतिशत हो गई थी और बाद में उसमें और भी सुधार हो गया था। उपयोग में निरन्तर सुधार होता जा रहा है। वह १०० प्रतिशत तो कभी हो नहीं हो सकती, क्योंकि नदी सिंचाई परियोजनाओं के जल का १०० प्रतिशत उपयोग नहीं होगा। लेकिन हम सफलतापूर्वक आगे बढ़ते जा रहे है।

और, हम इस प्रकार कृषीय उत्पादन में वृद्धि की आशा करते हैं।

कपास और तिलहन के वर्त्तमान उत्पादन पर हम संतोष नह कर सकते। जनता की वस्त्र की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये और निर्यात के लिये भी हमें कपास के उत्पादन में वृद्धि करनी है। हमें इसके लिये विशेष प्रयत्न करने पड़ेंगे। और हम कर रहे हैं। इसके लिये हम कपास की फसल के लिये हानिकारक कीटाणुओं को नष्ट करना पड़ेगा और हम उसके लिये पूरी सहायता देंगे। इसके लिये हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है।

इसी प्रकार, तृतीय योजनाकाल के प्रथम वर्ष में हमने उत्पादन के कई क्षेत्रों में उत्पादन-वृद्धि की ह। कई विभिन्न उद्योगों में नयी क्षमता पैदा की गई है। इसके बावजूद माननीय सदस्यों ने जो खामियां बताई हैं, वे भी है।

†**श्री नाथ पाई** : यह सुनकर हमें प्रसन्नता होती है। पर चिन्ता इसलिये हो रही हैं कि पिछले तीन वर्षों में हमने ४६३ करोड़ रुपये के खाद्यान्न और ८४ करोड़ रुपये के कपास का आयात किया हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री नन्दा : मुझे इससे कहीं अधिक चिन्ता है। हमने योजना के लक्ष्यों की पूर्ति भी करनी है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी कुछ समय तक हमें आयात करना पड़ेगा। यह ग़लत है कि हम विदेशों से कपास मंगाकर बहुत बढ़िया किस्म का कपड़ा तैयार करते रहें। इसे बन्द करना चाहिये। लेकिन उसमें कुछ पेचीदगियां हैं। बढ़िया किस्म के कपड़ों के उत्पादन की क्षमता हमारे पास है। साथ ही, हमें लम्बे रशे के कपास के उत्पादन में वृद्धि करनी पड़ेगी। जब तक वह नहीं होता, तब तक हमें आयात करना पड़ेगा। हम पी० एल० ४८० के अन्तर्गत किये जाने वाले आयात में आधार पर मूल्य को एक स्तर पर बनाये रखने का प्रयास इसलिये नहीं करते कि वह अधिक दिनों तक चलने वाली चीज नहीं है। मैं मानता हूं कि मूल्यों में स्थायित्व लाने के प्रश्न पर विशेषज्ञों में भी मतभेद हो सकते हैं। मेरी अपनी राय यही है कि मूल्यों में और अधिक वृद्धि होना हम हाथ पर हाथ धर देखते नहीं रह सकते। उसका जनता पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ेगा। मूल्य बढ़ने देना समाजवाद के निर्माण के उद्देश्य के प्रतिकूल हैं। इसलिये कि अल्प-आय वाले व्यक्तियों को हम मूल्य-वृद्धि का पर्याप्त प्रतिकर नहीं दे सकते। संगठित उद्योगों में वह सम्भव नहीं हैं। इसलिये हमें विकास के फलस्वरूप जनता पर पड़ने वाले दबावों और उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिये कुछ निरोधात्मक कार्यवाही करनी पड़ेगी।

हमसे कहा जाता है कि विदेशी सहायता पर बहुत अधिक निर्भर मत रहो। उसका उत्तर यही है कि निर्यात अधिक करो। इसके दो ही रास्ते हैं—एक तो यह कि उत्पादन में वृद्धि हो और दूसरे यह कि देश की आन्तरिक खपत कम करो। तभी हम आत्म-निर्भर बन सकते हैं। मूल्यों का प्रश्न यहीं उठता है। यदि हम आन्तरिक खपत की परवाह किये बिना निर्यात करते जायें, तो देश में अभाव की स्थिति पैदा हो जायेगी, मूल्यों में वृद्धि होगी और जनता का शोषण जारी रहेगा। फिर उसका विनियमन करना ही पड़ेगा। फिर वही लोग कहते हैं कि आप हमें पर्याप्त संख्या में माल-डिब्बे नहीं देते, और जहां उनकी जरूरत होती है वहां नहीं देते।

रेलवेज नयी क्षमता तो पैदा कर सकती है, पर इस तरह अनियोजित ढंग से कोई मांग कहीं एकाएक उठने पर उसकी पूर्ति तो कठिन होगी। नयी क्षमता पैदा करने में भी ढाई-तीन वर्ष लग जाते है। इसलिये हमारी जैसी मिश्रि अर्थ-व्यवस्था में इस तरह अनियोजित ढंग से उठने वाली माल-डिब्बों की मांग की पूर्ति नहीं की जा सकती। मैं उसके विनियमन का केवल एक ही पहलू ले रहा हूं।

इसलिये यदि हमें अपनी अर्थ-व्यवस्था को विनियमित बनाये रखना है और यदि हम उसका समुचित प्रबन्ध न कर पा रहे हों, तो नियंत्रण करने का प्रश्न उठता हैं। लेकिन नियंत्रण से फिर काला बाजार शुरू होने का खतरा है। उपभोक्ताओं की सहकारी समितियां बनाकर और प्रशासकीय उपाय करके हम उसका प्रबन्ध कर सकते हैं।

मूल्यों में स्थायित्व लाने के दो तरीके हैं। मैं मानता हूं कि गेहूं का आयात बिल्कुल बन्द होना चाहिये। तृतीय योजना का लक्ष्य भी यही है कि १९६५–६६ के अन्त तक हम आयात बन्द कर सकेंगे और खाद्यान्नों के मामले में आत्म-निर्भर बन जायेंगे। हमें कृषि को और अधिक ध्यान देना है। यहीं उर्वरकों का प्रश्न उठता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री भागवत झा आजाद** (भागलपुर) : गन्ना उत्पादकों ने गन्ना-उत्पादन का आपका लक्ष्य पूरा किया, तो उनकी हालत यह हो गई है कि ११ लाख टन गन्ना खेतों मे पड़ा हुआ है । कोई उसे उठाने वाला है ही नहीं । उनको क्या सहायता दी जा रही है ?

†**श्री नन्दा** : मैं इसका उत्तर उचित समय पर दूंगा । अभी मैं हर प्रश्न का उत्तर तो नहीं दे सकता ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : एक ही राज्य में ११ लाख टन गन्ना खेतों में पड़ा हुआ है । हमें लक्ष्य पूरा करने के लिये दण्डित किया जा रहा है ।

†**श्री नन्दा** : बात इतनी ही नहीं है, इससे भी गहरी है । हमें गन्ना-उत्पादकों को मिलने वाले मूल्य के बारे में छानबीन करनी पड़ेगी, और यह भी देखना पड़ेगा कि उसकी खपत कहां हो सकती है और चीनी के निर्यात की क्या स्थिति है । चीनी के निर्यात पर हमको २५ करोड़ रुपये का घाटा हो रहा है । अभी उसके ब्यौरे में बड़ने का अवसर नहीं हैं ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : किसान इन पेचीदगियों को नहीं समझते ।

†**श्री अ० क० गोपालन** (कासरगोड़) : क्या माननीय मंत्री कृषि उत्पादन की वृद्धि के लिये भूमि सुधारों को कार्यान्वित करना जरूरी नहीं समझते ?

†**श्री नन्दा** : उसके कई उपाय हैं, उनमें एक भूमि-सुधार भी है । माननीय सदस्य ने स्वयं इसकी चर्चा में भाग लिया है । हमने इसका भरसक प्रयास किया है । लेकिन यह तरीका कोई बड़ा सफल और प्रभावशाली सिद्ध नहीं हुआ । हमने गेहूं और जूट के मूल्यों के प्रश्न पर भी विचार किया है । दूसर प्रश्नों पर भी हम विचार कर रहे हैं ।

उर्वरकों के बारे में मैं एक ग़लत फहमी दूर कर देना चाहता हूं । हमने नोट में जो आंकड़े दिये हैं, वे एक खास अवस्था की स्थिति बताते हैं । अब इस समय स्थिति यह है कि १९६०–६१ में ६८,००० टन उत्पादन से बढ़कर १९६१–६२ में १,४३,००० टन हो गया है और १९६२–६३ में उसके २,००,००० टन तक पहुंचने की आशा है । बाद में, १९६५–६६ में वह ८,००,००० टन तक पहुंचेगा । उर्वरक सम्बन्धी परियोजनाओं की प्रगति संतोषजनक है ।

†**श्री नाथ पाई** : १२ जून से १९ जून के बीच ऐसा कौन सा नया आधार मिला था जिस पर प्राक्कलनों में रद्दोबदल करनी पड़ी ?

†**श्री नन्दा** : पहले उर्वरक की निजी क्षेत्र की परियोजनायें पिछड़ रही थीं और ख्याल था कि समय पर पूरी नहीं हो पायेंगी । अब कुछ नये तथ्यों का पता चला है और उनके आधार पर निजी निर्माताओं को सहायता देने के लिये तेजी से वार्ता चल पड़ी है । अब उनका निर्माण तीन और साढ़े तीन वर्ष के बजाय १८ से २४ महीने तक पूरा हो सकता है । हमें उनकी कठिनाइयों का पता चल गया है ।

†**श्री नाथ पाई** : क्या उर्वरक कारखानों के लिये निजी उद्योगपतियों को चार अनुज्ञप्तियां दी गई थीं ? कितने दिन पहले ? उनमें से एक भी अभी नहीं बना है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री नन्दा** : बात ठीक है। निजी उद्योगपतियों की प्रगति संतोषप्रद नहीं रही है । उनकी अपनी कठिनाइयां हैं।

द्वितीय योजना की समाप्ति पर सीमेन्ट का उत्पादन ७९·७ लाख टन था । १९६१–६२ में, इस योजना के प्रथम वर्ष में वह ८२·८ लाख टन रहा और १९६५–६६ के लिये हमारा लक्ष्य १ करोड़ ३० लाख टन का है। कमी अभी भी है और उसे दूर करने के लिये हमने कदम उठाये हैं । क्षमता के अनुपात में अब हमारा उत्पादन ८८ प्रतिशत हो रहा है । कार्यक्षमता बढ़ाने और वर्तमान क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग करने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं । मांग पूरी न होने पर और भी अनुज्ञप्तियां दी जा सकती हैं।

माननीय सदस्य ने बिल्कुल ठीक कहा था कि १९५८ में सीमेंट की मांग कुछ गिर गई थी । इसलिये कि हर क्षेत्र में गिरावट आ रही थी । उससे निजी क्षेत्र का उत्पादन कुछ घट गया था । तृतीय योजना की समाप्ति पर भी सीमेन्टज की थोड़ी बहुत कमी रह सकती है, पर कुल मिलकार हमारे लक्ष्य पूरे होंगे ।

अब कोयला-परिवहन की पेचीदा सी समस्या है। मझे उसकी बड़ी चिन्ता रही है। मैं माननीय सदस्यों को बता दूं कि हाल के कुछ महीनों में हमने केन्द्रीय मंत्रालयों और उनके अधिकारियों से मुलाकातें कीं हैं, यह जानने के लिये कि वास्तव में स्थिति क्या है और तुरन्त क्या कदम उठाये जा सकते हैं । इससे स्थिति में सुधार हो रहा है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री अपना भाषण कल जारी रखें । अब हम गैर-सरकारी कार्य हाथ में लेंगे ।

†**श्री अ० प्र० जैन** : मेरा एक सुझाव है । माननीय मंत्री ये सभी पत्र परिचालित कर दें।

†**श्री नन्दा** : जी, हां । ठीक ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

तृतीय प्रतिवेदन

†**श्री हेमराज** (कांगड़ा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के तृतीय प्रतिवेदनों से, जो २० जून, १९६२ को सभा में उपस्थापित किया गया था, सहमत है ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के तृतीय प्रतिवेदन से, जो २० जून, १९६२ को सभा में उपस्थापित किया गया था, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अखिल भारतीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयक

†**श्री अ० त्रि० शर्मा** (छतरपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत में आयुर्वेद विज्ञान के अध्ययन और उन्नति को पुनरुज्जीवित करने और प्रोत्साहन देने के लिये भारत सरकार के अधीन एक अखिल भारतीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि भारत में आयुर्वेद विज्ञान के अध्ययन और उन्नति को पुनरुज्जीवित करने और प्रोत्साहन देने के लिये भारत सरकार के अधीन एक अखिल भारतीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री अ० त्री० शर्मा** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

बीमा (संशोधन) विधेयक

(धारा ३१क और ४०ग का संशोधन)

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** (कलकत्ता–दक्षिण पश्चिम): मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि बीमा अधिनियम, १९३८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि बीमा अधिनियम, १९३८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

बीड़ी और सिगार श्रमिक विधेयक

†**श्री अ० क० गोपालन** (कासरगोड) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत में बीड़ी और सिगार बनाने वाले कारखानों में रोजगार और काम के विनियमन का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि भारत में बीड़ो और सिगार बनाने वाले कारखानों में रोजगार और काम के विनियमन का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री अ० क० गोपालन** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

खाद्य तैलों पर प्रतिबन्ध (साबुन बनाने के लिये) विधेयक

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर): मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत में साबुन बनाने के लिये खाने के तैलों के उपयोग पर कुछ प्रतिबन्ध लगाने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि भारत में साबुन बनाने के लिये खाने के तैलों के उपयोग पर कुछ प्रतिबन्ध लगाने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

परिवहन समन्वय विधेयक

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि देश में विभिन्न परिवहन प्रणालियों में समन्वय और तत्सम्बन्धी मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि देश में विभिन्न परिवहन प्रणालियों में समन्वय और तत्सम्बन्धी मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

दूकानदार (मूल्यों की पर्चियां लगाना) विधेयक

†**श्री जं० ब० सिं बिष्ट (अलमोड़ा)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि दुकानदारों द्वारा वस्तुओं पर मूल्य की पर्चियां लगाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि दूकानदारों द्वारा वस्तुओं पर मूल्य की पर्चियां लगाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री जे० ब सिं० बिष्ट : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

विधि व्यवसायी (संशोधन) विधेयक

धारा १४ और १५ का संशोधन

†**श्री हेम राज** (कांगड़ा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधि व्यवसायी अधिनियम, १८७९ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधि व्यवसायी अधिनियम, १८७९ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री हेम राज** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक

(धारा ३० का संशोधन)

†**श्री हेमराज** (कांगड़ा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, १९५६ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, १९५६ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री हेमराज** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक

(धारा ११ और १२ का संशोधन)

†**श्री हेमराज** (कांगड़ा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारतीय रेलवे अधिनियम, १८९० में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय रेलवे अधिनियम, १८९० में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री हेमराज** : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

संविधान (संशोधन) विधेयक

(अनुच्छेद २२६ का संशोधन)

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक

(धारा ४०५ और ४०६ का संशोधन)

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब सभा ८ जून, १९६२ को श्री दी० चं० शर्मा द्वारा किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा करेगी :

"कि भारतीय दण्ड संहिता, १८६० में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

माननीय मंत्री अपना भाषण जारी रखें ।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)**: मैं ने इस विधेयक के प्रस्तावक को पिछली बार बताया था कि यह विधेयक इसलिए आवश्यक नहीं है कि "सौंपना" (ऐंट्रस्टमेंट) शब्द सामान्य अर्थ में प्रयुक्त किया गया है अत: सब न्यास चाहें वे इस अधिनियम द्वारा विशिष्ट रूप में बनाये गये हों या नहीं—वे भारतीय दण्ड संहिता में अमानत में खयानत संबंधी धारा के अधीन आते हैं । इस अवस्था में, माननीय मित्र को सुझाव देता हूं कि उन्हें इन मामलों के संबंध में अधिक चिन्ता नहीं करनी चाहिये । धारा ४०५ में प्रयुक्त शब्द सामान्य तौर पर लागू किये जा सकते हैं और उन में

---

†मूल अंग्रेजी में

केवल स्पष्ट न्यास ही नहीं आते थे परन्तु आकस्मिक न्यास भी आ जाते थे। वे सब इस सम्बन्ध में प्रयुक्त व्यापक शब्द में आ जाते थे। उन्होंने जान बूझ कर धारा ४०५ में "न्यास" (ट्रस्ट) शब्द का प्रयोग किया है। उन्होंने "सम्पत्ति सहित सौंपा गया" शब्दों का प्रयोग किया है। सम्पत्ति का इस प्रकार सौंपना विभिन्न परिस्थितियों से पैदा हो सकता है। कुछ परिस्थितियों के इकट्ठा होने से न्यास अवश्य बनेगा। जबकि स्पष्ट या अस्पष्ट शब्दों का उल्लंघन किया जाता है, तो यह अमानत में खयानत होता है।

ऐसी आपातें केवल न्यासियों या लाभ उठाने वालों के सम्बन्ध में ही नहीं होती हैं, परन्तु दूसरों के सम्बन्ध में होती हैं जैसे जमानत देने वालों या जिन के सम्बन्ध में जमानत दी जाय, स्वामी या नौकर के संबंध में। "सौंपना" (ऐंट्रस्टमेंट) शब्द में न्यासीय प्रकार के सभी सम्बन्ध आ जाते हैं। अतः विधेयक के प्रस्तावक की मन्शा पूरे तौर पर इस व्यापक अभिव्यक्ति के अन्तर्गत आ जाती है। यद्यपि दण्डसंहिता लगभग १०० वर्ष पहले पारित हुआ था, परन्तु यह उपयोगी सिद्ध हुआ है। केवल थोड़े से संशोधन आवश्यक समझे जाते हैं। अमानत में खयानत की भारतीय दण्ड संहिता में स्पष्ट परिभाषा दी गई है। अतः माननीय सदस्य का पहला आरोप कि अस्पष्ट शर्त भी रखी जाय ठीक नहीं है।

दूसरे कुछ ऐसी पदावलियां हैं, जोकि स्पष्ट या अस्पष्ट शर्त से सम्बन्धित हैं। जहां तक न्यासों का सम्बन्ध है उन्हें और विशिष्ट न बनाया जाय, क्यों उन में पहले ही सब प्रकार के न्यास आ जाते हैं। जब कभी कानून के आदेशों का उल्लंघन किया जाता है और वह उल्लंघन बददियानती के इरादे से किया जाता है, तब ही यह अमानत की खयानत होगी। जब कभी दो दलों में ठेका होता है तो कुछ बातें स्पष्ट की जाती हैं और कुछ मामले अपने आप ही हो जाते हैं। इसीलिये मूल कानून में "स्पष्ट या अस्पष्ट" "एक्स्प्रैस और इम्पलाइड" शब्दों का प्रयोग किया है। जहां तक इसी कानून की ही नहीं, परन्तु न्यासों के कानूनों के ध्वनितार्थों का सम्बन्ध है, कई अधिनियम हैं। 'भारतीय न्यास अधिनियम' (इण्डियन ट्रस्ट्स ऐक्ट) का अन्तिम अध्याय उन शर्तों के सम्बन्ध में है जो कि न्यासों की तरह हैं। इस का अर्थ यह है कि स्पष्ट रूप में वे चाहे न्यास न हों, कुछ सम्बन्ध न्यासों की तरह होते हैं। वे सब इस अधिनियम में "सौंपना" (ऐंट्रस्मैंट) शब्द में आ जाते हैं।

अतः मैं अपने माननीय मित्र से यह कहना चाहता हूं कि उन की जो भी मन्शा है वे धारा ४०५ में प्रयुक्त व्यापक अभिव्यक्ति के अन्तर्गत आ जाती है।

दूसरे वे कैद को बढ़ाना चाहते हैं। जहां तक फौजदारी कानून के अधीन सजा का सम्बन्ध है, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जब साक्ष्य पर यह पता चलता है कि विशिष्ट अपराधी ने अपराध किया है, तो जो सजा यथार्थ में दी जाती है वह जज पर छोड़ दी जाती है। जज या मैजिस्ट्रेट के स्वयंविवेक पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।

मेरे माननीय मित्र चाहते हैं कि अधिनियम की धारा ४०६ में व्यवस्था की जाने वाली सजा पांच वर्ष होनी चाहिए। तीन वर्ष की सजा की व्यवस्था है। मैजिस्ट्रेट या जज चाहे तो तीन वर्ष की सजा दे सकता है।

दूसरे जहां तक भारत दण्ड संहिता तथा और दूसरे ऐसे कानूनों का सम्बन्ध है तो यह जज के हाथ में होगा कि वह कैद हो या जुर्माना करे या दोनों ही दे। माननीय सदस्य अधिकतम सजा पांच वर्ष चाहते हैं। फिर उन्होंने "और" शब्द का प्रयोग किया है। इसका अर्थ यह हैकि अमानत में खयानत के मामलों में वे केवल सजा से ही सन्तुष्ट नहीं हैं। वे जुर्माना भी चाहते हैं। यह चीज

भारतीय दण्ड संहिता की स्कीम से भिन्न है जिस के अधीन सजा देना या जुर्माना करना या दोनों ही करना न्यायिक विवेयक पर छोड़ा गया है । अतः अधिकतम दण्ड पांच वर्ष तक बढ़ाना या कैद और जर्माना एक साथ दोनों दण्ड देने की व्यवस्था करना आवश्यक नहीं है ।

अतः माननीय सदस्य से प्रार्थना है कि वे विधेयक पर ज़ोर न दें । इस विधेयक का ध्येय पहले ही पूरा हो चुका है । शब्द काफी व्यापक हैं । मैं माननीय मित्र से प्रार्थना करता हुं कि विधेयक पर बल न दें ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : विधेयक का ध्येय है कि भारतीय दण्ड संहिता में जो है उसे यथासम्भव स्पष्ट और निर्दिष्ट रूप दिया जाये । परन्तु माननीय मंत्री ने कहा है कि "सौंपना" 'ऐन्ट्रस्टमैंट' शब्द में सब कुछ है । मेरा विचार था कि शब्दों को स्पष्ट और ठीक अर्थों वाले होना चाहिए । परन्तु माननीय मंत्री मेरे साथ सहमत नहीं हैं ।

अमानत में खयानत सम्बन्धी अपराध दिन प्रति दिन बढ़ रहे हैं । इसलिए मेरे विचार में दण्ड को बढ़ा कर उसे अवरोधक बनाना आवश्यक हो गया है । परन्तु माननीय मंत्री नहीं मानते हैं ।

यह अधिनियम पुराना हो गया है । कानून को प्रगतिशील होना चाहिए । समय आयेगा जब भारतीय दण्ड संहिता में परिवर्तन की आवश्यकता को समझा जायेगा । इन शब्दों से मैं विधेयक को वापस लेता हुं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय सदस्य को विधेयक वापस लेने के लिए सदन की अनुमति है ?

विधेयक सभा की अनुमति से वापस ले लिया गया ।

संविधान (संशोधन) विधेयक

(आठवीं अनुसूची का संशोधन)

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : उठे । मैं प्रस्ताव करता हूं . . . . . .उठे

†**उपाध्यक्ष महोदय** : जब मैं ने आप का नाम लिया था, आप यहां नहीं थे । मैं विशेष तौर पर आप को इजाज़त देता हुं ।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** (मंदसौर) : मैं प्रस्ताव करता हुं कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†श्री उ० मू० त्रिवेदी : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

हिन्दू उत्तराधिकार संशोधन विधेयक

(नई धारा २३क का रखा जाना)

† **श्री चं० ब० सिंह बिष्ट** (अल्मोड़ा) : मैं प्रस्ताव करता हुं :

"कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, १९५६ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर राय जानने के लिए उसे ३१ दिसम्बर, १९६२ तक परिचालित किया जाये"

यह बात देखने में आई है कि पुरुष सहउत्तराधिकारी अथवा स्वामिनी स्त्री के पुरुष सम्बन्धी स्त्री के पिता या निकट सम्बन्धी की मृत्यु के बाद उस की भावनात्मक प्रकृति से अनुचित लाभ उठाकर उपहार के रूप में अथवा अन्यथा अपने नाम सम्पत्ति का हस्तान्तरण करवा लेते हैं। उत्तराधिकारिणी स्त्री इस अधिनियम को नहीं समझती हैं।

इस विधेयक में यह व्यवस्था की गई है कि स्वामिनी स्त्री द्वारा सम्पदा का हस्तान्तरण उस के पक्ष में उत्तराधिकार लागू होने के बाद दो वर्ष की अवधि तक बिना प्रतिकर दिये वैध नहीं होगा। दो वर्ष का समय अधिक नहीं है। उस के लिए अपनी सम्पदा की कीमत इत्यादि का पता लगना आवश्यक है। इस के लिए दो वर्ष का समय उचित है। इस तरह से यद्यपि वह बिना कुछ लिए हस्तान्तरण करना चाहती है तो उस के पास ऐसा सोच समझ कर करने का समय होगा।

चूंकि प्रतिकर को प्रभावित करने का उत्तरदायित्व उस व्यक्ति पर होगा जिस के नाम सम्पदा हस्तान्तरित की गई है, अतः वह कुछ करने से पूर्व दो बार सोचेगा और वह विश्वासपात्र गवाह ढूंढेगा।

माननीय मंत्री जो मैं ने कहा है उस पर विचार करेंगे और वे मेरे प्रस्ताव को मान लेंगे।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : यह विधेयक समाजिक विधेयक है। सामाजिक सुधार के ध्येय से गैर सरकारी सदस्यों ने बहुत से विधेयक प्रस्तुत किये हैं। सरकार ने भी इस सम्बन्ध में काफी काम किया है।

यह विधेयक एक महत्वपूर्ण सामाजिक विधेयक है और हमारे देश में स्त्रियों के हित को संरक्षण प्रदान करने में योग देगा।

जितनी हम प्रगति करते हैं चालाक पुरुषों की संख्या बढ़ती जा रही है। अनेक प्रकार से धोखा दे कर चालाक पुरुष स्त्रियों की सहज सरलता का लाभ उठा रहे हैं और उन से सम्पत्ति ले लेते हैं।

हमारी स्त्रियों को सम्पत्ति की देख-भाल के बारे में ज्ञान नहीं है। स्वतन्त्र भारत में उन्हें सम्पत्ति के मामले में पुरुषों के समान कर दिया है। परन्तु चालाक लोग उन्हें धोखा देकर सम्पत्ति ले लेते हैं।

यदि उत्तराधिकार से स्त्री को सम्पत्ति मिलती है तो धोखा देकर उस से सम्पत्ति नहीं छीनी जानी चाहिए। यह बड़ा अच्छा उपबन्ध है। इस उपबन्ध के बारे में किसी को आपत्ति नहीं हो

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दी० चं० शर्मा]

सकती है । अतः इस विधेयक को जनमत के लिए परिचालित करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लना चाहिए ।

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य, श्री बिष्ट, के इस प्रस्ताव का समर्थन करता हुं कि हिन्दू सक्सेशन (अमेंडमेंट) बिल को लोगों की राय जानने के लिए भेजा जाये । हिन्दू ला में संशोधन पहली बार १९३१ में किया गया, जब कि स्त्रियों को अधिकार दिया गया । उस के बाद हमेशा यह प्रयास होता रहा कि स्त्रियों को जहां तक अधिकार दिये जायें, वहां तक अच्छा है । लेकिन वास्तविकता यह है कि हमारे समाज का ढांचा कुछ ऐसा है कि स्त्रियों को जो अधिकार दिये गये, उन से स्त्रियों को ज्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा है । हम प्रायः देखते हैं कि पुरुष के देहान्त के बाद जब स्त्री को उत्तराधिकार प्राप्त होता है, तो, यदि वह मां हुई, तो उस के बच्चों के हित में, या अपने और किसी सम्बन्धी के हित में हिब्बानामा, गिफ्ट, उससे लिखा लिया जाता है, या उस पर जोर दे कर या ज़बरदस्ती से हिब्बानामा लिखा लिया जाता । खास तौर पर देहात में यह होता है कि रिकार्ड्ज़ आफ़ राइट्स में यह इन्द्राज होता है कि अमुक आदमी का अमुक खेत है । फ़र्ज़ कीजिये कि वहां पर किसी व्यक्ति का देहान्त हो गया और उस की सम्पत्ति में उस की स्त्री का कुछ हक हुआ, तो जो दूसरे उत्तराधिकारी होते हैं, जो मेल सक्सेसर्ज़ होते हैं, वे इस बात की कोशिश करते हैं कि रिकार्ड्ज़ आफ़ राइट्स में उन का नाम लिखा जाये ।

आज हमारे समाज की परिस्थिति यह है कि स्त्री घर में रहती है और उस को बाहर का कोई ज्ञान नहीं होता है । इस का फल यह है कि अधिकार होते हुए भी वह उस का उपयोग नहीं कर सकती । इस लिए इस बिल में यह व्यवस्था की गई है कि उत्तराधिकार मिलने के दो साल तक कोई स्त्री उस प्रापर्टी को ट्रांस्फर न कर सके । उस दो साल की अवधि में उस को कुछ ज्ञान भी हो सकता है कि मेरे पास क्या जायदाद है, क्या प्रापर्टी है । खास तौर से आज-कल देहात में जो ज़मींदार या अच्छा काश्तकार है, पर्दा-सिस्टम की वजह से उस के घर की स्त्रियों को इस बात का ज्ञान नहीं है कि उन का पांच, छः, सात बीघे का खेत कहां पर है । अगर दो बरस का समय मिल जाये, तो वह स्त्री स्वयं या किसी नौकर के द्वारा समझ सकती है कि मेरे पास कितनी सम्पत्ति है और उस का प्रबन्ध कैसे हो सकता है ।

इन थोड़े से शब्दों के साथ मैं इस बिल का स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि जब यह बिल राय जानने के लिए भेजा जायगा, तो सारे हिन्दुस्तान में इस का समर्थन होगा तथा आज हमारे समाज का जो अभिशाप हो गया है, उस से मुक्ति मिल जायगी ।

†**श्री गौरी शंकर** (फतेहपुर) : मैं विधेयक का समर्थन करता हूं ।

ग्रामीणों क्षेत्रों में अनेक मामलोंमें देखा जाता है कि ज्यों ही उत्तराधिकार आरम्भ होता है, स्त्री बहुत आसानी से किसी भावनात्मक आधार पर किन्हीं उत्तर भोगियों के वश में हो जाती है जिस के परिणामस्वरूप हस्तान्तरण पत्रों के रूप में कुछ शीघ्रता से काम लिया जाता है । उन्हें उनकी सम्पत्ति से वंचित कर दिया जाता है और बाद में उन्हें रोटी के भी लाले पड़ जाते हैं । वर्तमान विधेयक से स्त्रियों को इस सम्बन्ध में पर्याप्त संरक्षण मिलेगा, विशेषकर उन स्त्रियों को जो पर्दा करती हैं, गाँवों में रहती हैं अथवा अशिक्षित हैं ।

अतः मैं सदन से प्रार्थना करता हूं कि वे इस विधेयक को स्वीकार करें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० मा० श्री अणे** (नागपुर) : संसद यदि कोई कानून बनाती है और बाद में यह देखा जाता है कि उस का उल्लंघन होता है तो उसे त्रुटि को रोकना चाहिए। स्त्रियों को जो सम्पदा के बारे में अधिकार दिए गए थे, उन्हें उन से वंचित रखा जाता है।

(श्री मूलचन्द दुबे पीठासीन हुए)

यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि स्त्रियों को अभी भी उनको कुछ सामाजिक कानूनों द्वारा प्रयास किए गए लाभों से वंचित रखा जाता है। हमारा यह कर्तव्य है कि हम यह देखें कि जिस प्रयोजन के लिए कानून पर्याप्त किया जाता है वह भली प्रकार पूरा किया जाए।

विधेयक को लोक मत जानने के लिए परिचालित किया जाए। मैं श्री रघुनाथ सिंह के संशोधन का समर्थन करता हूं।

†**श्री वारियर** (त्रिचूर) : मैं विधेयक के उद्देश्य का समर्थन करता हूं परन्तु इस में सन्देह है कि वह उतना प्रभावकारी होगा जितना कि प्रस्तावक चाहते हैं।

वह अवधि जिसमें सम्पत्ति का कोई लेन देन न हो सकता हो दो वर्ष की बजाय कम से कम पांच वर्ष होनी चाहिए।

यदि इस विधेयक का ध्येय अशिक्षित स्त्रियों के अधिकारों का संरक्षण है तो परन्तुक नहीं दिए जाने चाहिएं, क्योंकि हम सब त्रुटियाँ दूर करना चाहते हैं। आशा है कि सरकार अधिक प्रभावकारी विधेयक निकट भविष्य में लाएगी और उस के उद्देश्यों तथा प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए पर्याप्त संगठन की व्यवस्था करेगी ताकि स्त्रियों के अधिकारों की रक्षा की जा सके।

श्री बड़े : सभापति महोदय, श्री विष्ट ने जो बिल प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। मैं जिस क्षेत्र से आया हूं और जहां जहां मैं घूमा हूं, वहां मैं ने देखा है कि जो स्त्रियां रहती हैं वे इतनी सीधी और भोली भाली हैं कि उनके रिश्तेदार, जो उन के साथ रहते हैं, उन को अपने प्रभाव में ले लेते हैं। कोर्टस में भी मैं ने देखा है इन्हेरिटेन्स के मुकदमों में कि उन के रिश्तेदार, उन के पति, उन के भाई या उन के श्वसुर उन से गिफ्ट डीड्स लिखवा लेते हैं लेकिन उन को इस का पता भी नहीं रहता है। जब वह महिलायें कोर्ट में आती हैं और वकील करती हैं तब वे पूछने पर यही कहती हैं कि उन को मालूम नहीं है कि कब उन से दस्तखत ले लिया गया। जब रजिस्ट्रार आदि कमिशन पर जाते हैं तो उन को भी कुछ बतलाया नहीं जाता है और बिना उन को समझाये बुझाये उन से दस्तखत ले लिये जाते हैं। जब इस तरह की बातें हमारे सामने आती हैं तो मालूम पड़ता है कि जो बिल श्री विष्ट लाये हैं उस की बहुत जरूरत थी।

अभी माननीय श्री शर्मा जी ने कहा कि इस बिल का फेट वही होगा जो कि और प्राइवेट मेम्बर्स बिल्स का होता है अर्थात् यह विदड्रा हो जायेगा। जो भी प्राइवेट मेम्बर्स बिल्स होते हैं वे शासन को सुझाव देने की तरह पर होते हैं ताकि शासन उन के अनुसार सुधार करे। इस लिये अगर यह विदड्रा भी हो जाता है तो भी उस का उद्देश्य पूरा हो जायेगा क्योंकि शासन को सुझाव देने के साथ साथ भारतीय जनता को भी वह इस का ज्ञान करायेगा कि हम क्या चाहते हैं और जनता क्या चाहती है। इस बिल से यह फायदा तो हो ही जायेगा।

बिल में लिखा हुआ है कि जो भी अपनी गिफ्ट्स को ट्रान्सफर करेगा वह दो साल के लिये नाजायज हो जायेगा। मैं समझता हूं कि यह बहुत अच्छा सुझाव है और समझता हूं कि साधारण

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री बड़े]

रूप से इसे स्वीकार कर लिया जाना चाहिये। इस में ट्रान्सफर के बारे में लिखा है कि **दि ओनस आफ प्रूफ आफ इट शेल बी आन दि ट्रान्सफरी**। इस के बारे में मेरा कहना यह है कि घर में जब कोई गरीब महिला रहती है और उसके पास इन्हेरिटेन्स से प्रापर्टी आती है तो उसको कभी कभी उसे ट्रान्सफर करना पड़ जाता है। वह गरीब होती है, उस का पुत्र मर जाता है, उस का खाविन्द मर जाता है, श्वसुर मर जाता है तब उसके सामने प्रश्न आता है, उस को चिन्ता होती है कि उस का गुजारा कैसे हो। जब इन्हेरिटेन्स से कोई प्रापर्टी उस के पास आती है तो वह चाहती है कि उस को बेच कर अपना गुजारा करे। इस लिये इस में जो सेल का प्राविजन रक्खा गया है वह भी बहुत अच्छा है। साथ ही पैसा प्राप्त करने के सम्बन्ध में जो प्राविजन है उस में धोखा दे कर ट्रान्सफर करा लेने की प्रवृति जो रहती है उस को भी सेफगार्ड किया गया है। जो उस के कैसिडरेशन का बोझा है, मुआवजा देने काजो बोझा है, जो बर्डेन है, वह जो प्रापर्टी लेगा उस के ऊपर है। चूंकि इस तरह से श्री बिष्ट ने सवांगीण रूप से विचार कर के इस बिल को रक्खा है इस लिये मैं इस का सहर्ष समर्थन करता हूं।

इस बिल को सर्कुलेट करने का जो प्रस्ताव रक्खा गया है, मैं समझता हूं कि उस की कोई जरूरत नहीं है। अगर इसको यहीं स्वीकार कर दिया जाय और गवर्नमेंट आश्वासन दे कि इस प्रकार का प्रविजन हिन्दू सक्शेसन ऐक्ट में कर देगें तो मैं समझता हूं कि साधारण जनता शासन को धन्यवाद देगी। लेकिन इस के साथ जो अभी मेरे एक माननीय मित्र ने कहा कि इस को दो साल के बजाय पांच साल के लिये करना चाहिये, उस के सम्बन्ध मेरा कहना है कि चाहे इसको दो साल के लिए किया जाय चाहे। पांच साल के लिये किया जाय या चाहे दस साल के लिये किया जाय, जब तक महिलाओं की स्थिति सुधरती नहीं है, इस से कोई लाभ नहीं होगा। जब तक उन को शिक्षा आदि दे कर ऊपर न लाया जाय तब तक उन की स्थिति सुधरने वाली नहीं है। आप चाहे जितने समय के लिये इस बिल को रक्खें जब तक समाज में महिलाओं की जो स्थिति है वह सुधरती नहीं, आज कल जो वातावरण है उस के अनुरूप उन की स्थिति ठीक नहीं होती तब तक इस बिल का कोई लाभ नहीं है। इस लिये इस को अभी दो साल के लिये रखना काफी है।

इन शब्दों के के साथ मैं फिर इस बिल को सपोर्ट करता हूं और प्रस्तावक महोदय को धन्यवाद देता हूं।

†**श्री अ० ना० विद्यालंकार** (होशियारपुर) : यह विधेयक जनमत जानने के लिये प्रसारित करने के लिये है। लेकिन मेरा विचार यह है कि यह विधेयक इतना सरल है कि इसे प्रसारित करने की आवश्यकता नहीं है। जब तक जनमत प्राप्त होगा तब तक बीच में काफ़ी समय मिल जाता है और हो सकता है कि उस अवधि में कुछ निहित स्वार्थ वाले व्यक्ति गड़बड़ उत्पन्न कर दें। मेरा सुझाव है कि जनमत जानने के लिये जो अवधि रखी जाये वह कम से कम हो। जैसाकि प्रस्तावक ने सुझाया है कि यह अवधि दिसम्बर तक हो यही अच्छा है।

सभा के सभी सदस्यों ने इस विधेयक का समर्थन किया है और आशा है कि इसे जनमत जानने के लिये भेजा गया तो इसे पूरा पूरा समर्थन मिलेगा। अतः गृहकार्य मंत्री से मैं निवेदन करूंगा कि वह इसे स्वीकार कर लें।

इस विधेयक की रचना कुछ ठीक नहीं है। मेरा सुझाव है कि इस के शब्दों में इस प्रकार हेर फेर किया जाये ताकि उस का गलत उपयोग न किया जाये। इस प्रकार के विधेयकों की रचना

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रायः ठीक नहीं हुआ करती और यही कारण है कि उन में कोई न कोई कमी रह जाती है । अतः इस की रचना मे सुधार किया जाये । और मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

मैं इस सुझाव से भी सहमत हूं कि यदि सरकार इस संशोधन विधेयक को स्वयं प्रस्तुत करे तो और भी अच्छा हो । विधेयक के निर्माताओं का उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है थोड़ी सी कमी शब्द रचना मे रह गई है । निर्माताओं का उद्देश्य यही था कि महिलाओं को भी इस का लाभ मिले ।

श्री सिंहासन सिंह : (गोरखपुर) : सभापति जी, इस विधेयक को लाने का जो उद्देश्य बताया गया है वह पढ़ने में बड़ा सुन्दर लगता है लेकिन इस पर महिला सदस्याओं ने अपने विचार प्रकट नहीं किये हैं । शायद मंत्रिणी महोदया इस का जवाब देते वक्त महिलाओं को दृष्टिकोण उपस्थित कर देंगी ।

सदन के जिन सदस्यों ने इस पर विचार मे भाग लिया उन्होंने इस का समथन किया है लेकिन मैं इस विधेयक का दूसरा पक्ष भी इस सदन के सामने रखना चाहता हूं । हर एक विषय के दो पक्ष होते हैं और केवल एक ही पक्ष को देखने से उस के बारे में सही राय कायम नहीं की जा सकती । यदि इस विधेयक को स्वीकार कर लिया गया तो जिस उद्देश्य से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम पास किया गया था उस मे बाधा उपस्थित हो जायेगी । उस अधिनियम में बहुत दिनों तक सोच विचार करने के बाद स्त्री को उस के पति के मर जाने पर अन्य सम्बन्धियों के साथ-साथ समान अधिकार दिया गया था लेकिन आज इस विधेयक द्वारा उस अधिकार पर रोक लगाने का प्रयत्न किया जा रहा है कि वह अपनी जायदाद को दो बरस तक न बेचे और बेचे भी तो दाम ले के बेचे, हिबा नहीं कर सकती दान नहीं कर सकती । तो इस प्रकार उन के अधिकार पर रोक लगाई जा रही है ।

मैं जानना चाहता हूं कि जब से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम पास हुआ तब से अब तक उस का कितना दुरुपयोग हुआ । इस के न कोई आंकड़े बिष्ट साहब ने दिये हैं और न इन का कोई संकलन किया गया है । मैं जानना चाहता हूं कि कितनी औरतों ने इस कानून का दुरुपयोग किया या उन से उस का दुरुपयोग कराया गया और बाद मे उन्हों ने तकलीफ उठाई क्योंकि धोखे में आ कर या भाव में आ कर उन्हों ने वैसा कर दिया ।

ऐसा भी हो सकता है कि आज किसी स्त्री को अपनी लड़की की शादी करने की आवश्यकता है, पति मर गया है । लड़की भी जायदाद की अधिकारिणी है और मां भी है लेकिन वे शादी के लिए रुपया नहीं जुटा पा रही हैं । अगर इस विधेयक को स्वीकार कर लिया गया तो दो साल तक वे जायदाद को बेच कर रुपये का प्रबन्ध नहीं कर सकेंगी और दो बरस तक लड़की की शादी नहीं हो सकेगी । अगर यह कानून पास हो जायेगा तो उस की शादी में रुकावट पड़ सकती है ।

इसी विषय में मेरी एक महिला सदस्या से बात हुई । उन्हों ने कहा कि हमारे अधिकार पर क्यों रोक लगाई जा रही है । क्यों यह सोचा जा रहा है कि हम भाव में आ कर अपना नुकसान कर लेंगी । उन्होंने कहा कि जो अधिकार हम को मिला है उस पर रोक नहीं लगायी जानी चाहिये । ऐसी सूरत में मैं सदन के सदस्यों के सामने विधेयक का यह पक्ष उपस्थित करते हुए इस का विरोध करता हूं । ऐसा नहीं होना चाहिये कि जो अधिकार महिलाओं को मिला हुआ है उस पर रोक लगाई जाय । उस का उपयोग करने का उन को पूरा अधिकार होना चाहिये ।

[श्री सिंहासन सिंह]

देहातों के बारे मे कहा जाता है कि वहां इस का दुरुपयोग हो सकता है। लेकिन आज देहातों मे भी मरदों की तरह औरतें भी पढ़ रही हैं और परदा भी समाप्त हो रहा है। और परदे के रहते हुए भी उन को यह अधिकार दिया गया था ।

अभी शर्मा जी ने कहा कि सदस्यों को अपने बिलों को अक्सर वापस ही लेने की नौबत आती है। वह नौबत आवे या न आवे लेकिन मैं समझता हूं कि इस विधेयक की अभी जरूरत नहीं थी। अभी पांच सात साल हुए कि हम ने हिन्दू उत्तराधिकार कानून पास किया है और जब तक यह न मालूम हो कि इस का दुरुपयोग किया गया है तब तक इस अधिकार पर रोक लगाना उचित नहीं होगा। इस विषय पर महिला सदस्याओं को विशेष रूप से गौर करना चाहिये और हम को जानना चाहिये कि महिलाओं की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है, वे इस अधिकार पर रोक लगाने के पक्ष में हैं या नहीं। अगर वे चाहती हों कि इस पर रोक लगाई जाय तब तो इस विधेयक को स्वीकार किया जाय अन्यथा नहीं। मेरा विचार है कि इस को जनता की राय जानने के लिये बाहर भेजने के बजाय पहले इस को सदन की महिला सदस्याओं के सुपुर्द करना चाहिये कि वह इस पर अपनी राय दें कि इस प्रकार का संशोधन उत्तराधिकार कानून में होना चाहिये या नहीं। अगर वह चाहें तो यह संशोधन किया जाय। तो इस को सरकुलेट करने के बजाय हम सदन की महिला सदस्याओं की राय क्यों न ले लें और फिर मंत्रिणी जी भी महिलाओं के दृष्टिकोण को उपस्थित कर सकती हैं ।

मेरे विचार से इस प्रकार के कानून को पास करने से महिलाओं के अधिकार का हनन होगा जोकि नहीं होना चाहिये। जो अधिकार उन को मिला है उस का उपयोग करने का उन का पूरा अवसर होना चाहिये। इस का दुरुपयोग हो सकता है तो सदुपयोग भी हो सकता है, लेकिन अगर इस पर रोक लगा दी गई तो इस का सदुपयोग भी नहीं हो सकेगा ।

†**श्रीमती सोजिनी महिषी** (धारवाड़ उत्तर) : हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक में संशोधन प्रस्तुत करने वाले प्रस्तावक निश्चय ही बधाई के पात्र हैं। यह प्रसन्नता की बात है कि विरोधी सदस्यों तक ने इस संशोधन का समर्थन किया है ।

हमारे समाज में महिलाओं की स्थिति आज क्या है इस का स्पष्ट चित्रण इस संशोधन में किया गया है। आज की महिलाएं बहुत सी विधिक बुराइयों से त्रस्त हैं। वेदकाल में लड़कियां लड़कों के बराबर समझी जाती थीं और उन्हें सम्पत्ति मे बराबर का अधिकार मिलता था। लेकिन बाद को चल कर स्त्रियों के बारे में विधिक जटिलताएं बढ़ती गईं। और स्त्री एक ऐसी वस्तु बन गई जिसे पा कर मनुष्य अपने आप को गौरवान्वित महसूस करने लगा। उन दिनों के विधि निर्माता महिलाओं के प्रति बड़े अकृपालु थे। याज्ञवल्क्य का तो यहां तक कहना है कि स्त्रियां केवल वही सम्पत्ति अपने पास रख सकती हैं जो विवाह के समय उन को अपने पिता या अभिभावक से मिलती है और वह भी कठिनाई के समय उस के पति द्वारा ली जा सकती है। इसी प्रकार प्राचीनकाल में स्त्रियों के प्रति सदैव ही उदासीनता दिखाई जाती रही। १९३७ के अन्त तक हम देखते हैं कि स्त्रियों के पक्ष में कोई भी कानून नहीं था। सम्पत्ति अधिकार अधिनियम, १९३७ के अनुसार केवल विधवा को यह अधिकार दिया गया कि वह कुछ सम्पत्ति रख सकती है। लेकिन शर्त यही थी कि वह उस सम्पत्ति का उपयोग अपने जीवनकाल में ही और वह भी कुछ कार्यों के हेतु कर सकती थी। ऐसा न करने पर और लोग आपत्ति उठा सकते हैं और कह सकते हैं कि आप यह सम्पत्ति बेच नहीं सकतीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस के बाद २० वर्ष तक महिलाओं के पक्ष में कुछ नहीं हुआ हालांकि देश में बहुत से परिवर्तन हुए। महिलाओं के विरोध के बावजूद भी हिन्दू विधि को संहिताबद्ध किया गया।

कुछ लोगों ने यह आपत्ति उठाई कि महिलाएं अशिक्षित होती हैं अतः उन को सम्पत्ति में अधिकार नहीं मिलना चाहियें लेकिन बाद में यह बात समाप्त हो गई।

अब यह विधेयक जनमत जानने के लिये रखा गया है। इस के अनुसार महिलाओं को इस बात की छूट दी गई है कि वे अपनी सम्पत्ति का उपभोग जैसे चाहें कर सकती हैं। अतः मैं कहूंगी कि जो संशोधन यह रखा गया है वह ठीक समय पर प्रस्तुत किया गया है। इस के पारित हो जाने के बाद ही हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम ठीक ढंग से कार्य करेगा। इस संशोधन के पारित हो जाने से महिला समाज का बहुत लाभ होगा। आशा है कि जब तक महिलायें शिक्षित हों अथवा वे अपने अधिकारों को जानने लगें तब तक उन्हें यह छूट मिलती रहेगी ऐसी आशा है।

श्री कु० कृ० वर्मा (सुल्तानपुर): आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, इस बिल के सर्कुलेशन के लिए जो मोशन इस माननीय सदन में उपस्थित किया गया है, चूंकि उस के अलावा दूसरा कोई मोशन इस हाउस के सामने नहीं है, इसलिए उसी पर लोगों को ग़ौर करना है।

जहाँ तक इस बिल के उद्देश्य का सम्बन्ध है, इस सदन के अधिकतर माननीय सदस्यगण उस के समर्थन में हैं। यह सही है कि जब हम कोई ट्रांस्फ़र का ऐसा अधिकार देते हैं, जिससे हमारी माताओं और बहनों को शूरू में कोई जायदाद मिलती है, तो ऐसा न हो कि वे अपने अधिकार का दुरुपयोग करें और जो उन को जायदाद मिलती है, उस से वे वंचित हो जायें, इस की व्यवस्था हमें करनी चाहिए। इस सम्बन्ध में अगर यह वाद-विवाद छेड़ा जाता है कि सब लोगों को समान अधिकार मिलना चाहिए और हमारी माताओं तथा बहनों को यह नहीं समझना चाहिए कि वे पुरुषों से किसी प्रकार कम हैं, उन की योग्यता कम है, तो मेरी समझ में यह मुनासिब नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यहाँ पर पुरुष और स्त्री जितने सदस्यगण हैं, वे सब अपने अपने क्षेत्रों में घूमते और काम करते हैं। वे अपने दिल से पूछें कि क्या यह बात सही नहीं है कि हमारी बहुत सी मातायें-बहनें ऐसी हैं, जो शिक्षा न होने के कारण, जायदाद को अच्छी तरह से इस्तेमाल करने का तर्जुबा न होने के कारण, घरों में ही रहने के कारण और बहुत से अन्य कारणों से अपनी जायदाद की रक्षा इतनी नहीं कर सकतीं, जितनी कि पुरुष कर सकते हैं।

लेकिन इस सम्बन्ध में मैं तो यह कहूंगा कि सर्कुलेशन के लिए जो बिल जा रहा है, वह उस शक्ल में नहीं आया, जिस शक्ल में वह वाकई आना चाहिए। जैसा कि मेरे पूर्ववक्ता ने कहा है, यह व्यवस्था सिर्फ़ स्त्रियों तक ही महदूद नहीं रहनी चाहिए, बल्कि जितने और डिसेबल्ड पर्सन्ज़ हैं, उन को भी इस में शामिल करना चाहिए। डिसेबिलिटी के क्या माने होते हैं, इस की परिभाषा अलग से एक क्लाज़ में करनी पड़ेगी। मैं समझता हूं कि बहुत से पुरुष भी ऐसे होते हैं, जो अशिक्षित हैं, जिन को काफ़ी शिक्षा नहीं मिली है, जिन को गंवार कहा जाता है, जो सिर्फ़ अंगूठा लगाते हैं और यह बात अच्छी तरह से नहीं समझते हैं कि जायदाद की ट्रांस्फ़र से क्या क्या नतीजे होते हैं। मेरे विचार में अगर वे लोग भी इस बिल में लाये जाते हैं, तो कोई हर्ज नहीं होगा। यानी इस बिल के उद्देश्य को और तोसीअ कर दिया जाये, एनलार्ज कर दिया जाये, ताकि उन डिसेबल्ड पर्सन्ज़ को वह रक्षा और प्रोटेक्शन मिल जाये, जो कि हम स्त्रियों को देना चाहते हैं। अगर ऐसी शक्ल में यह बिल होता, तो बहुत ही सुन्दर होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री क्र० क्र० वर्मा]

मैं समझता हूं कि यह बात सही नहीं है कि हम इस बिल के द्वारा स्त्रियों के अधिकार पर बंधन लगा रहे हैं, बल्कि उन के जो अधिकार हैं, उन की रक्षा के लिए यह व्यवस्था करने का विचार किया जा रहा है। अगर कोई पुरुष ट्रांसफ़र करता है, और उस का एक्सीक्युशन साबित हो जाये, तो यह साबित करने का ओनस उस पर है कि वह बिला मुआवजा है, विदाउट कंसिडेशन है। लेकिन हम यहां पर एक और अधिकार देने जा रहे हैं कि जब कोई शख्स ट्रांसफ़र लेगा, तो यह साबित करने की जिम्मेदारी, ओनस, उस पर होगा कि यह ट्रांसफ़र विद कनसिडेशन है। मैं समझता हूं कि इससे उन के अधिकार का और एलाजमेंट होता है, तोसीअ होती है, न कि उन के अधिकारों पर बन्धन लगाया जा रहा है।

अगर इस दृष्टि से देखा जाये तो मेरी समझ में यह बिल बहुत ही लाभकर है। अगर गवर्नमेंट की तरफ़ से कोई बिल लाया जाता है, तो मेरा सुझाव है कि उस में डिसेबल्ड पर्सन्ज़ को शामिल कर लिया जाये। अगर बिल को वह शक्ल दे दी जाती है, तो हमारे देश की हज़ारों लाखों स्त्रियों और डिसेबल्ड पर्सन्ज़ की रक्षा हो सकेगी, उनके उतने अधिकार हैं, वे सुरक्षित होंगे और ऐसा नहीं होगा कि वे बेचारे अपनी जायदाद से महरूम हो जायें।

इन शब्दों के साथ मैं इस मोशन का समर्थन करता हूं।

श्री ज० ब० सिंह (घोसी) : सभापति महोदय, मैं इस बिल की मुखालफ़त करने के लिए खड़ा हुआ हूं। चूंकि एक आनरेबल मेम्बर ने कहा कि आपोज़ीशन के लोगों ने भी इस बिल का समर्थन किया है और उन्हें इस का दुख है, इस लिए मैं बताना चाहता हूं कि मैं भी आपोज़ीशन का हूं और उसी पार्टी का हूं, जिस पार्टी के एक दोस्त ने इस बिल का समर्थन किया है।

मैं इस बिल की मुखालफ़त इसलिए करता हूं कि मेरी समझ में यह आर्गुमेंट, यह दलील, नहीं आती कि चूंकि हमारी औरतें अनपढ़ हैं, देहातों में रहती हैं, पर्दे में रहती हैं, इसलिए अगर उन को इस तरह के राइट्स, हक, रहते हैं, तो दूसरे लोग उन को बहका कर उन की प्रापर्टी या ज़मीन वग़ैरह को अपने कब्ज़े में ले लेते हैं। अगर यही दलील है, तो अर्ज़ करना चाहता हूं कि अंग्रेज़ हमेशा यही दलील देते थे कि हिन्दुस्तान के लोग जाहिल हैं और इसलिए उन को आज़ादी का हक नहीं दिया जाना चाहिए। आज भी यह दलील दी जाती है कि हिन्दुस्तान के प्रजातंत्र में सब लोग शिक्षित नहीं हैं और उसका नतीजा आप चुनावों में देखते हैं कि किस तरीके से वोटों का हेर फेर होता है। अगर यह आर्गुमेंट ठीक है, तो फिर सरकार को लोगों का वोटिंग का अधिकार ले लेना चाहिए और उस को करोड़ों अशिक्षित लोगों को वोटिंग का अधिकार नहीं देना चाहिए।

लेकिन मैं समझता हूं कि यह दलील ग़लत है। आज परिस्थिति यह है कि जो लोग औरतों को बहका कर उन की प्रापर्टी लेते हैं, एक तरफ़ तो सरकार उन को रोकने और उन को पनिश करने की कोशिश नहीं करती है और दूसरी तरफ़ वह तरह तरह के नाम ले कर औरतों को मिले थोड़े बहुत अधिकारों को भी छीनने की कोशिश कर रही है। इसलिए मैं इस बिल को अपोज़ कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि हर एक माननीय सदस्य को इस का विरोध करना चाहिए।

श्री राम सेवक यादव (बाराबंकी) : सभापति महोदय, जो संशोधन यहां उपस्थित किया गया है, मैं उसका विरोध करता हूं। यह मैं इसलिए करता हूं कि हमारी समाज का गठन बहुत असमान ढंग से किया गया है। जहां तक स्त्री और पुरुष का प्रश्न है, उनमें भी बहुत बड़ी विषमता है और यह विषमता खास तौर से जायदाद के प्रश्न को लेकर चरम सीमा तक पहुंच चुकी है। शायद

उसी विषमता को दूर करने के लिए उनको जायदाद में अधिकार दिया गया था। इसको बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है। लेकिन आज हमारे एक माननीय सदस्य को इस बात की चिन्ता हो आई है कि जो अधिकार उनको कानून द्वारा मिले हैं, उनको किसी न किसी तरह से फिर से छीन लिया जाये। यदि इस संशोधन की भाषा को पढ़ें और जो उन्होंने चिन्ता व्यक्त की है, उस पर नजर डालें तो यह पता चलता है कि उनका जो दृष्टिकोण है वह नाकारात्मक है। वह यह मानकर चलते हैं कि स्त्रियों में बुद्धि का अभाव है, वे अपने हित और अहित को पहचानती नहीं हैं, इसलिए उनके ऊपर जहां तक जायदाद का सम्बन्ध है, कोई न कोई प्रतिबन्ध अवश्य लगना चाहिए। यह बात बिल्कुल गलत है। जहां तक इस संशोधन का सम्बन्ध हैं, यदि इसको पारित कर दिया जाता है तो यह शक्ति का दुरुपयोग होगा। यदि जायदाद में स्त्रियों को हिस्सा मिलता है, तो वे उसका सदुपयोग कर सकती हैं। संशोधन को पास करने के बाद हम उनको इससे वंचित कर देंगे।

डा० मा० भी० अणे : कितने समय के लिए ?

श्री राम सेवक यादव : कितने भी समय के लिए हो, दो साल के लिए हो।

मैं अपने बजूर्ग सदस्य से निवेदन करूंगा कि अगर किसी स्त्री को जायदाद में हिस्सा मिलता हो और वह अपने लड़के या लड़की की शादी के लिए जायदाद को बेचना चाहे तो यदि इस संशोधन को पास कर दिया जायेगा तो फिर उस जायदाद को कौन लेगा ? इस संशोधन के द्वारा आप औरतों को अधिकार दे नहीं रहे हैं बल्कि उनसे अधिकारों को छीन रहे हैं। आप के सामने दुरुपयोग का ही प्रश्न है, सदुपयोग का नहीं है, क्योंकि आप बुनियादी तौर पर यह मान कर चलते हैं कि औरतों में सद्बुद्धि नहीं है, उनमें योग्यता नहीं है, वे अपने अधिकारों का सदुपयोग नहीं कर सकती हैं और इसी भय के कारण आपने इस संशोधन को यहाँ प्रस्तुत किया है। अगर आपके दिल में यह चीज है तो इसको आप साफ तौर से हमारे सामने रखें। लेकिन यह एक दुहरा रुख है जो हम अपना रहे हैं। एक तरफ तो हम स्त्रियों की समानता की बात करते हैं, उनको अधिकार देने की बात करते हैं और दूसरी तरफ हम उनको अयोग्य मानते हैं और कहते हैं कि वे अपने अधिकारों का सदुपयोग नहीं कर सकती हैं। आपके इस संशोधन से तथा विचारों से यह भावना साफ साफ प्रकट होती है। जब एक माननीय सदस्य ने कहा कि हम उनके अधिकार बढ़ा रहे हैं, तो ऐसा मुझे बिल्कुल भी इस बिल से प्रतीत नहीं हुआ। यदि हमारे देश में पुरुष पढ़े लिखे हैं तो स्त्रियाँ भी पढ़ी लिखी हैं और अगर पुरुष बहुत अधिक तादाद में अनपढ़ हैं, तो स्त्रियाँ भी बहुत अधिक तादाद में अनपढ़ हैं। अनपढ़ पुरुषों के बारे में तो आप कहते हैं कि वे अपन अधिकारों का सदुपयोग कर सकते हैं, लेकिन अनपढ़ स्त्रियों के बारे में आप कहते हैं कि वे अपने अधिकारों का सदुपयोग नहीं कर सकती हैं। ऐसा कह कर इन दोनों में आप भेदभाव कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि स्त्रियों में बुद्धि की कमी नहीं है, योग्यता की कमी नहीं और यदि कहीं कोई कमी है तो हम लोगों की कमी है जिन के हाथ में शासन के सारे अधिकार रहे हैं और हम उनको समान अधिकार नहीं देना चाहते हैं। सारी कमी इस बात की है और उसी की झलक इस संशोधन में मिलती है। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं और इस सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि स्त्रियों और पुरुषों में अलगाव मत करो, ये जीवन की गाड़ी के दो आवश्यक पहिए हैं, किसी को कम और किसी को ज्यादा अधिकार देने से . . . .

श्री काशीनाथ पांडे (हाता) : आप किस पर बोल रहे हैं ?

श्री राम सेवक यादव : मैं इस बिल पर बोल रहा हूं।

श्री काशी नाथ पांडे : मालूम होता है कि आपने इस बिल के परपज़ को गम्भीरता से पढ़ा नहीं है।

श्री राम सेवक यादव : आप को मौका मिल तो आप गम्भीरता से समझा दीजियेगा ।

मैं इस संशोधन का घोर विरोध करता हूं और पिछले चार पाँच सालों में स्त्रियों को जो अधिकार मिले हैं, उनको न छीना जाये, यही मेरा निवेदन है ।

†**विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) :** यह दक सामाजिक विधेयक है जो समाज के हित के लिए है । यह कहना गलत है कि सरकार गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों में रुकावट बनती है । समाज में व्याप्त असमानता को दूर करने के लिए सरकार ने सदैव ही प्रयत्न किया है। सरकार इस बात से सहमत है कि इस विधेयक को जनमत जानने के लिये प्रचालित किया जाये ।

मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि धारा २३ के बाद धारा २३-क के रूप में संशोधन रखने का क्या तात्पर्य है । यदि इसका उद्देश्य केवल यही है कि हिन्दू महिलाओं को कुछ अधिकार मिलें तो वे अधिकार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा ४ में स्पष्ट कर दिये गये हैं । अतः इस संशोधन को धारा १४ के बाद ही रखना ठीक रहेगा । अब चूंकि यह जनमत जानने के लिये भेजा जा रहा है अतः उसके बाद सभा निर्णय कर लेगी कि इसे कहां रखा जाये । अन्त में मैं यही कहूंगा कि मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि इसे जनमत जानने के लिये प्रचालित किया जाये ।

†**श्री जं० ब० सिं० बिष्ट :** मैं उन सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस विधेयक का समर्थन किया है । इस विधेयक के द्वारा महिलाओं के अधिकार में कोई कमी नहीं हुई है । महिलाएं अपनी सम्पत्ति किसी को भी बेच सकती हैं लेकिन खरीदने वाले को यह सिद्ध करना होगा कि यह सम्पत्ति उतनी राशि की है जितने में कि उसने खरीदी है । माननीय मंत्री महोदय को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस प्रस्ताव से सहमति प्रकट की है कि इसे जनमत जानने के लिये प्रचालित किया जाये ।

†**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, १९५६ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर राय जानने के लिये उसे ३१ दिसम्बर, १९६२ तक परिचालित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अस्पृश्यता (अपराध) संशोधन विधेयक

(धारा ३ और ४ का संशोधन)

†**श्री सिद्दय्या** (चामराजनगर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, १९५५ में संशोधन करने वाले विधेयक पर राय जानने के लिये उसे ३१ दिसम्बर, १९६२ तक परिचालित किया जाये ।"

संविधान के अनुच्छेद १७ के अनुसार अस्पृश्यता समाप्त कर दी गई है और किसी भी रूप में इसका जारी रखना रोक दिया गया है । अस्पृश्यता को किसी भी रूप में जारी रखना कानून की दृष्टि से दंडनीय होगा । इसी उद्देश्य को ध्यान में रख कर यह अस्पृश्यता अधिनियम तैयार किया

---

†मूल अंग्रेजी में

गया था। इस अधिनियम की धारा ३ और ४ में संशोधन करने की दृष्टि से मैं ने संशोधन रखा है। इस विधेयक का उद्देश्य अनुसूचित जाति को सवर्णों जैसे समान अधिकार तथा सामान्य जनता के समान उनको सामाजिक अधिकार दिलाना है।

धारा ३ का उद्देश्य धार्मिक असमानता उत्पन्न करने वालों को दण्ड देना है। हम देखते हैं कि यह वर्तमान अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम जहां तक धार्मिक अधिकारों की बात है अस्पृश्यता निवारण नहीं कर सका है। अतः इस बात की आवश्यकता हुई कि एक ऐसा अधिनियम बनाया जाय जिसके अनुसार सभी हरिजन उन सभी मन्दिरों में जा सकें जो सभी हिन्दुओं अथवा उनके वर्गों के लिए बनाये गये हैं। अब तक ये हरिजन इन मन्दिरों में अस्पृश्यता के आधार पर नहीं जा सकते। अब इन सवर्णों का कहना है कि हम इन हरिजनों को इन मन्दिरों में इसलिए नहीं जाने देते क्योंकि ये हिन्दुओं के किसी वर्ग विशेष के लिए हैं। इस प्रकार बहुत से मन्दिरों में इन हरिजनों को जाने की अनुमति नहीं मिलती।

हालांकि अस्पृश्यता संविधान के अनुसार समाप्त हो गई है किन्तु फिर भी किसी न किसी रूप में विद्यमान है। इसलिए मैं ने यह संशोधन रखा है।

यह तो ठीक है कि भारत सरकार ने राज्य सरकारों को यह आदेश दिया है कि वे संविधान के अनुच्छेद २५(२)(ख) के अधीन विधान बनायें। लेकिन सवाल यह उठता है कि केन्द्र शासित क्षेत्रों का क्या होगा। उनके बारे में तो संसद् ही अधिनियम बना सकती है। इस कारण विशेष रूप से मैं यह मालूम करना चाहता हूं कि दिल्ली के बारे में क्या किया गया।

अब अधिनियम की धारा ४ को लीजिये, जो सामाजिक निर्योग्यतायें थोपने के अपराध के लिये दण्ड की व्यवस्था करती है। उस में होटलों, सार्वजनिक मनोरन्जन के स्थानों, धर्मशालाओं, सरायों और मुसाफिरखानों में हरिजनों का प्रवेश रोकने वाले को दण्ड देने की व्यवस्था की गई है। अभी तक अनुसूचित जातियों के लोगों को होटलों में प्रवेश करने में कोई कठिनाई महसूस नहीं होती। लेकिन यदि होटलों में अलग अलग श्रेणियों के बर्तन रखने की अनुमति दी जायेगी, तो बाद में उनके लिए अलग बर्तन रखने शुरू किये जा सकते हैं।

नदियों और स्नान के घाटों पर भी यही बात लागू होती है। यदि नदी के कुछ घाट कुछ विशेष धर्मावलम्बियों के लिए नियत कर दिये जायेंगे तो सभी हरिजन उनका उपयोग नहीं कर पायेंगे। इस दृष्टि से धारा ४ का खण्ड ४ बिलकुल बेमानी हो जाता है।

धर्मशालाओं, सरायों, इत्यादि पर भी यह लागू होती है। धार्मिक निर्योग्यता और सामाजिक निर्योग्यता में कोई भी अन्तर नहीं है। इसलिये १९५५ में पारित किये गये इस अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक हो गया है।

इस धारा का संशोधन हो जाने पर अनुसूचित जातियों के वर्तमान प्रतिबन्ध हट जायेंगे। मूल अधिनियम में धर्म का प्रश्न नहीं लिया गया था।

(श्रीमती रेणु चक्रवर्ती पीठासीन हुई)

मूल अधिनियम को प्रवर समिति ने पेचीदा बना दिया था। वही धर्म के प्रश्न को घसीट लाई थी।

यह विधेयक अस्पृश्यता निवारण की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। मेरा सुझाव है कि इसे राय जानने के लिए परिचालित किया जाये। तब राज्य सरकारें और जनता भी कुछ बहुमूल्यसुझाव

[श्री सिद्धया]

रख सकती है। मेरे संशोधन अवश्य स्वीकार किये जाने चाहियें। हरिजनों को भी हिन्दुओं के समान अधिकार मिलने चाहिएं।

आशा है सभा इसे स्वीकृति देगी।

†**सभापति महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री क० च० शर्मा** (सरधना): मैं इस विधेयक के प्रस्तावक से सहमत नहीं हूं। पूजा के स्थानों में अस्पृश्यता का प्रश्न जिस भारत में उठा वह आज से कहीं भिन्न भारत था।

उस जमाने के संसार में ईश्वर के अतिरिक्त कोई और था ही नहीं। अब उस जमाने के देवता भी नहीं रहे हैं।

अब ईश्वर और देवताओं का स्थान मनुष्य ने ले लिया है। इसलिये अब किसी भी मनुष्य को पूजा-स्थान में जाने से नहीं रोका जा सकता।

भारत ही नहीं, सारा विश्व तेज़ी से बदलता जा रहा है। अस्पृश्यता केवल भारत और हिन्दू धर्म की ही चीज़ नहीं है। अरब में भी मुसलमानों में भिश्ती लोग होते थे।

लेकिन अब लोकतांत्रिक भारत में सभी नागरिकों के अधिकार समान हैं। अब पूजा-स्थानों में जाने या न जाने के प्रश्न का कोई भी महत्व नहीं रह गया है। अनुसूचित जातियों को देवताओं की या मन्दिरों की ओर दौड़ने की आवश्यकता ही नहीं रह गई है। उनको समान रूप से सभी नागरिकों के साथ कंध-से-कंधे मिला कर खड़े होना और नये भारत का निर्माण करना चाहिए।

श्री शिवनारायण (वांसी) : सभापति महोदया, सदन् के सामने यह जो अनटचेबिल्टी (ऑफेंसेज) अमेंडमेंट बिल पेश है मैं उस का विरोध करता हूं। शर्मा जी का मैं समर्थन करता हूं। शर्मा जी जरा सुनिये . . . .

†**सभापति महोदय** : माननीय सदस्य सुनने के लिये मुझ से कह सकते हैं।

श्री शिव नारायण : सभापति महोदया, मैं आप के द्वारा शर्मा जी को अपने विचार प्रेषित करना चाहता हूं। शर्मा जी का मैं समर्थन करता हूं। मैं उस अयोध्या के पास से आता हूं जहां कि धर्म स्थान है। मैं शर्मा जी को बतलाना चाहता हूं कि उस अयोध्या में जितने हरिजन पूजन करने जाते हैं उतने शायद पंडित भी नहीं जाते हैं। जब कार्त्तिक का मेला लगता है तो आप उस दृश्य को देखिये कि किस तरह सिरों पर गट्ठर धरे मर्द और औरत मस्त होकर उस दीवाने की तलाश में निलकते । म न्दर, मस्जिद इन सब के अन्दर राज्य गुलामी करता हैं। यह मन्दिर, मस्जिद कुछ नहीं हैं। आप से ज्यादा नास्तिक हूं। मैं उस पत्थर को नहीं मानता हूं। शर्मा जी ने कहा कि एक ब्रेव मैन की तरह से फेस करो। आज दुनिया में धर्म-कर्म किन के पास है? पैसे वालों के पास। जब मैं दिल्ली आया, तो एक रोज़ मैं बिड़ला मन्दिर देखने गया। इतिहास का एक विद्यार्थी होने के कारण मैंने देखा कि बिड़ला मन्दिर में जहां संस्कृत का श्लोक लिखा है, वहीं इंगलिश में उसका ट्रांस्लेशन दिया हुआ है। मैं ने उस पर कमेन्ट किया कि कालान्तर में जब इतिहास का युग बदलेगा, जब यह परिवर्तनशील जगत बदलेगा, यह ज़माना बदलेगा और कोई दूसरा ज़माना आया, तो अन्वेषण, रिसर्च करने वाला हिस्ट्री का विद्यार्थी, बिड़ला साहब ने,

---

†मूल अंग्रेजी में।

जो कि भारत के बड़े आदमी हैं और हिन्दू धर्म के पक्के समर्थक हैं, जो वह साइन-बोर्ड लिखवाए हैं, उन को इस देश में अंग्रेजियत के नमूने के रूप में देखेंगा।

मंदिर और मस्जिद सब क्या हैं ? एक ढोंग है एक बनावट है। समाज ने एक चीज बनाई है जिस से लोगों को फंसा कर उन से पैसा लिया जाये। जब बनारस मंदिर-प्रवेश का मामला चल रहा था तो करपात्री जी ने कहा कि मैं दूसरा मंदिर बनाऊंगा। उस समय मैं और श्री बेचनराम जोकि बनारस के हरिजन मेम्बर थे पंडित कमलापति के कमरे में थे जोकि उस जमाने के हमारे होम मिनिस्टर थे। मैं ने कहा "पंडित जी अगर आप की इजाजत हो तो मैं दो लफ्ज कहना चाहता हूं।" उन्हों ने कहा "कहिये"। मैंने कहा "दो मिनट में करपात्री जी हम को हाथ जोड़ देंगे। अगर आप इजाजत दें तो मैं विश्वास नाथ मंदिर के बगल में दूसरा मंदिर धर दूं।"

मैं हिन्दू टेम्पल कमेटी का मेम्बर था। मैं हरिद्वार गया इलाहाबाद गया बनारस गया हर जगह गया। जब मैं वृन्दावन पहुंचा तो मैं ने देखा कि वहां पर भगवान् कृष्ण का मंदिर और उन के भाई बलदाऊ जी का मंदिर था। वे बड़े भारी मंदिर थे। जब मेम्बर कमेटी स्थापित हुई तो लोगों ने मेम्बरों को ऐसे घेरा कि मालूम होता था कि ना मालूम उनकी क्या जाने वाली है। मैं गवर्नमेंट से कहना चाहता हूं कि इन मंदिरों में इतना पैसा भरा हुआ है जितना कि सरकार टैक्सेशन लगाती है। अगर वह इस पैसे को इस्तेमाल करे और धर्म के काम में इस्तेमाल करे तो बहुत पैसा मौजूद है। मैं ने उस कमेटी में रह कर देखा है कि यह सब जाल है ढोंग है। मैं हरिजनों से कहना चाहता हूं कि ईश्वर हम में तुम में व्याप्त है सर्वत्र व्याप्त है अगर वे भगवान् की तलाश करना चाहते हैं।

मैं कहता हूं कि मैं कभी मंदिरों के चक्कर में नहीं हूं। मैं उस का वाकई विरोध करता हूं। हिन्दू भाई ये न समझें कि मैं कोई द्वेष-भाव से ये बातें कह रहा हूं। मुझे इस में कोई फ़ेथ या विश्वास नहीं है। ईश्वर हम में और तुम मे सब मे व्याप्त है। जब किसी मनुष्य में सत्य की परख आ जाये तो वह क्राइस्ट हो सकता है, मुहम्मद हो सकता है, गांधी हो सकता है, क्योंकि पांचों तत्व हम में मौजूद हैं और समस्त ज्ञानेन्द्रियां हैं। परलोक की किसी को चिन्ता हो तो वह जंगल में चला जाये। मुझे याद है कि एक हमारे इंस्पैक्टर थे। उन्हों ने कहा कि प्रातःकाल उठो और दोनों हाथ देख कर सोचो कि एक दिन मर जाना है और अगर कोई तीस दिन यह प्रैक्टिस कर ले तो ३१वें दिन वह महात्मा हो जायगा, संसार माया छोड़ कर वह जंगल में चला जायगा। मैं मंदिर-प्रवेश के चक्कर में नहीं हूं।

श्रीमती गंगादेवी (मोहनलाल गंज) : क्या यह मंदिर-प्रवेश पर चर्चा हो रही है या और कोई कहानियां-किस्से हो रहे हैं ?

श्री शिवनारायण : आप बैठ जायें। मंदिर-प्रवेश पर बात हो रही है।

†**सभापति महोदय** : माननीय सदस्य को मुझे मुखातिब करना चाहिये।

श्री शिवनारायण : मुझे पीछे से इन्टेरप्ट कर रहे थे। मैं जो कुछ कहूंगा, आप के द्वारा और आप के जरिये कहूंगा।

मंदिर-प्रवेश के बारे में इस बिल को सर्कुलेट करने के लिये कहा जा रहा है। मैं कहता हूं कि नब्बे परसेंट लोग इस का विरोध करेंगे क्योंकि सोसायटी ऐसी है कि वह यह मानने के लिये तैयार

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री शिव नारायण]

नहीं हैं। यह बात तो गुडविल पर निर्भर हैं। मंदिर में जाने के लिये कोई रुकावट नहीं हैं। मैं हर जगह गया। हमारी ड्यूटी नहीं कि हम किसी को बिढ़ायें। कहीं जाने के बारे में ढोल पीटने की कोई जरूरत नहीं हैं। वहां कुछ मिलता-जुलता नहीं हैं। मैं समझता हूं कि वहां पर गरीब आदमियों का हमारा ही पैसा लिया जाता है। अगर उस पैसे को बचाया जाये अगर एक हजार आदमी बीस बीस आने जमा कर लें तो सवा हजार की रकम हो जाये और उस से हमारे गरीब बच्चे पढ़ सकते है। सत्यनारायण बाबा की कथा में देने के बजाय उस पैसे को इकट्ठा कर लिया जाये और उस को और अच्छे कामों में इस्तेमाल किया जाये।

हम कमा कर आज इस सोसायटी को खिला रहे हैं। आज गांवों में गरीब हरिजन ही कमाता है, हल चलाता है, पानी देता है, सब कुछ करता है जिस पर सारा समाज गुमान, गर्व, करता है। मैं समझता हूं कि मंदिर मस्जिद सब बनावट है और एक किस्म का ढोंग है। जो बिल सर्कुलेशन के लिए भेजा जा रहा है, उस में क्या हैं कुछ नहीं है। हम यहां पर बगल मे बैठ कर जानते हैं कि आज-कल दो बातें होती हैं। दिल नहीं मिलता हैं। यह तो दिल के मिलने की बात हैं। अगर कोइ रोकता हो, तो मत जाइये दूसरा मंदिर बनवा लीजिये। पंडित कमलापति ने कहा "तुम ऐसा मत कहना ऐसा नहीं होना चाहिये।" मंदिर हो या मस्जिद हो ये दोनों चीजें धर्म की बात हैं। धर्म-कर्म तो मानने पर हैं मानो तो देव नहीं तो पत्थर। ईश्वर यहां वहां सर्वत्र व्याप्त है।

मैं ने बाइबल भी पढ़ा हैं। बचपन में जब मैं इंग्लिश स्कूल में पढ़ता था, तो मैं ने बाइबल भी पढ़ा। उस में कहा गया है कि खुदा मियां ने छै दिन में दुनिया बनाई और सातवें दिन आराम किया। यह क्रिटिस्यन आइडियोलोजी है। मुसलमान कहते हैं कि सब भाई भाई हैं। मुस्लिम धर्म में डेमोक्रेसी का यह नमूना ज्यादा है कि अगर खाना कपड़ा रोटी मिले तो बांट खाओ। आज नहीं हैं। उत्तम बातें तो हर धर्म में हैं। हर एक धर्म ने बताया कि सदा सच बोलो शराब पीना गुनाह हैं पराई बहू-बेटी को अपनी बहू-बेटी समझो। चाणक्य ने लिखा हैं कि :

मातृवत् परदारेषू परद्रव्येषू लोष्टवत्,
आत्मवत् सर्वभूतेषू यः पश्यति सः पंडितः।

माताओं और बहनों की इज्जत करने का आदेश हर धर्म ने दिया है। क्या किसी धर्म ने कहा कि उन को कुदृष्टि से देखो? क्या किसी धर्म ने लिखा कि शराब पीओ या झूठ बोलो या चोरी करो? हर एक धर्म में कहा गया है कि सही काम करो। गांधीजी ने हम को बताया, सुभाषबाबू ने हम को बताया हमारे महान् नेताओं ने बताया है कि सद्मार्ग पर चलो। ईश्वर तक पहुंचने का सत्य ही मार्ग है। गाड इज ट्रूथ एंड ट्रूथ इज गाड।

श्रीमती गंगादेवी : जो कुछ कहा जा रहा हैं, उस का इस बिल से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री शिवनारायण : अगर माननीय सदस्या नहीं समझती है, तो वह बैठी रहें। यह तो बड़ी ऊंची चीज है।

†**सभापति महोदय** : माननीय सदस्य विधेयक के खण्डों के बारे में भी तो कुछ कहें।

श्री शिवनारायण : जो बिल सर्कुलेट करने के लिये जा रहा है, मैं तो उस का विरोध करता हूं। उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हम सब की तबियत साफ़ होनी चाहिये। यह नहीं जाना चाहिये। यह बेकार है। सब को पता है। यह हमारी पार्लियामेंट सारे हिन्दुस्तान की क्रीम यहां पर बैठी हुई

†मूल अंग्रेजी में

है। यहां के बाद भी अगर हम इस बिल को भेजना चाहते हैं, तो कहां भेजना चाहते हैं ? पब्लिक के रिप्रेजेन्टेटिव यहां पर बैठे हुए हैं। यहां पर हरिजन भी हैं, मुसलमान भी हैं, पंडित भी हैं, कायस्थ भी हैं, छोटे-बड़े सब हैं। इंडिया का क्रीम यहां पर बैठी हुई है। जो कोई धर्म-कर्म तय करना है, यहां पर ही कर लिया जाये। इस को बाहर भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है।

श्री समनानी (जम्मू तथा काश्मीर) : मैं आनरेबल मेम्बर की स्पीच के एक फ़िक्रे के मुताल्लिक कुछ अर्ज़ करना चाहता हूं।

अर्ज़ यह है कि आनरेबल मेम्बर ने अपनी तक़रीर में मज़हब के मुताल्लिक अपनी वाकफ़ियत का काफ़ी इज़हार किया है। लेकिन एक बात जो उन्हों ने कहा है प्राफ़ेट इस्लाम के मुताल्लिक, वह इस्लामी अकीदे के बिल्कुल बरअक्स है और इस्लामी अक़ीदे की रू से ऐसा कहने का किसी को हक नहीं पहुंचता है। उन्हों ने कहा है कि वह मुहम्मद हो सकता हैं, वह दूसरा हो सकता है। मुहम्मद पैगंबरे इस्लाम हैं और पैगंबरे इस्लाम एक ही हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता है। जब यह बात बाहर जायगी, तो ऐसे एलिमेंट, जो ऐसे मौके में रहते है, इस स नाजायज़ फ़ायदा उठायेंगे। इसलिये मैं दरख्वास्त करता हूं कि इस को एक्सपंज कर दिया जाये।

श्री शिवनारायण : मैं ने मुहम्मद साहब को मुहम्मद साहब समझा हैं, क्राइस्ट को क्राइस्ट, गांधी को गांधी, सुभाष बोस को सुभाष बोस, राम को राम और इन सब का मैं समान रूप से आदर करता हूं। इसी वे में मैं ने कहा, अटैक करने की भावना से मैं ने कुछ नहीं कहा है।

†**श्री पं० ना० कयाल** : मुझे पंचशील और समाजवाद के सिद्धान्तों में आस्था रखने वाले माननीय सदस्य के विचार सुन कर आश्चर्य हुआ। इस विधेयक का उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों आदि में जाने का सभी भारतीयों को अधिकार देना है।

†**सभापति महोदय** : माननीय सदस्य का भाषण पूरी तौर से मेरी समझ में नहीं आया है। मैं उन के भाषण की प्रतिलिपि देखने के बाद ही इस पर अपनी राय दूंगा।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक अब अगले सत्र में लिये जायेंगे। अब हम आधे घंटे की चर्चा शुरू करेंगे।

---

*नरियमंगलम् फाइटो कैमिकल प्लांट

†**श्री ग्र० क० गोपालन** (कासरगोड) : ७ मई, १९६२ को प्रश्न संख्या ४५३ के उत्तर में कुछ इस प्रकार बताया गया था।

श्री वासुदेवन् नायर ने पूछा था कि यह समाचार कहां तक सच है कि जो प्लांट वहां लगाया जाने वाला था अब नहीं लगाया जायेगा। माननीय मंत्री ने बताया था कि उस प्रश्न पर चर्चा हो रही है। उस के आर्थिक पहलू पर विचार किया जा रहा है। केरल सरकार द्वारा उस के लिये भूमिका अधिग्रहण न करना भी उस का एक कारण था।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

*आधे घंट की चर्चा।

[श्री अ० क० गोपालन]

केरल के उद्योग मंत्री ने एक प्रेस सम्मेलन में बताया था कि १८७ एकड़ भूमि दी जा चुकी है और शेष अर्जित की जा रही है। सरकार ने १८७ एकड़ भूमि परियोजना अधिकारियों को दे भी दी है। उन्होंने बताया था कि परियोजना के लिये कुल ४०० एकड़ भूमि दरकार थी। उन का कहना है कि भूमि के सम्बन्ध में विलम्ब करने की कोई भी शिकायत परियोजना अधिकारियों ने नहीं की है।

कुछ समय बाद समाचार पत्रों में समाचार था कि फाइटो कैमिकल प्लांट के अधिकारियों ने भारत सरकार को एक प्रतिवेदन दिया है। उन्होंने प्रतिवेदन में शायद कहा है कि कांटेदार तारों स सम्बन्धित कार्य आगे बढ़ाना निरापद नहीं रहेगा क्योंकि वह क्षेत्र पूरी तौर पर परियोजना अधिकारियों के हाथ में नहीं आया है। इसीलिये राज्य सरकार द्वारा पूरे ४०० एकड़ का कब्जा हस्तांतरित न करने तक परियोजना का काम रोक दिया गया है।

इस प्रकार परस्पर विरोधी बातें सामने आ रही हैं। केन्द्रीय मंत्री का कहना है कि परियोजना अधिकारियों की ओर से कोई ढील नहीं डाली गई है।

फिर परियोजना अधिकारियों ने दूसरे प्रतिवेदन में भारत सरकार को सूचित किया कि काम बिलकुल बन्द कर दिया गया है।

इस प्रकार तीन विभिन्न प्रकार के बयान जनता के सामने आये हैं।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ने मुझे लिखा है कि केन्द्रीय मंत्री और राज्य उद्योग मंत्री के वक्तव्यों में परस्पर कोई विरोध नहीं है। इस का निर्णय तो सभा के सदस्य ही कर सकते हैं।

प्रश्न केवल मतभेद का नहीं है। केरल में मत्स्यकी केन्द्र के बारे में भी ऐसा ही हुआ था। एक इमारत न मिलने के बहाने उसे बम्बई में रख दिया गया था।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

मैं यह प्रश्न सभा के सामने केवल इसलिये नहीं ला रहा हूं कि इस के बारे में विरोधी बातें उड़ रही हैं। मेरा मंशा यह है कि केरल में जब भी कुछ बनने की बात चलती है, इसी तरह की कठिनाइयां पैदा होने लगती हैं।

भारी विद्युत् परियोजना को केरल में रखने के प्रश्न पर काफी चर्चा चली, पर दो वर्ष बाद तय यह किया गया कि वहां वायु में नमी काफी है। इसलिये उसे त्याग दिया गया।

†**वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : मैं माननीय सदस्य के इन सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता। आधे घंटे की चर्चा तो केवल फाइटो-कैमिकल प्लांट से सम्बन्धित थी।

†**श्री अ० क० गोपालन** : मैं केवल उतने का ही उत्तर चाहता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

आधे घंटे की चर्चा

†श्री कानूनगो : मैं कई प्रश्नों का उत्तर देने में समर्थ नहीं हूं ।

†श्री अ० क० गोपालन : केन्द्रीय मंत्री एक बात कहते हैं और राज्य मंत्री कोई दूसरी बात । मे विरोधाभास सभा के सामने लाना मेरा कर्त्तव्य है ।

केरल की जनता के दिल में फाइटो-कैमिकल प्लांट के बारे में आशंकायें हैं । इस पर काफी चर्चा भी उन में चल रही है ।

जब राज्य सरकार भूमि जुटा देती है, तो कह दिया जाता है कि वह प्लांट आर्थिक दृष्टि से अस्तित्व योग्य नहीं है । फिर कहा जायेगा कि उसके लिये विदेशी मुद्रा नहीं है ।

मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री पूरी स्थिति का स्पष्टीकरण करें । क्या परियोजना में वास्तविक कठिनाइयां सामने आ रही हैं ? राज्य सरकार ने भूमि दी है या नहीं ? काम वास्तव में बन्द किया गया है या नहीं ? मैं इन का उत्तर चाहता हूं ।

†श्री कानूनगो : मुझे देश के सभी अखबारों के समाचारों की तो जानकारी नहीं है ।

†श्री अ० क० गोपालन : मैं ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को समाचारों की प्रति भेजी थी । मुझे उत्तर भी मिला था ।

†श्री कानूनगो : लगता है कि देश के उस भाग में समाचार पत्र बड़े सतर्क रहते हैं । भूमि के संबंध में मैं ने बताया था कि पूरी ४०० एकड़ भूमि अभी तक हमें नहीं मिली है । केरल के मंत्री ने भी कहा है कि केवल १८७ एकड़ भूमि दी गई है ।

मुख्य समस्या भूमि की नहीं है । पहला काम तो उस भूमि के चारों ओर तार लगाना है । यह जनवरी-फरवरी में शुरू होना चाहिये था । शेष भूमि मिलते ही यह काम चालू हो जायेगा । एक-एक टुकड़े पर अलग-अलग तो तार लगाये नहीं जाते ।

बस्ती के लिये, उस का नकशा इत्यादि तैयार हो चुका है । अब सब से महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने यही है कि वह प्लांट आर्थिक रूप से अस्तित्व योग्य रहेगा या नहीं ।

सरकार यह निर्णय कर चुकी है कि फाइटो-कैमिकल प्लांट नरियंमंगलम् में ही खोला जायेगा । सहयोग करने वाला पक्ष और सरकार अब इस पर विचार कर रहे हैं कि इस कारखाने की आर्थिक सम्भावनायें क्या रहेंगी । विचारणीय बात केवल यह है कि इस आशा में कितना घाटा होने दिया जाये कि कभी आगे चल कर वह पूरा हो जायेगा । और घाटा भी कब तक बर्दाश्त किया जाये ।

इस परियोजना के चलाने वाले समवाय का एक प्रतिनिधि-मंडल रूस चला गया है या कुछ ही सप्ताह में जाने वाला है । मंशा यह है कि प्लांट की अर्थ-व्यवस्था, उस के आर्थिक पहलू पर वे मिल कर आपस में बात कर सकें । वे बैठ कर उत्पादन की लागत के विषय में बात करेंगे । शायद घाटा कम करने का कोई रास्ता निकल सके ।

केवल इसी परियोजना की आर्थिक अस्तित्व-योग्यता पर विचार किया जायेगा, क्योंकि इस की टेक्नीक बिलकुल ही अलग है ।

चूंकि इस का निर्णय बहुत पहले, १९५९ में किया गया था, इसलिये सरकार उस पर पुनर्विचार कर के सभी चीजों को फिर से पक्का कर लेना ज्यादा अच्छा समझती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री कानूनगो]

इस संयंत्र को कहीं और ले जाने या छोड़ देने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। केवल परिमाण और प्रकार में कुछ रद्दोबदल की जा सकती है। उसी पर विचार किया जायेगा।

शुरू में घाटा होने के विचार से इस को त्यागा नहीं जायेगा। हमारी ओर से परियोजना के लिये बस्ती और नक्शे तैयार करने का काम पूरा किया जा चुका है।

सभा को ऐसी कई आशंका नहीं रहना चाहिये कि इस का स्थान बदला जायेगा।

न इस परियोजना को त्यागा जायेगा। अब बात केवल समय की है कि कितना लगता है।

†**श्री अ० क० गोपालन** : एक समाचार था कि काम बन्द कर दिया गया है।

†**श्री कानूनगो** : हां, केवल तार लगाने का काम।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

श्री समनानी : जनाब स्पकर साहब, मैं ने चेयर की तवज्जह उस बात की तरफ दिलाई थी जोकि एक मेम्बर साहब ने कही। मैं उन की नेकनीयती पर शक नहीं करता लेकिन जो उन्हों ने कहा कि मुहम्मद कोई भी हो सकता है उस पर मुझे ऐतराज है क्योंकि पैगम्बर मुहम्मद दूसरा नहीं हो सकता।

***अध्यक्ष महोदय** : चेयरमैन साहिबा ने जो कुछ इंसीडेंट हुआ मुझ को बतलाया है और मैं उस फाइल को मंगा कर देखूंगा और जरूरत हुई तो मेम्बर साहब के सामने भी रखूंगा और अगर कोई काबले ऐतराज बात हुई तो मुनासिब कार्रवाई की जायेगी।

विदाई भाषण

†**अध्यक्ष महोदय** : अब हम सभा स्थगित करने जा रहे हैं। लेकिन मैं उस से पहले सभी माननीय सदस्यों को अपनी शुभ कामनायें देना और उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। इस बार सभा नई थी और अध्यक्ष भी नया था। माननीय सदस्यों को नये अध्यक्ष की सनकों को बर्दाश्त करना पड़ा होगा। अध्यक्ष ने कभी कभी गलतियां भी की होंगी। नये और पुराने माननीय सदस्यों ने देश की सेवा के लिये जो उत्साह दिखाया है, मैं उस की प्रशंसा करता हूं। मैं सभी की सफलता की कामना करता हूं।

अब सभा की बैठक अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित की जाती है।

इसके पश्चात् लोक-सभा अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित हुई।

---

*अध्यक्ष महोदय ने इस विषय पर विचार करने के बाद यह निर्णय दिया कि इस में ऐसी कोई आपत्तिजनक बात नहीं है कि उसे कार्यवाही से निकाला जाय।

†मूल अंग्रेजी में

शुक्रवार, २२ जून, १९६२

१ आषाढ़, १८८४ (शक)

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित
प्रश्न संख्या

१६२१ खानों में हवा और रोशनी की व्यवस्था . . . ५६९३

१६२३ जापान को लौह अयस्क का निर्यात . . ५६९४–९५

१६२६ त्रिपुरा में स्टूडियो केन्द्र ५६९५–९६

१६२८ चीन के भारत-विरोधी प्रसारण की प्रति-क्रियास्वरूप आकाशवाणी द्वारा लैटिन अमरीका के देशों के लिये प्रसारण, . . ५६९६—९८

१६२९ फिल्म सेन्सर बोर्ड द्वारा हिन्दी में प्रमाणपत्रों का दिया जाना . ५६९८—५७००

१६३० दिनांक ३१ मई, १९६२ का चीन का नोट . . . ५७००—०३

१६३१ उत्तर वियतनाम का भारत पर अमरीका के प्रति पक्षपात का आरोप ५७०३–०४

१६३२ दिल्ली में भवन निर्माण मजदूरों की हड़ताल . . ५७०४—०६

१६३३ औद्योगिक तथा आयात लाइसेंस . . . ५७०७—०९

१६३४ तिब्बत में भारतीय व्यापार अभिकरणों के कर्मचारियों की तिब्बती पत्नियां ५७०९–१०

१६३५ कारखाना अधिनियम, १९४८ में संशोधन . ५७१०–११

१६३६ चीन भारत सीमा विवाद का निबटारा . ५७१२–१३

१६३७ चीन द्वारा सीमा मुठभेड़ की धमकी . . ५७१३–१४

अल्प सूचना
प्रश्न संख्या

२२ पश्चिम बंगाल को जलपाई-गुडी जिले में पाकिस्तानी सेनाओं का अवैध प्रवेश . . . . ५७१४—१८

२३ केरल में ट्यूबरकुलीन के परीक्षण का परिणाम . ५७१८—२०

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या		
१६२२	व्यापार बोर्ड	५७२०
१६२४	कपड़े की प्रति व्यक्ति खपत	५७२०
१६२५	आर्थिक सहयोग के लिये अफ्रीकी एशियाई संगठन	५७२०–२१
१६२७	हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक विवाद हल करने के लिये व्यवस्था	५७२१
१६३७क.	उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों का आर्थिक तथा सामाजिक सर्वेक्षण	५७२१–२२
१६३८	तिब्बत में लद्दाखी लामाओं की मृत्यु	५७२१
१६३९	निर्माण लागत को कम करने के लिये केन्द्रीय समिति	५७२१
अतारांकित प्रश्न संख्या		
३६६८	'अल्फान्सो अल्बुकर्क'	५७२१
३६६९	उत्तर प्रदेश में रेशम-कीट-पालन उद्योग	५७२३–२४
३७७०	उत्तर प्रदेश और द्वितीय पंच वर्षीय योजना	५७२४
३७७१	औद्योगिक-केन्द्रों में कारखानों की गन्दगी	५७२४
३७७२	विद्युत् चालित करघे	५७२४–२५
३७७३	प्रतिरक्षा कर्मचारियों के लिये निम्न आय वर्ग की आवास योजना के अन्तर्गत मकान	५७२५
३७७४	मद्रास राज्य में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिये मकानों का निर्माण	५७२५
३७७५	केन्द्रीय सचिवालय सेवा	५७२५–२६
३७७६	आयात व्यापार नियंत्रण संघ	५७२६
३७७७	उड़ीसा में गन्दी बस्तियां हटाने के लिये आवंटन	५७२६–२७
३७७८	उड़ीसा में बेरोजगारी का सर्वेक्षण	५७२७
३७७९	उड़ीसा में बेरोजगार शिक्षित स्त्रियां	५७२७
३७८०	उड़ीसा में कपड़े की मिलें	५७२७–२८
३७८१	उड़ीसा में हथकरघा मजदूरों के लिये मकान	५७२८
३७८२	उड़ीसा को वित्तीय सहायता	५७२८
३७८३	उड़ीसा की औद्योगिक बस्ती	५७२८
३७८४	उड़ीसा में अम्बर चर्खा प्रशिक्षण–पाठयक्रम	५७२९

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी

तारांकित प्रश्न संख्या

३७८५	उड़ीसा में सामुदायिक रेडियो योजना	५७२९
३७८६	मद्रास राज्य में श्रमिक शिक्षा केन्द्र	५७२९–३०
३७८७	मद्रास राज्य की योजना के लिये आवण्टन	५७३०
३७८८	मद्रास की कताई मिलें	५७३०
३७८९	मद्रास और आन्ध्र में आवास योजनाओं के लिये सहायता	५७३१
३७९०	मद्रास में उद्योग	५७३१
३७९१	मद्रास में हस्तशिल्प की वस्तुओं की बिक्री	५७३१
३७९२	मद्रास में औद्योगिक बस्तियां	५७३१–३२
३७९३	कंक्रीट मिक्शचर मशीनों का आयात	५७३२
३७९४	राज्य व्यापार निगम	५७३२–३४
३७९५	जिला गंगानगर (राजस्थान) में विस्थापित हरिजन परिवार	५७३४
३७९६	शराब के आयात के लाइसेंस	५७३४
३७९७	टेरासाइक्लीन	५७३४–३५
३७९८	सिंहभूम (बिहार) में बीड़ी कम्पनियां	५७३५–३६
३७९९	जूतों का निर्यात	५७३६
३८००	त्रिपुरा में प्रेस कर्मचारियों के काम के घंटे	५७३६–३७
३८०१	छोटे पमाने के उद्योग	५७३७
३८०२	केरल में नारियल जटा उद्योग	५७३८
३८०३	आसाम का प्रविधिक—आर्थिक सर्वेक्षण	५७३८–३९
३८०४	नेपाल में भारतीय शस्त्रों का प्रयोग	५७३९
३८०५	मैसूर में लोहा और मैंगनीज अयस्क का निर्यात	५७३९
३८०६	पालतू जानवरों के आयात के लिये नियम	५७३९–४०
३८०७	सरकारी बस्तियों के लिये स्थायी सलाहकार समिति	५७४०–४१
३८०८	भाप के इंजन का आविष्कार	५७४१
३८०९	भाषा के आधार पर प्रलेख चल चित्र	५७४१
३८१०	समवाय प्रबन्ध द्वारा लाभांश	५७४२
३८११	परम्परागत और नई वस्तुओं का निर्यात	५७४२
३८१२	नैतिक पुनरुत्थान संगठन	५७४२–४३
३८१३	कपड़ा	५७४३

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी

तारांकित
प्रश्न संख्या

३८१४ अगरतला में वातानुकूलित सिनेमा . . . ५७४३–४४
३८१५ हिमाचल प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में उद्योग . . . ५७४४
३८१६ हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक विवाद . . . ५७४४
३८१७ नेपा मिल्स ५७४४–४५
३८१८ आन्ध्र प्रदेश में औद्योगिक एकक ५७४५
३८१९ भारत में प्रस संस्थान ५७४५
३८२० पश्चिमी एशियाई क्षेत्र में स्थित भारतीय राजदूतों का सम्मेलन ५७४६
३८२१ मेसर्स सारु स्मेल्टिंग एण्ड रिफाइनिंग कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, मेरठ ५७४६–४७
३८२२ ब्रिटिश पूर्वी अफ्रीका में भारतीय . . . ५७४७
३८२३ आण्विक विद्युत् संयंत्र ५७४७–४८
३८२४ व्यापार शिष्ट मंडल ५७४८
३८२५ हिमाचल प्रदेश में मोटर परिवहन कर्मचारी . . ५७४८–४९
३८२६ मद्रास राज्य में आकाशवाणी केन्द्र . . ५७४९
३८२७ तम्बाकू का निर्यात ५७४९–५०
३८२८ प्रकाशन विभाग ५७५०
३८२९ आसफ अली रोड, नई दिल्ली ५७५०–५१
३८३० पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों को मध्य प्रदेश में बसाना ५७५१
३८३१ कच्चे पटसन का उत्पादन व्यय . . ५७५२
३८३२ पटसन बफर स्टाक ऐजेन्सी ५७५२
३८३३ निःशस्त्रीकरण सम्मेलन ५७५२–५३
३८३५ प्रैस सूचना विभाग द्वारा प्रचार सामग्री का वितरण . ५७५३–५४
३८३६ पदाधिकारियों द्वारा निम्न श्रेणी के क्वार्टरों में निवास . ५७५४
३८३७ डी० सी० एम० कैमिकल वर्क्स, दिल्ली में दुर्घटना . . ५७५४–५५
३८३८ उड़ीसा खादी तथा कुटीर उद्योग बोर्ड के कर्मचारियों का प्रशिक्षण ५७५५
३८३९ मस्जिद मोठ, नई दिल्ली में निष्क्रान्त भू-सम्पत्ति . . ५७५५–५६
३८४० तिब्बती शरणार्थी शिविर ५७५६
३८४१ चीनी प्रचार की प्रतिक्रिया के रूप में एशिया के देशों के लिये आकाशवाणी के प्रसारण ५७५६–५७

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी

अतारांकित
प्रश्न संख्या

३८४२ गिरिमिट कोयला खान की दुर्घटना . . . ५७५७

३८४३ पश्चिम बंगाल में नई यवासवनी. ५७५७—५८

३८४४ सरकारी उपक्रमों को ऋण . . ५७५८

३८४५ व्यापारिक संस्थाओं में गैर-भारतीयों का नियोजन . ५७५८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना . . ५७५८—६५

(१) श्री बेंड़े ने पूर्वोत्तर सीमान्त ऐजेन्सी में लगभग ५०० वर्ग मील भारतीय राज्य क्षेत्र पर चीन के कथित अधिकार कर लेने की ओर प्रधान मंत्री का ध्यान दिलाया।

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया।

(२) श्री बागड़ी ने दिल्ली के बमरोला गांव में भारतीय वायु सेना के केन्द्र में भूमिगत नालियों के छिद्रों की सफाई करते समय एम० ई० एस० के दो भंगियों की मृत्यु की ओर प्रतिरक्षा मंत्री का ध्यान दिलाया।

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दा० रा० चावन) ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया।

(३) श्री प० रा० चक्रवर्ती ने तिलरथ स्टेशन के निकट रेलवे फाटक पर २१ जून, १९६२ को एक ट्रक और कामरूप एक्सप्रैस की कथित टक्कर की ओर, जिस से ८ व्यक्ति मारे गये और अन्य कई लोगों को सख्त चोटें आईं, रेलव मंत्री का ध्यान दिलाया।

रेलवे मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) ने इस सम्बन्ध एक वक्तव्य दिया।

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . ५७६५—६७

निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) चाय अधिनियम, १९५३ की धारा ४९ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक २८ अप्रैल, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ५९० में प्रकाशित चाय बोर्ड कर्मचारी (आचरण) नियम, १९६२।

(दो) अत्यावश्यक पण्य, अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अंतर्गत दिनांक २ जून, १९६२ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० १६६७ में प्रकाशित रूई नियंत्रण (संशोधन) आदेश, १९६२।

(तीन) वर्ष १९६०-६१ के लिये काफी बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन।

विषय पृष्ठ

(चार) वर्ष १९६०-६१ (१ अगस्त, १९६० से ३१ जुलाई, १९६१ तक) के लिये रबड़ बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन ।

(२) खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, १९५६ की धारा ३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या एस० ओ० १९६९ की एक प्रति ।

(३) दिल्ली विकास अधिनियम, १९५७ की धारा २६ के अन्तर्गत १ अप्रैल, १९६० से ३१ मार्च, १९६१ तक की अवधि के लिये दिल्ली विकास प्राधिकार को वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति ।

(४) गोदी मजदूर (रोजगार का विनियमन) अधिनियम, १९४८ की जधारा ८ की उप धारा (३) के अन्तर्गत निम्नलिखित नियमों की एक-एक प्रति :-

(एक) दिनांक ९ जून, १९६२ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० १८०९ में प्रकाशित गोदी मजदूर (मंत्रणा समिति) नियम, १९६२ ।

(दो) दिनांक ९ जून, १९६२ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० १८१० में प्रकाशित गोदी मजदूर (रोजगार का विनियमन) नियम, १९६२ ।

(५) एयर कारपोरेशन नियम, १९५४ के नियम ३ के उप-नियम (५) के अन्तर्गत के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों एक-एक प्रति :-

(एक) वर्ष १९६२-६३ के लिये एयर इंडिया कारपोरेशन के राजस्व और व्यय के आयव्ययक प्राक्कलनों का सारांश ।

(दो) एयर इंडिया कारपोरशन के वर्ष १९६०-६१ के लिये वास्तविक आकड़ों, वर्ष १९६१-६२ सम्बन्धी आयव्ययक प्राक्कलनों और संशोधित प्राक्कलनों और पूंजी के अन्तर्गत १९६२-६३ सम्बन्धी बजट प्राक्कलनों का सारांश ।

(तीन) वर्ष १९६२-६३ के लिये इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के राजस्व और व्यय के आयव्ययक प्राक्कलनों का सारांश ।

(चार) इंडियन एयर लाइन्स कारपोरशन के वर्ष १९६०-६१ के वास्तविक आकड़ों, वर्ष १९६१-६२ के बजट प्राक्कलनों और संशोधित प्राक्कलनों और पूंजी के अन्तर्गत वर्ष १९६२-६३ के लिये आयव्ययक प्राक्कलनों का सारांश ।

(६) विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर और पुनर्वास) अधिनियम, १९५४ की धारा ४० की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक २ जून, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७५० में प्रकाशित विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर और पुनर्वास) दूसरा संशोधन नियम, १९६२, की एक प्रति ।

राज्य सभा से सन्देश ५७६७

सचिव ने राज्य सभा से प्राप्त एक सन्देश की सूचना दी कि राज्य सभा को लोक-सभा द्वारा १६ जून, १९६२ को पास किये गये वित्त (संख्या २) बिल, १९६२ के बारे में लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी हैं।

याचिका का पेश किया जाना ५७६७

श्री सिन्हा रेड्डी ने निर्वाचनों का संचालन नियमों, १९६१ में संशोधन के बारे में एक याचिकावार द्वारा हस्ताक्षरित याचिका पेश की।

विधेयक पुरस्थापित . . . . . ५७६९—७८

(१) आसाम राइफल्स संशोधन विधेयक।
(२) महा प्रशासक विधेयक
(३) ईसाई विवाह और वैवाहिक कारण विधेयक

तीसरी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों में कमी के बारे में प्रस्ताव

श्री नाथपाई ने तीसरी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों में कमी के बारे में प्रस्ताव प्रस्तुत किया

चर्चा समाप्त नहीं हुई

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन—स्वीकृत ५७७८

तीसारा प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ।

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक पुरस्थापित . . . ५७७९—८४

(१) अखिल भारतीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयक **[श्री त्रि० शर्मा का]**
(२) बीमा संशोधन विधेयक (धारा ३१-क और ४०-ग का संशोधन) **[श्री इन्द्रजीत गुप्तका]**
(३) बीड़ी और सिगार श्रमिक विधेयक **[श्री अ० क०गोपालन]**
(४) खाद्य तेलों पर प्रतिबन्ध का (सासु बनाने के लिये) विधेयक **[श्री दी० चं शर्मा]**
(५) परिवहन समन्वय विधेयक **[श्री ० चं० शर्मा का]**
(६) दूकानदार (मूल्यों का पर्चियां लगाना) विधेयक **[श्री ज० व० सिं० विष्ट का]**
(७) विधि व्यवसायी (संशोधन) विधेयक धारा १५ और १५ का संशोधन। **[श्री हेम राज का]**
(८) हिन्दू उत्तराधिकार संशोधन) विधेयक (धारा ३० का संशोधन) **[श्री हेमराज का]**
(९) भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक (धारा ११ और १२ का (संशोधन) **[श्री हेम राज का]**
(१०) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनूच्छेद २२६ का संशोधन) **[श्री दी० चं० शर्मा का]**
११) संविधान (संशोधन) धियेयक (आठवीं अनूचची का संशोधन) **[श्रीउ० मू० त्रिवेदी का]**

गैर सरकारी सदस्यों का विधेयक—वापस लिया गया

८-६-६२ को प्रस्तुत भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा ४०५ और ४०६ का संशोधन) पर अग्रेतर चर्चा जारी रही। श्री दी० चं० शर्मा ने वाद विवाद का उत्तर दिया। विधेयक सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

गैर सरकारी सदस्य का विधेयक—परिचालित करने का प्रस्ताव —स्वीकृत . ५७८५—९४

श्री ज० ब० सिं० बिष्ट ने हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक (नई धारा २३क का रखा जाना) पर राय जानने के लिये उस ३१ दिसम्बर, १९६२ तक परिचालित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। श्री ज० ब० सिं० बिष्ट ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

गैर सरकारी सदस्य का विधेयक—विचाराधीन . . . ५७९४—९९

श्री सिद्धय्या ने अस्पृश्यता (अपराध) संशोधन विधेयक (धारा ३ और ४ का संशोधन) पर राय जानने के लिये उस ३१ दिसम्बर, १९६२ तक परिचालित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

आधे घंटे की चर्चा . . . . . ५७९९—५८०२

श्री अ० क० गोपालन ने नैरियमंगलम् में फायटोकेमिकल प्लान्ट के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या ४५३ के ७ मई, १९६२ का दिये गये उत्तर से उत्पन्न होने वाली बातों पर आधे घंटे की चर्चा उठाई।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री नित्यानन्द कानूनगो) ने चर्चा का उत्तर दिया।

लोक सभा अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित हुई।

तीसरी लोक सभा के प्रथम सत्र की कार्यवाही का संक्षेप

१. सत्र की अवधि	१६, अप्रैल, से २२ जून, १९६२ / २६ चैत्र से १ असाढ़ १८८४ (शक)
२. बठकों की संख्या . .	५१
३. बैठकों के कुल घंटों की संख्या . .	३२६ घंटे २३ मिनट
४. मत विभाजनों की संख्या	९
५. सरकारी विधेयक :—	
(१) सत्र के आरम्भ विचाराधीन . .	कोई नहीं
(२) पुरस्थापित किये गये . . .	१५
(३) राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया	१
(४) प्रवर समिति को सौंपे गये . .	१
(५) संयुक्त समिति को सौंपे गये .	कोई नहीं
(६) प्रवार समिति द्वारा भेजे गये . .	कोई नहीं
(७ युक्त समिति द्वारा भेजे गये . .	कोई नहीं
(८) पारित किये गये	८
(९) राज्य सभा द्वारा बिना संशोधन के लौटाये गये .	३
(१०) राज्य सभा द्वारा संशोधन सहित लौटाये गये	कोई नहीं
(११) सत्र की समाप्ति पर विचाराधीन . .	८
६. गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक . .	
(१) सत्र के आरम्भ में विचाराधीन .	कोई नहीं
(२) पुरःस्थापित किये गये . . .	४१
(३) जिन पर चर्चा हुई . . .	८
(४) वापस लिये गये . . .	४
(५) अस्वीकृत	१
(६) पारित	कोई नहीं
(७) जिन पर आंशिक रूप से चर्चा की गई . .	१
(८) सभा की समाप्ति पर विचाराधीन . .	३६

७. नियम १९३ के अन्तर्गत की चर्चायें :

(अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले)

(१) पूर्व सूचनायें प्राप्त हुई . . .	१४
(२) जिन पर चर्चा हुई	··

८. नियम १९७ के अन्तर्गत दिये गये वक्तव्य . . .

(अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना)

(१) पूर्व सूचनायें प्राप्त हुई . . .	६००
(२) मंत्रियों द्वारा दिये गये वक्तव्य . . .	६४

९. आधे घंटे की चर्चायें ९

१०. सरकारी संकल्प :—

(१) प्रस्तुत किये गये . .	कोई नहीं
(२) स्वीकृत . .	कोई नहीं

११. गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प

(१) प्राप्त हुए . . .	१०७४
(२) गृहीत किये गये .	६३५
(३) जिन पर चर्चा हुई .	७ जिन में से एक पर आंशिक रूप से चर्चा हुई)
(४) वापस लिये गये .	५
(५) अस्वीकृत .	१
(६) स्वीकृत	कोई नहीं
(७) जिन पर अंशतः चर्चा हुई .	१

१२. सरकारी प्रस्ताव:—

(१) प्रस्तुत किये गये	१
(२) स्वीकृत	१

१३. गैर सराकारी सदस्यों के प्रस्ताव :—

(१) प्राप्त हुए	६१
(२) गृहीत किये गये	४०
(३) प्रस्तुत किये गये	२ (एक पर आंशिक रूप से चर्चा हुई)
(४) स्वीकृत	कोई नहीं

१४. संविहित नियमों में रूप भेद करने के बारे में प्रस्ताव

(१) प्राप्त हुए ३

(२) गृहीत किये गये ३

(३) प्रस्तुत किये गये २

१५. स्थगन प्रस्ताव :—

(१) प्राप्त हुए १०

(२) गहीत किन्तु सदन की अनुमति प्राप्त नहीं हुई १

(३) नियम बाध्य १

(४) अध्यक्ष द्वारा अनुमति नहीं दी गई। . . १०

१६. पूछे गये प्रश्न :—

(१) तारांकित १६३३

(२) अतारांकित (अतारांकित प्रश्नों जिन्हें अतारांकित बना दिया गया) ३७८१

(३) अल्प सूचना प्रश्न . . २४

१७. संसद् समितियों के प्रतिवेदन उपस्थापित:—

(१) गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक और संकल्पों सम्बन्धी समिति . . ३

(२) प्राक्कलन समिति (द्वितीय लोक सभा) के विभिन्न प्रतिवेदनों के बारे में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही बताने वाले प्रतिवेदन ४

(प्रक्रिया नियमों के नियम २८० और निदेश ९७क के अधीन ३१-३-६२ को अध्यक्ष को दिये गये तथा लोक सभा पटल पर—सचिव द्वारा २१-४-६२ को रखे गये) . २

(३) कार्य मंत्रणा समिति २

(४) सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति १

१८. सदस्यों को अनुपस्थित रहने के लिये अनुमति . १

१९. याचिकायें प्रस्तुत की गई . . २

(९) भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक (धारा ११ और १२ का संशोधन)
[श्री हेम राज का] ५७९१–८२
(१०) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद २२६ का संशोधन)
श्री द० च० शर्मा का] ५७८२
(११) संविधान (संशोधन) विधेयक (आठवीं अनुसूची का संशोधन)
[श्री उ० मू० त्रिवेदी का] ५७८४
भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक, धारा ४ ५ और ४०६ का संशोधन
(श्री दी० च० शर्मा का)—वापिस लिया गया । . ५७८२–८४
विचार करने का विचार
श्री दातार ५७८२–८४
श्री दी० चं० शर्मा ५७८४
हिन्दू उत्तराधिकार संशोधन विधेयक (नई धारा २३क का रखा जाना)
[श्री ज० ब० सिं० बिष्ट का]—परिचालित . . . ५७८५–९४
परिचालित करने का प्रस्ताव
श्री ज० ब० सिं० बिष्ट ५७८५
श्री दी० चं० शर्मा ५७८५–८६
श्री रघुनाथ सिंह ५७८६
श्री गौरी शंकर ५७८६
डा० म० श्री० अणे ४७८७
श्री वारियर ५७८७
श्री बड़े ५७८७–८८
श्री अ० ना० विद्यालंकार ५७८८–८९
श्री सिंहासन सिंह ५७८९–९०
श्रीमती सरोजनी महिषी . . . ५७९०–९१
श्री कुं० कृ० वर्मा . . . ५७९१–९२
श्री ज० ब० सिंह . . ५७९२
श्री राम सेवक यादव ५७९२–९४
श्री विभुधेन्द्र मिश्र ५७९४
अस्पृश्यता (अपराध) संशोधन विधेयक (धारा ३ और ४ का संशोधन)
[श्री सिद्धया का] परिचालित करने का प्रस्ताव . . ५७९४
श्री सिद्धय्या . . . ५७९४–९६
श्री कृ० चं० शर्मा ५७९६
श्री शिव नारायण . . . ५७९६–९९
श्री प० ना कयाल ५७९९
रियमंगलम् में फायटो केमिकल प्लांट के बारे में आधे घंटे की चर्चा ५७९९–५८०२
श्री अ० क० गोपालन ५७९९–५८००
श्री कानूनगो . . . ५८००–०२
दाई भाषण ५८०२
क संक्षेपिका
ले सत्र का कार्यवाही संक्षेप ५८०३–१३, १–१०

© १९६२ प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त ।

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियम (पांचवां संस्करण) के नियम ३७९ और ३८२ के अन्तर्गत प्रकाशित और भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली की संसदीय शाखा में मुद्रित ।